मुख्य परीक्षा 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-1

प्रश्न: 1. शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिये।

उत्तर: प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास को जानने के लिये उपयोगी सामग्रियों को दो भागों में बाँटा जाता है- पुरातात्विक एवं साहित्यिक।

शैलकृत स्थापत्य एक पुरातात्विक स्रोत सामग्री है जो प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने लगती है। उच्चपुरापाषाणकालीन प्राकृतिक गुफाओं, जैसे भीमबेटका में बनाए गए चित्र उस समय के पशु-पक्षियों, मानव समुदाय और रीति-रिवाज़ों की जानकारी देते हैं।

वस्तुत: पहाड़ को काटकर गुफा निर्मित करने का प्रथम उदाहरण अशोक काल का मिलता है जिससे न केवल उस समय विकसित स्थापत्य कला का पता चलता है बल्कि गुफा काटने के तकनीकी विकास का भी ज्ञान होता है। बराबर की पहाड़ियों में बनाई ये गुफाएँ आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थीं जो अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी देती हैं।

मौर्योत्तर काल में आकर गुफा स्थापत्य और विकसित हुआ तथा उसमें चैत्य और स्तूप बनाए जाने लगे। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बने इन चैत्य गुहा मंदिरों से तत्कालीन उच्च कला के विकास का पता चलता है। प्रारंभिक चैत्य गुहा जहाँ अपनी बनावट में सादी हैं, जैसे- भज, वहीं बाद की कार्ले चैत्य गुहा अपने अलंकृत स्थापत्य के लिये जानी जाती हैं।

खारवेल के समय उदयगिरि पहाड़ियों में बना रानीगुंफा गुहा जैन विहार है। इन गुफाओं में लिखे गए अभिलेखों से राजनीतिक घटनाओं का भी पता चलता है, जैसे- हाथीगुंफा लेख।

अजंता के गुहा मंदिर मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक के विकास को दर्शाते हैं। इनमें मूर्तिकला और चित्रकला के भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी शैलकृत स्थापत्यों से न केवल स्थापत्यगत विकास का ज्ञान होता है अपितु मूर्तिकला एवं चित्रकला के विकास और उनके विषय से विभिन्न धर्मों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अजंता गुहा में गुप्तकालीन चित्र ऐतिहासिकता और कलात्मकता दोनों दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण हैं। उदयगिरि पहाड़ियों की बाघ गुफा अपने धर्मनिरपेक्ष चित्र के लिये प्रसिद्ध है।

एलोरा में राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का अनन्य उदाहरण है जो हिंदू धर्म के बढ़ते प्रभाव का द्योतक भी है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैलकृत स्थापत्य से भारतीय प्रारंभिक इतिहास एवं कला दोनों की जानकारी मिलती है और ये एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

प्रश्न: 2. भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्त्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिये।

उत्तर: पूर्व मध्यकाल यानी 800 ई. से 1200 ई. के दौरान भारत में बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर होने लगा। उत्तर भारत में शैव मतावलंबी हूणों के आक्रमण से उसे आघात लगा तो दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने ब्राह्मण धर्म को संगठित कर वाद-विवाद में बौद्धों को पराजित कर दिया।

इसी समय पतनोन्मुख बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण पालवंशी शासकों ने प्रदान किया जिससे उसको भारत में नवजीवन मिला, इसीलिये पाल शासनकाल बौद्ध इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण चरण बन जाता है।

सर्वप्रथम पालों के संरक्षण से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ। वज्रयान शाखा वस्तुत: तंत्र-मंत्र पर आधारित चमत्कार द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर बल देती थी जो उत्तर-पूर्व में स्थानीय रूप से प्रचलित तंत्र-मंत्र पर आधारित था। बुद्ध की शिक्षाओं से आगे बढ़कर ब्राह्मणिक कर्मकांड को अब अपना लिया गया था।

पाल राजाओं धर्मपाल और देवपाल ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को अपना संरक्षण प्रदान किया बल्कि विक्रमशिला, ओदंतपुरी तथा सोमपुर विश्वविद्यालय और अनेकों बौद्ध विद्यालयों का निर्माण कर बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया।

पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये तिब्बत में आतिश दीपांकर के नेतृत्व में बौद्ध दल भेजा जिसने पूरे एशिया में तिब्बत से लेकर सुमात्रा तक बौद्ध धर्म की महायान और वज्रयान शाखा का प्रचार किया।

पाल शासकों ने कला रूपों में भी बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। धीमन और विधपाल क्रमश: धर्मपाल और देवपाल के काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला के अग्रणी कलाकार थे। इस समय बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय आदि की मूर्तियाँ बनाई गईं। इनका निर्माण काले पत्थरों से किया गया जो अति सुंदर और उत्कृष्ट कला की परिचायक हैं। लघु चित्रकला का विकास हुआ जो दीवारों और ताम्रपत्रों पर बनाई गई है। इसमें भी बौद्ध धर्म से प्रेरणा ली गई।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाल राजवंश ने भारत में क्षीण होते बौद्ध धर्म को संरक्षण देकर न केवल उसे बचाया बल्कि उसका

प्रचार पड़ोसी देशों- तिब्बत, नेपाल, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया में भी किया। उसकी ही प्रेरणा से जावा में बोरोबुदूर का बौद्ध मंदिर बनाया गया।

प्रश्न: 3. लॉर्ड कर्ज़न की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर: भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्ज़न ने 1899 ई. से 1905 ई. तक अपनी सेवाएँ दीं। उनकी नीतियों से प्रतीत होता है कि वे एक साम्राज्यवादी प्रशासक थे। विदेश नीति में रूसी खतरे को रोकने के लिये लगातार अफगानिस्तान और ईरान में हस्तक्षेप करना तथा तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजकर उसे अपने अनुकूल बनाना उनकी आक्रामक नीति का उदाहरण है।

घरेलू नीति में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उभार को जिस तरह से रोकने का प्रयास किया उसने समूचे राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा दे दी। सबसे पहले 1899 ई. में कलकत्ता नगर निगम में चुने गए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। इसके पश्चात् 1904 ई. में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया और विद्यालयों की संबद्धता का प्रश्न सरकारी अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया। अभी राष्ट्रवादी इन नीतियों का समुचित विरोध कर पाते तभी 1905 ई. में बंगाल की बढ़ती राष्ट्रवादी ताकत को समाप्त करने के लिये उसके विभाजन की घोषणा कर दी गई।

बंगाल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया कि आधुनिक भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का आगाज हो गया यानी पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल बनाया गया तथा लगातार सरकार की तरफ से सांप्रदायिक विभाजन और हिंसा को बढ़ावा दिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने बंगाल विभाजन का प्रतिरोध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाकर किया। इसी स्वदेशी और बहिष्कार ने आगे गांधीजी के आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई। स्वदेशी के तहत भारतीय उद्योगों की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय कालेज बनाए गए, कला के क्षेत्र में भी प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय कला से प्रेरणा ग्रहण की गई। यह पहला ऐसा आंदोलन था जो राष्ट्रीय छवि ग्रहण करता हुआ पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन में शहरी महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा शहर और गाँव के गरीब लोगों की भी सीमित भागीदारी देखी गई।

यद्यपि 1908 ई. तक आते-आते स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा लेकिन इसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के लिये नींव तैयार कर दी। सर्वप्रथम आंदोलन की असफलता से निराश कुछ नवयुवकों ने व्यक्तिगत बहादुरी वाले क्रांतिकारी आतंकवाद का रास्ता पकड़ लिया। इसके अलावा, इस आंदोलन ने नरमदलीय संवैधानिक राजनीति का खात्मा करके उग्र राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में आम लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया और उन्हें स्वदेशी व बहिष्कार जैसे राजनीतिक हथियार से लैस किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ यह पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था जो भावी संघर्ष का बीज बोकर समाप्त हुआ।

प्रश्न: 4. परि-प्रशांत क्षेत्र के भू-भौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिये।

उत्तर: परि-प्रशांत क्षेत्र प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित लगभग 40,000 किमी. के क्षेत्र में 'घोड़े की नाल' के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसे 'अग्नि वलय' (Ring of Fire) के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी (सक्रिय एवं सुषुप्त) इसी क्षेत्र में आते हैं, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर अवस्थित है।

प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंतर्गत स्थित यह क्षेत्र अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है, जहाँ इसका अभिसरण महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों से होता है। महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, भारतीय प्लेट तथा महासागरीय प्लेट के अंतर्गत फिलीपाइंस प्लेट और कोकोस प्लेटों से प्रशांत महासागरीय प्लेट की सीमा पाई जाती है।

उपरोक्त स्थिति में महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से संबंधित अभिसारी प्लेट सीमांत पर जहाँ प्लेटों की आपसी टक्कर से महासागरीय (प्रशांत महासागरीय) प्लेट का गहराई में क्षेपण होता होता है, वहीं क्षेपित प्लेट के तापमान में वृद्धि से भूपर्पटी (क्रस्ट) का आंशिक गलन होने के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। यही मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो ज्वालामुखी क्रिया होती है। वहीं महासागरीय प्लेटों के क्षेपण के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है।

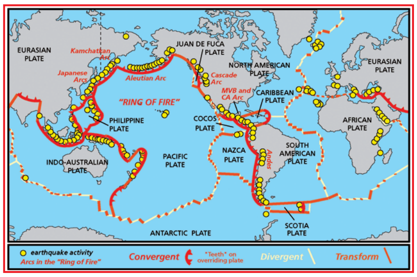

वस्तुत: भूकंप एवं ज्वालामुखीयता से प्रभावित यह क्षेत्र प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन आदि से संबंधित है। वर्तमान में इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गतिविधियाँ देखी गई हैं जो सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप आदि के रूप में उभरकर आई हैं।

प्रश्न: 5. मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएँ नहीं होती हैं। उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिये।

उत्तर: मरुस्थलीकरण एक ऐसी भौगोलिक प्रक्रिया है जिसमें उर्वर भूमि मरुस्थलीय भूमि में विकसित होने लगती है। इसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कारणों से शुष्क, अर्द्ध-शुष्क, निर्जल इलाकों की ज़मीन रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता में ह्रास होता है। मरुस्थलीकरण से प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षरण तो होता ही है, साथ ही कृषि उत्पादकता, पशुधन एवं जलवायवीय घटनाएँ भी प्रभावित होती हैं। सूखा, तापमान में वृद्धि, वर्षा का न होना आदि प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानवजनित कारक भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में उत्तरदायी हैं।

अनुकूल जलवायविक दशाओं के पाए जाने पर भी यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, जिसके लिये मानवीय कारक उत्तरदायी हैं। जो निम्नलिखित हैं-

- मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में अतिचराई प्रमुख कारण है। परती भूमि में पशुओं द्वारा पौधों को चरने के कारण भूमि बंजरता में वृद्धि हुई है।
- शहरी जीवनशैली, औद्योगीकरण के कारण, मकान एवं फैक्ट्रियों की प्रतिस्पर्द्धा के कारण वनों का संकुचन एवं मैदानों की अनुपलब्धता भी प्रमुख कारण है।
- खनन कार्यों, खुदाई से निकले मलबों को वैसे ही छोड़ देने पर भूमि की उर्वरता पर

नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता निम्न हो जाती है।

- उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी जुताई, अनुपयुक्त सिंचाई पद्धति, रेतीले पहाड़ी ढलानों में कृषि आदि से मरुस्थलीकरण की क्रिया तेज़ होती है।
- वन अपरोपण, भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन तथा मानवीय कारणों के कारण जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, जनसंख्या दबाव आदि के कारण मरुस्थलों में विस्तार पाया जाता है।

उदाहरण के तौर पर साहेल क्षेत्र, जो पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण करता है जिसका प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास, एरिजोना, न्यूमैक्सिको भी मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र है। भारत के संदर्भ में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत का वृष्टिछाया प्रदेश तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र मरुस्थल प्रभावित हैं। जिसका कारण एक फसलीय कृषि पद्धति, निर्वनीकरण, अतिपशुचारण, उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, जल प्रबंधन का अभाव, जैसे चंबल क्षेत्र आदि हैं।

स्पष्ट है कि मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा समस्त विश्व के लिये जलवायु परिवर्तन का ही परिणामी रूप है अतः इसके लिये तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन की निरंतरता को बनाए रखा जा सके।

प्रश्नः 6. हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल-संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा?

उत्तरः वर्तमान समय में जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, उसके नकारात्मक प्रभाव व्यापक रूप में दिखने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव हिमनदों पर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमनदों के पिघलने की दर सामान्य की अपेक्षा तीव्रता से बढ़ी है। उसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप के हिमनद सबसे ज्यादा तीव्रता से पिघल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर वर्तमान दर से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो आने वाले 50-100 वर्षों में हिमालयी हिमनद पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे।

हिमालयी हिमनद एवं जलवायु परिवर्तन के मध्य संबंध है परंतु परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं जो हिमालयी हिमनदों के पिघलने के लिये उत्तरदायी हैं। हिमालयी हिमनदों के पिघलने से भारतीय जल संसाधनों पर निम्नलिखित दूरगामी प्रभाव होंगे-

- हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने से उसके समाप्त होने का खतरा उत्पन्न होगा, जो भारत की सतत् वाहिनी नदियों, जैसे- गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि के लिये ताज़े जल का प्रमुख स्रोत है।
- हिमालयी ग्लेशियर का पिघलना पहले नदियों के जल में बाढ़ का कारण बनेगा एवं बाद में ग्लेशियर के गायब होने का भी।
- कोसी, सोन, गंगा एवं यमुना जैसी नदियाँ इंडो-गंगेटिक इकोसिस्टम से नज़दीकी से जुड़ी हैं एवं जिन पर अधिकांश भारतीय कृषक अपनी प्राथमिक आजीविका हेतु निर्भर हैं। अतः इस क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे खाद्य मांग को पूरा करना मुश्किल होगा।
- हिमनदों के तेज़ी से पिघलने के कारण बढ़ते समुद्र स्तर के प्रभाव से द्वीपीय देशों और भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में बार-बार आने वाली बाढ़ को स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा।
- अनुप्रवाह क्षेत्रों में जल स्तर में कमी होने के कारण भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, जलप्रवाह कम होने से जलविद्युत हेतु बांधों में जल स्तर की कमी होगी जिससे ऊर्जा उत्पादन कम होगा, साथ ही भूमिगत जल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।
- हिमनदों के पिघलने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम झीलों का निर्माण होगा जिससे इस जल का उपयोग नहीं हो पाएगा, साथ ही इन झीलों के टूटने से बाढ़ एवं भूकंप की स्थिति उत्पन्न होगी।
- हिमनदों के पिघलने से भारत की महत्त्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना' अप्रासंगिक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, सागरों में स्वच्छ जलापूर्ति के कारण लवणता में कमी आएगी जिससे जलीय जैव-विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- हिमनदों के पिघलने के कारण आने वाली आपदाएँ और अचानक हुए परिवर्तन देश की सीमाओं के बाहर तक प्रभाव डालेंगे जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में संघर्ष आसानी से भड़क सकते हैं। उपमहाद्वीप में पड़ोसी देशों के बीच नदी जल के बँटवारे जैसे मुद्दे हिमनदों के तेज़ी से पिघलने की वजह से बढ़ सकते हैं।

निष्कर्षतः हिमालयी हिमनदों के पिघलने से भारत के जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है अतः इसके लिये समन्वित नियोजन की ओर प्रयास करना चाहिये। वस्तुतः राष्ट्रीय स्तर पर, जल प्रबंधन को अल्पकालिक दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित किया जाता है, जिसमें दीर्घकालिक परिणामों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करके दीर्घकालीन रणनीति को महत्त्व प्रदान किया जाना चाहिये।

प्रश्नः 7. वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइये।

उत्तरः लौह एवं इस्पात उद्योग आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी है। लौह अयस्क, लौह एवं इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल है अतः इस उद्योग की स्थापना लौह अयस्क की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में की जाती है जिसका मूल कारण परिवहन लागत के खर्च को बचाना है, क्योंकि लौह एवं इस्पात उद्योग एक भारह्रासी उद्योग की श्रेणी में आता है। परंतु कालांतर में विश्व लौह-इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन आया है जिसने उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित किया है। अब यह कच्चे माल की उपलब्धता के साथ-साथ बाज़ार की उपलब्धता व अन्य कारकों पर भी आधारित हो गया है, जो निम्नलिखित हैं-

- कच्चे माल के संयोजन तथा उत्पादों के विपणन हेतु भूमि या जल द्वारा परिवहन आवश्यक है। अतः वर्तमान में तटीय क्षेत्रों के निकट इसकी स्थानीयता में वृद्धि हुई है। उदाहरणस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो, जापान में ओसाका क्षेत्र, तो वहीं भारत में विशाखापत्तनम में लौह-इस्पात उद्योग की स्थापना दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया से आयातित कोयले के कारण हुई है।
- खुली भट्टी प्रणाली, इलेक्ट्रिक स्मेल्टर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी; सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता उद्योगों की उत्पादन लागत को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। उदाहरण के लिये गाज़ियाबाद में भूषण स्टील लिमिटेड की स्थापना।

- उद्योगों की स्थापना में औद्योगिक जड़ता की भूमिका के कारण वे अपने मूल प्रतिष्ठान के स्थान पर ही विकसित होते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग, जर्मनी का रूर प्रदेश शामिल हैं।
- क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने, वायु एवं जल प्रदूषण को खत्म करने तथा बड़े शहरों में उद्योगों के वृहद् समूहीकरण की रोकथाम हेतु उद्योगों के वितरण की योजना बनाने में सरकारी नीतियाँ भी अवस्थिति कारक बन गई हैं।
- उद्योगों की अवस्थिति में राजनीतिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं। उदाहरणस्वरूप द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा नीतियों में बदलाव किये गए; परिणामतः यूएसए द्वारा पश्चिमी तटों पर तथा सोवियत संघ द्वारा पूर्व की ओर प्रशांत तटीय क्षेत्रों पर उद्योगों को प्रतिस्थापित किया गया।
- उद्योगों की अवस्थिति को बाज़ार भी निर्धारित करता है ताकि विनिर्मित उत्पाद को बेचकर लाभ कमाया जा सके। मॉस्को, जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका के अप्लेशियन तट पर लौह-इस्पात उद्योग की स्थापना अटलांटिक तट पर बसे देशों में बाज़ार की सुनिश्चितता पर की गई है।

उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त जलवायविक दशाएँ, श्रम, पूंजी, ऊर्जा संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता तथा ऐतिहासिक कारक भी लौह-इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप के परिवर्तन हेतु ज़िम्मेदार हैं। वास्तव में परिवहन सुविधा तथा बाज़ार की अवस्थिति लौह एवं इस्पात उद्योगों को कच्चे माल से दूर स्थापित करने में महत्वपूर्ण कारक हैं।

प्रश्न: 8. बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिये।

उत्तर: जाति व्यवस्था भारतीय समाज का आधारभूत लक्षण है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में कमज़ोर अवश्य हुई है, किंतु यह समाप्त होने की अपेक्षा संक्रमण काल से गुज़र रहे भारतीय समाज के साथ नए संदर्भों में पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है-

- संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिये शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में आरक्षण का प्रावधान है। इससे पिछले 7 दशकों में कुछ उपेक्षित और पिछड़ी जातियों का समाज में वर्चस्व बढ़ा है तो वहीं पूर्व मे आर्थिक और सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली रही जातियों का प्रभाव सीमित हुआ है। इसके फलस्वरूप जातिगत आधार पर आरक्षण के लिये नए आंदोलनों का उदय हुआ है, जैसे- जाट, पाटीदार और मराठा जातियों द्वारा आंदोलन।
- विभिन्न वर्गों में जातिगत सजगता मज़बूत हो रही है। इसे शहरी क्षेत्रों में स्थापित जातिगत संगठनों, जैसे- ब्राह्मण महासभा, अग्रवाल महासभा इत्यादि की स्थापना के रूप में देखा जा सकता है।
- जातियों के आधार पर प्रचलित विभिन्न रीति-रिवाज़ों, जैसे- ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार, क्षत्रियों में शस्त्र पूजा इत्यादि का प्रचलन।
- वर्तमान में समाचार पत्रों और वेबसाइट्स पर वैवाहिक विज्ञापन में जातिगत पहचान के आधार पर वैवाहिक रिश्तों को प्राथमिकता।
- राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर दल में पदों और चुनाव टिकट का वितरण तथा विशेष जाति समूह के आधार पर राजनीतिक दलों की पहचान। उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत आधार पर दलों की उपस्थिति।

यह सत्य है कि संस्कृतीकरण, पश्चिमीकरण, अंतरजातीय विवाह में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन, मध्यवर्ग के उदय जैसे कारकों के प्रभाव में जाति व्यवस्था शिथिल हुई है, किंतु उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है वर्तमान में भी जाति की प्रासंगिकता नए स्वरूप में बनी हुई है। वास्तव में वैश्वीकरण और शहरीकरण के प्रभाव में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था संक्रमण के दौर से गुज़र रही है तथा जातियों का आर्थिक स्थितियों के अनुसार वर्गों में विभाजन हो रहा है।

प्रश्न: 9. कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं ग़रीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 20 वर्षों में पहली बार गरीबी के स्तर में वृद्धि हो सकती है। मध्यम आय वाले भारत जैसे देश में उच्च गरीबी का सामना कर रही जनसंख्या की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से एक ओर जहाँ वर्गीय असमानता में वृद्धि हो सकती है तो वहीं दूसरी ओर 'नए गरीब' वर्ग का उदय भी हो सकता है। वर्ष 2006 से 2016 के मध्य भारत ने 271 मिलियन लोगों को बहुस्तरीय गरीबी रेखा के स्तर से बाहर निकाला है। किंतु कोविड के कारण धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन का अनौपचारिक क्षेत्र पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ा है जिस पर प्रवासी श्रमिकों और रेहड़ी-पटरी वालों सहित 85 प्रतिशत कार्यबल निर्भर है।

दरअसल शहरी क्षेत्रों में कार्यरत रेहड़ी-पटरी वाले सामाजिक संरक्षण के अभाव और ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रचलन के कारण पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कोविड से संकुचित अर्थव्यवस्था ने इनकी सुभेद्यता को अधिक बढ़ा दिया है। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान आय के अभाव में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों का ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या बढ़ रही है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि बाधित होने से नए गरीब वर्ग का उदय हो रहा है।

कोविड के दौरान लॉकडाउन में एक ओर तो महिलाओं की रोज़गार में भागीदारी कम हुई है तथा दूसरी ओर उनके अवैतनिक कार्य (पारिवारिक दायित्व) में प्रतिदिन 5 घंटे की वृद्धि हुई है। इसी तरह इस दौरान डिजिटल माध्यम से शिक्षा का प्रचलन बढ़ा हैं, किंतु देश में मात्र 25 प्रतिशत परिवारों के पास ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है जिससे एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित हो गया है। इस प्रकार लैंगिक और शैक्षणिक स्तर पर असमानता में वृद्धि हुई है।

कोविड के कारण गतिशील हुई असमानता और गरीबी ने समावेशी विकास लक्ष्यों के मार्ग में विचलन उत्पन्न कर दिया है जिससे निपटने के लिये पीएम स्वनिधि, पीएम ई-विद्या, दीक्षा, गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।

प्रश्न: 10. क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिये।

उत्तर: किसी राज्य अथवा क्षेत्र पर सांस्कृतिक वर्चस्व व भेदभावमूलक व्यवहार क्षेत्रीयतावाद को उत्पन्न करता है। लेकिन केवल सांस्कृतिक मुखरता ही क्षेत्रीयतावाद का एकमात्र कारण नहीं है।

भारत में क्षेत्रीयतावाद की समस्या आज़ादी के बाद से ही दिखने लगी। तमिलनाडु में डीएमके द्वारा चलाया गया तमिल आंदोलन और 1950 के दशक में 'भूमि पुत्र' देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने विविधता में एकता का नारा देकर बहुत हद तक उभरते क्षेत्रीयतावाद को राष्ट्रवाद विरोधी नहीं बनने दिया। इसके अलावा उन्होंने भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर क्षेत्रीय सांस्कृतिक अस्मिता को संतुष्ट करने के लिये प्रशासनिक समाधान देने की भी कोशिश की।

इस सबके बावजूद कई ऐसे कारण हैं जो क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देते रहते हैं-

राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता क्षेत्रीयतावाद को बढ़ाने में एक प्रमुख कारक है। इसे संतुलित करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं और वित्त आयोग के ज़रिये प्रयास किये जाते रहे हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की असफलता, जैसे- भ्रष्टाचार का उच्च स्तर, कमज़ोर प्रशासन तथा कानून व्यवस्था के गिरने का भी क्षेत्रीयतावाद से सीधा जुड़ाव है।

सांस्कृतिक विविधता भी एक कारण के रूप में क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देती है।

रोज़गार की तलाश में प्रवासी लोगों के आने से क्षेत्र के मूल निवासी खुद असुरक्षित महसूस करते हैं जिसका राजनीतिक लाभ लेने के लिये स्थानीय नेता क्षेत्रीयतावाद को भड़काने में ज़रा भी पीछे नहीं रहते।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षेत्रीयतावाद एक संकीर्ण नज़रिये का द्योतक है, अन्यथा एक राष्ट्र के रूप में हम सबका कर्त्तव्य है कि बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें।

प्रश्न: 11. भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिये।

उत्तर: कोई भी निर्माण बिना किसी विचार या अवधारणा के शून्य में नहीं किया जा सकता। भारत में जो भी स्मारक बनाए गए हैं, वे निश्चित ही भारतीय दर्शन एवं परंपरा से प्रभावित और परिचालित होकर बनाए गए हैं।

हड़प्पाकालीन घरों के नक्शे वर्तमान तक बनाए जाने वाले घरों के ढाँचों को प्रभावित करते रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि एक सूक्ष्म विचार तब से लेकर आज तक गृह निर्माण में प्रयोग किया जाता रहा, यथा- एक चौकोर आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण आदि।

ऐतिहासिक भारत के आरंभिक स्मारक, जैसे- स्तूप, चैत्य, विहार आदि बौद्ध धर्म-दर्शन से प्रभावित होकर बनाए गए हैं। आनंद कुमारस्वामी जैसे विद्वानों ने भारतीय कला के गंभीर आध्यात्मिक पक्षों को बताने का प्रयास किया है।

मंदिर या चैत्य वैसी पवित्र भूमि को कहते हैं जिसके दायरे में उपासना की जाती है। प्राचीनतम मंदिरों में यक्ष-यक्षिणी तथा नाग-नागिन की स्थापना की गई थी जो प्राकृतिक धर्म के प्रतीक के रूप में देखे जा सकते हैं।

आरंभ में बौद्ध संघ से जुड़े आवासीय सह-उपासना स्थलों को संघाराम कहा जाता था। इन परिसरों में ही बौद्ध स्तूप और चैत्य अवस्थित होते थे। बौद्ध काल में स्तूपों को ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता है। यह बुद्ध के परिनिर्वाण का भी प्रतीक है। बुद्ध तथा अन्य प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के स्मृति चिह्न इन स्तूपों में संगृहीत किये जाते थे जो बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के लिये उपासना के केंद्र बन गए। आगे चलकर स्मृति चिह्न की उपासना के स्थान पर स्तूप ही उपास्य वस्तु बन गए। स्तूपों का निर्माण बड़े नगरों के निकट ही किया गया, जैसे- 'मृगदाव' काशी के निकट, 'धर्मराजिक स्तूप' तक्षशिला के निकट, 'सांची स्तूप' विदिशा के निकट, 'अमरावती स्तूप' धरणीकोट के निकट, 'नागार्जुनकोंडा स्तूप' विजयापुरी के निकट।

स्तूपों के चारों ओर बनाए गए तोरण द्वारों को मूर्तियों से अलंकृत किया गया है जिनमें बुद्ध के जीवन से संबंधित कथा और उसके पात्रों का अंकन हुआ है। इसे सांची के स्तूप के तोरणद्वार में देखा जा सकता है।

मध्य भारत और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में शैलकृत स्थापत्य बौद्ध और जैन भिक्षुओं के रिहाइश और पूजास्थल के रूप में बनाए गए हैं। भज और कार्ले के शैलकृत चैत्य एक विकासक्रम को दर्शाते हैं जिसमें सादगीपूर्ण सुरुचि से समृद्ध अलंकृत साज-सज्जा का दर्शन मिलता है। यह बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण के साथ-साथ आमजन और धनाढ्य वर्ग में बढ़ती लोकप्रियता का द्योतक है। उपासना की दृष्टि से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम भारत में महायान संप्रदाय के तहत किया गया। इन मूर्तियों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी स्मारक के बनाया गया अथवा इन्हें स्तूपों पर या उनके तोरण द्वारों पर निर्मित किया गया।

बुद्ध की मूर्तियों के प्रभाव में ब्राह्मण धर्म में भी विष्णु, दुर्गा, शिव, गणेश आदि की मूर्तियाँ निर्मित की जाने लगीं और मूर्ति पूजा को यज्ञ-हवन के कर्मकांड के ऊपर तरजीह मिलने लगी।

इन मूर्तियों को एक विशेष स्मारक में प्रतिष्ठित किया गया जिसे मंदिर कहा गया। मंदिर और मूर्तियों की पूजा ने ब्राह्मण धर्म को ईश्वर की भक्ति से जोड़ दिया और भक्त द्वारा की गई उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर के प्रसादस्वरूप धन-धान्य और यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति की कल्पना की गई।

समूचे भारत में गुप्त काल और उसके पश्चात् मंदिरों का निर्माण नागर, बेसर और द्रविड़ शैली के तहत किया गया। गुप्तकालीन मंदिर जहाँ मंदिर निर्माण की आरंभिक संरचना के द्योतक हैं, वहीं पूर्व-मध्यकालीन मंदिर अपनी सर्वोत्कृष्टता में दिखाई पड़ते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर पंचायतन शैली में बनाए गए हैं जिनमें प्रमुख देवता का मंदिर केंद्र में और गौण देवताओं के मंदिर चारों कोनों पर बनाए गए। इस शैली पर कहीं न कहीं पूर्व-मध्यकालीन राजनीति के सामंती विचारों का प्रभाव दिखाई देता है जिसमें राजा और उसके सामंतों की पदानुक्रमिकता सुनिश्चित होती थी।

मौर्योत्तर काल और उसके पश्चात् राजपद का दैवीयकरण किया जाने लगा जिसके तहत राजा का गुणगान किसी देवता की तरह होने लगा। यहाँ तक कि राजा की मूर्ति बनाने और उसकी पूजा करने के उदाहरण भी मिलने लगे। राजाओं द्वारा अपनी ख्याति को बनाए रखने के लिये बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे राजराज द्वारा वृहदेश्वर मंदिर तथा चंदेल राजाओं के संरक्षण में बनाए गए खजुराहो के मंदिर।

मंदिर सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति भी करते थे। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के सभी निर्णय मंदिर प्रांगण की बैठकों में लिये जाते थे। मंदिरों को मिलने वाले धार्मिक अनुदान और बड़े भू-खंड आर्थिक क्रियाकलापों में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाते थे।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन और परंपरा का गहरा प्रभाव स्मारकों के निर्माण और उनकी कला पर दृष्टिगोचर होता है।

प्रश्न: 12. मध्यकालीन भारत में फ़ारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब हैं। टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना के साथ राजकीय/दरबारी लेखन के रूप में फारसी भाषा को अपना लिया गया। सल्तनत और मुगल इतिहास को जानने के लिये प्रमुख और प्राथमिक स्रोत के रूप में फारसी 'तारीख' रचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। हसन निज़ामी कृत 'ताजुल मासिर' में गोरी के आक्रमण और गुलाम वंश का आरंभिक इतिहास लिखा गया है। इस इतिहास को मिनहाज सिराज ने अपनी कृति 'तबकात-ए-नासिरी' में आगे बढ़ाया।

उनके इतिहास को और आगे बढ़ाते हुए जियाउद्दीन बरनी ने 'तारीख-ए-फीरोज़शाही' की रचना की। उसने न केवल समकालीन शासकों की नीतियों और कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया अपितु उनकी समीक्षा भी प्रस्तुत की। यहाँ तक कि राजत्व से संबंधित ग्रंथ 'फतवा-ए-जहाँदारी' की रचना कर सुल्तान के कर्त्तव्यों की व्याख्या भी कर डाली। तारीख-ए-सलातीन-ए-अफगानिया लिखकर अहमद यादगार ने सल्तनत के इतिहास को अफगान शासकों के इतिहास तक विस्तृत कर दिया।

उसके पश्चात् अबुल फज़ल के 'अकबरनामा' ने फारसी ऐतिहासिक महाकाव्य की ख्याति अर्जित की। इसी के एक भाग आइन-ए-अकबरी में तत्कालीन अर्थव्यवस्था का सांख्यिकीय लेखा-जोखा और सामाजिक स्थिति पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

सल्तनतकालीन अमीर खुसरो अपने लेखन में एक कवि का माधुर्य घोलते हैं। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे बल्कि भाषागत प्रयोग करते हुए फारसी और हिन्दवी मिश्रित छंदों की भी रचना की। अपनी कृति नूह सिपिहर में अमीर खुसरो भारत, उसकी जलवायु, उसके पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, भारत के लोग सबकी प्रशंसा करते नज़र आते हैं। वे अपने आपको 'तूती-ए-हिंद' यानी भारत का तोता कहते हैं। उन्होंने अपने लेखन से हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आरंभिक विकास को गति प्रदान की।

मध्यकालीन फारसी साहित्य में बड़ी संख्या में धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की भी रचना हुई। फारसी साहित्य की एक विशिष्ट शैली 'मल्फ़ुजात' (प्रमुख सूफी संतों के साथ संवाद या प्रवचन) के रूप में प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के मल्फ़ुजात 'फवायद-उल-फुवाद' के नाम से प्रसिद्ध हैं जिसकी रचना अमीर हसन सिज्जी ने की थी। मल्फ़ुजातों में सूफी संतों का जीवन-वृत्त और तत्कालीन सामाजिक-धार्मिक जीवन का परिचय मिलता है।

सल्तनत काल से शुरू होकर मुगल काल तक संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद कर फारसी को युगीन साहित्य बनाने का प्रयास किया गया। वस्तुतः इस कदम से फारसी को एक समन्वित संस्कृति के साहित्य के रूप में विकसित किया गया। सर्वप्रथम जिया नक्शबी ने संस्कृत कहानियों का 'तूतीनामा' नाम से फारसी में अनुवाद किया। फिरोज़-शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने राज्य सहायता देकर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी भाषा में करवाकर उसे समृद्ध बनाया।

अकबर ने भी अनुवाद विभाग स्थापित कर वेदों, महाभारत, लीलावती आदि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह ने सिर्र-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया जिसका पहली बार यूरोपीय भाषा में अनुवाद कर यूरोप के लोग उपनिषदों से परिचित हुए और भारतीय दर्शन से अभिभूत हो गए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि फारसी साहित्य तत्कालीन राजदरबार, समाज, अर्थव्यवस्था, दर्शन-धर्म आदि सभी विषयों पर अपनी कृतियों के माध्यम से युग बोध को प्रतिबिंबित करती हुई भारतीय समन्वित संस्कृति को दर्शाता है। धीरे-धीरे हिंदू लेखक भी फारसी में लिखते हुए दिखाई देने लगते हैं, यथा- भीमसेन कृत 'नुस्खा-ए-दिलकुशा', ईश्वरदास कृत 'फुतुहात-ए-आलमगीरी' आदि।

प्रश्न: 13. 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिये।

उत्तर: 1920 का दशक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिये विभिन्न विचारधाराओं के समामेलन द्वारा अपने सामाजिक आधार को विस्तृत करने का दशक रहा। इसमें न केवल गांधी के असहयोग आंदोलन का योगदान था अपितु श्रमिक संघों, समाजवादियों, क्रांतिकारियों के आंदोलन ने भी अपनी भूमिका निभाई।

1920 ई. में खिलाफत-असहयोग आंदोलन के आरंभ ने राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार मुस्लिम वर्ग में भी कर दिया। गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग देकर मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार बना दिया। इसके अलावा उन्होंने छुआछूत को मिटाने का संकल्प लेकर असहयोग आंदोलन में दलित वर्ग की भागीदारी भी सुनिश्चित की।

असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात् विधानसभाओं में प्रवेश को लेकर कॉन्ग्रेसी नेताओं में वैचारिक मतभेद हो गए। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन कर सफलतापूर्वक विधानसभाओं में कॉन्ग्रेस के अप्रत्यक्ष सहयोग से स्वराज के प्रतिनिधि चुने गए और वहाँ उन्होंने सरकार के प्रस्तावों का विरोध कर या राष्ट्रीय हितों के पक्ष में प्रस्ताव पेश कर असहयोग की असफलता से उत्पन्न राजनीतिक शून्य को भरने का प्रयास किया।

दूसरी तरफ कॉन्ग्रेस के परिवर्तन विरोधी दल ने वल्लभभाई पटेल, राजगोपालाचारी और राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में रचनात्मक कार्यक्रम चलाकर छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके अलावा लोगों को खादी से जोड़कर स्वावलंबी बनाया गया। राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। इसी दशक में महिलाओं ने भी अपनी अस्मिता की पहचान के लिये पृथक् आंदोलन चलाया और ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना मारग्रेट कजिंस के नेतृत्व में की।

1920 ई. में ही श्रमिकों के राष्ट्रीय संघ 'अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस' (AITUC) की स्थापना हुई जिसने मज़दूरों को राष्ट्रीय स्तर पर न केवल संगठित किया बल्कि राष्ट्रीय नेताओं को अपना अध्यक्ष बनाकर उसने राष्ट्रीय आंदोलन में श्रमिक वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित किया। जनजातियों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन की लहर देखी गई।

यही वह दशक है जब कथित निचली जातियों में पूरे देश में अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन चलाए गए। यथा- 1925 ई. का आत्मसम्मान आंदोलन। यद्यपि ये संकीर्ण और

सीमित थे लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास के सहयोगी बने और जब समय आया तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में मज़बूती से खड़े हुए। इसी समय 1917 ई. की रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर मार्क्सवादी-समाजवादी विचारों का भारत में प्रचार-प्रसार हो रहा था। 1925 ई. में ही कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1928 में कृषक और मज़दूर संगठनों को मिलाकर 'अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल' की स्थापना हुई। इस पार्टी का लक्ष्य था स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में कॉन्ग्रेस का सहयोग करना और भारत को समाजवाद के लक्ष्य तक पहुँचाना।

1920 का दशक एक अन्य विचारधारा और उससे जुड़ी गतिविधियों का गवाह बना, जिसे क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना, ने जनता को सामाजिक, क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा देने का कार्यक्रम बनाया। उसने आज़ादी की शीघ्र प्राप्ति के लिये 'संगठित हथियारबंद क्रांति' करने का भी निर्णय लिया।

इस तरह यह प्रतीत होता है कि 1920 का दशक विभिन्न विचारधाराओं को समाहारित करता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक विस्तार का दशक बन गया।

प्रश्न: 14. नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल-परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर्संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर: केंद्र सरकार नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने हेतु नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी (National Interlinking of River Authority-NIRA) का गठन कर रही है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP) के तहत अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल को अंतर-बेसिन जल अंतरण परियोजनाओं के माध्यम से सूखाग्रस्त, बाढ़ एवं बाधित जल परिवहन जैसी समस्याओं के समाधान की परिकल्पना की गई है।

वस्तुत: नदियों के अंतर्योजन के तहत अधिक वर्षा से जल आधिक्य वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को वर्षा अभाव वाले सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा जो बाढ़ व सूखे को नियंत्रित करने में सहायक होगा। साथ ही, जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी। यह परियोजना कई बांधों और जलाशयों के निर्माण को परिकल्पित करती है। इसके माध्यम से शुष्क मौसम में जलप्रवाह में वृद्धि की जा सकती है, इससे नदियों में न्यूनतम जल प्रवाह बना रहेगा जो नौ-परिवहन, वन, मत्स्यपालन, वन्यजीवन संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आदि में सहायक होगा।

इसके अतिरिक्त, मानसून पर निर्भर भारतीय कृषि को सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में जलऊर्जा के रूप में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, वनीकरण आदि लाभों को पहुँचाया जा सकता है। परंतु नदी जोड़ो परियोजना में व्यावहारिक समस्याएँ अंतर्निहित हैं। वस्तुत: नदियाँ कई वर्षों के अंतराल पर अपना प्रवाह मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं जिससे भविष्य में भारी व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार परियोजना एक पारिस्थितिक आपदा हो सकती है क्योंकि इससे समुद्रों में ताज़े पानी के प्रवाह में कमी हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप जलीय जीवन को गंभीर रूप में खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इसके कारण तलछट प्रबंधन के कारण पारिस्थितिक तंत्र संरचनाओं में परिवर्तन होगा। साथ ही नए बांधों के निर्माण से आरक्षित व आवासीय भूमि के जलमग्न होने की संभावना में वृद्धि होगी जिससे तटीय क्षरण के साथ उपजाऊ भूमि को भी खतरा हो सकता है, परिणामस्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की आशंका है। मानवीय बस्तियों से बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, साथ ही बड़ी आबादी को पुनर्वासित करने की आवश्यकता होगी जिससे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हित प्रभावित होंगे तथा मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नदी जल बँटवारे के संबंध में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। एक अन्य पक्ष के रूप में नदियों को आपस में जोड़ने से प्रदूषित नदियाँ स्वच्छ जल को प्रदूषित कर सकती हैं।

वस्तुत: नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में प्राप्त हाने वाले लाभों तथा उसमें अंतर्निहित चुनौतियों से निपटने के संदर्भ में सरकार को वैकल्पिक रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना पर भी विचार करना चाहिये। नदी अंतर्योजन की आवश्यकता और व्यवहार्यता को मामले-दर-मामले के आधार पर देखना चाहिये, साथ ही संघीय मुद्दों को आसान बनाने का प्रयास करना चाहिये। इसके साथ ही जल प्रबंधन और संरक्षण के लिये जागरूकता अभियानों का क्रियान्वयन करना, नदियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना जैसे उपायों को व्यावहारिक करना चाहिये। जल संरक्षण के संदर्भ में मिहिर शाह पैनल की सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें लागू करना अच्छा सुझाव हो सकता है।

प्रश्न: 15. भारत में दशलक्षीय नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइये। स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइये।

उत्तर: मानसून में अक्सर भारत के कई प्रमुख महानगर जिनमें हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, पुणे, सूरत, कोलकाता, गुवाहाटी, और पटना प्रमुख हैं, जलमग्न हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में जान-माल का नुकसान होता है और सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। नगरीय बाढ़, ग्रामीण बाढ़ से काफी अलग है क्योंकि नगरीकरण के कारण जलभराव की स्थिति गंभीर हो जाती है।

नगरीय बाढ़ के कारणों में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारण उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत चक्रवाती तूफान और तड़ित झंझे के साथ वर्षा जैसी मौसमी घटनाएँ शामिल हैं। मानसून के दौरान तिरछी (Skewed) वर्षा, पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में स्थलाकृति में अचानक बदलाव भारत में नगरों में बाढ़ का एक कारण है।

वहीं विभिन्न मानवजनित घटनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवाती परिचलन और बादल फटने की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जो फ्लैश बाढ़ का कारण हैं। अनियोजित नगरीकरण नगरीय बाढ़ का प्रमुख कारण है। अनियोजित निर्माण गतिविधियाँ, नदी और झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों का अतिक्रमण, खराब जल निकासी, बाढ़ नियंत्रित संरचनाओं की विफलता, वनों की कटाई आदि बाढ़ की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय नगरों का पुराना और बदहाल ड्रेनेज सिस्टम, अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मल जमाव से नालियों का भराव एवं गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे का संचय आदि कारण नगरीय बाढ़ के प्रमुख कारण हैं।

गैर-ज़िम्मेदार कारक, जैसे- प्राकृतिक हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम पर कम ध्यान देना और बाढ़ नियंत्रण उपायों की कमी भी बाढ़ का प्रमुख

कारण है। बाढ़ प्रबंधन का इतिहास दर्शाता है कि आपदा प्रबंधन का अधिकांश ध्यान मुख्य रूप से बाढ़ पुनर्वास और राहत पर ही रहा है। कई जलाशयों और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक संयंत्रों में बाढ़ के स्तर की माप हेतु पर्याप्त गेजिंग स्टेशन नहीं है जो बाढ़ की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिये आवश्यक है।

अतः वर्तमान सरकारी प्रयासों के आलोक में नगरीय बाढ़ से निपटने की रणनीति निम्नलिखित हो सकती है–

- निर्णयन और बाढ़ शमन अवसंरचना संबंधी योजना के निर्माण में नगरीय स्थानीय निकायों की भूमिका को सशक्त करना चाहिये। इन्हें जागरूक बनाकर संधारणीय शहरी नियोजन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।
- प्रत्येक शहर की अपनी बाढ़ शमन योजना होनी चाहिये तथा जनहानि और संपत्ति नुकसान को न्यूनतम करने के लिये त्वरित, सुदृढ़, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया होनी चाहिये।
- नगरीकरण के कारण भूजल पुनर्भरण से निपटने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग जैसी वर्षा जल संचयन प्रणालियों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- भूमि उपयोग नीति में सुधार किया जाना चाहिये तथा नगरों में निचले इलाकों को पार्क और अन्य कम प्रभाव वाली मानवीय गतिविधियों के लिये आरक्षित किया जाना चाहिये।
- वेटलैंड्स, नगरीय झीलों, उनके जलग्रहण और फीडर चैनलों की सुरक्षा के लिये मज़बूत नियमों व कानूनों का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये तथा जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिये।

जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ एक अधिक सामान्य घटना बन गई है और असंगठित शहरी विकास ने स्थिति को और खराब कर दिया है। भारत को महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, असम, हैदराबाद आदि में आई हालिया बाढ़ से सबक लेते हुए इसमें अंतर्निहित कारणों की पहचान करनी चाहिये तथा तत्काल प्रभाव से केंद्र व राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों की सहभागिता से बाढ़ नियंत्रण के लिये अल्पकालीन और दीर्घकालीन सुधारात्मक उपाय प्रारंभ करने चाहिये।

प्रश्न: 16. भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभानवाएँ हैं। हालाँकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। विस्तृत वर्णन कीजिये।

उत्तर: सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त शक्ति या ऊर्जा से है। भारत कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय तथा कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के दक्षिणी राज्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। अतः यहाँ सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है तथा दिन की अवधि भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त भारत में वर्ष भर में औसतन 300 दिन सूर्य चमकता है। एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारतीय भू-भाग पर लगभग 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रतिवर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है।

ध्यातव्य है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर ऊर्जा (40%) तथा सोलर पार्क (40%) का है। वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना बढ़ने की संभावना है।

वस्तुतः भारत के पश्चिमी एवं दक्षिणी राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान प्रदान करते हैं। राज्यवार स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का स्थान है। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की विद्युत या गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है इसलिये सौर ऊर्जा को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

यद्यपि सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग भावी भारत के निर्माण में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, परंतु इसमें कुछ क्षेत्रीय भिन्नताएँ भी विद्यमान हैं जिससे मार्ग में चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, जो निम्नलिखित हैं–

- भारत की भौगोलिक अवस्थिति सौर ऊर्जा के विकास में विभिन्नता उत्पन्न कर सकती है। वस्तुतः भारत के दक्षिणी राज्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण सूर्यातप अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं तो वहीं पश्चिमी राज्यों, जैसे- राजस्थान में शुष्कता अधिक होने के कारण तापमान में अधिकता पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन का विकास संभव है।
- भारत के हिमालयी क्षेत्र में सूर्यातप की मात्रा कम होती है तथा दिन की अवधि भी कम होती है जिस कारण यहाँ सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएँ भी कम हैं।
- भारत के विभिन्न राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु व्यापक नीति विवरण (नियामक ढाँचा) उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य का नियामक ढाँचा और प्रक्रियाएँ अलग-अलग हैं, जिस कारण लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- भारत की जलवायविक दशाएँ सौर ऊर्जा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय मौसम की स्थिति में अनिश्चितता बनी होती है अतः सतत् ऊर्जा प्राप्त करने में असुविधा होगी।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ज़मीन की उपलब्धता में कमी विद्यमान हैं। वस्तुतः सौर फर्मों के लिये बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण सौर ऊर्जा के विकास में चुनौती उत्पन्न हो सकती है।

यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ण करने में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध है, किंतु इसके मार्ग में कुछ चुनौतियाँ भी विद्यमान है, जिनका सामना करने में एक बेहतर एवं प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार के संकल्प के कारण से निकट भविष्य में इस क्षेत्र में तेज़ी से विकास की संभावना है।

प्रश्न: 17. भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिये।

उत्तर: सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में वन आरंभ से ही मानव विकास के केंद्र में रहे हैं और इसलिये वनों के बिना मानवीय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालाँकि बीते कुछ वर्षों से जिस प्रकार बिना सोचे-समझे वनों की कटाई की जा रही है उसे देखते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही हमें इसके भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा

जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2019 भारत में वनों की स्थिति का आकलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वस्तुत: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कँटीले, पर्वतीय, मैंग्रोव आदि विभिन्न प्रकार के वनों की उपस्थिति पाई जाती है, जो भारत को आर्थिक, पर्यावरणीय, औषधीय तथा विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। वर्तमान में देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 33% से अधिक भू-भाग वनों से घिरा है तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा 21.67% है, साथ ही वन स्थिति रिपोर्ट-2017 की तुलना में आच्छादित क्षेत्रफल में 0.56% की वृद्धि देखी गई है।

परंतु बढ़ती जनसंख्या, वन आधारित उद्योगों और कृषि विस्तार हेतु वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वनों की उत्पादकता कुछ अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है जो पर्यावरण और विकास के मध्य संघर्ष को पूर्णत: स्पष्ट करता है।

वस्तुत: भारत के वनों में 'मृदा जैविक कार्बन' (Soil Organic Carbon-SOC) कार्बन स्टॉक में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन कार्बन को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन कम करने हेतु प्राकृतिक सिंक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। वर्तमान आकलनों के अनुसार, देश के वन क्षेत्र का कुल कार्बन स्टॉक 2017 की तुलना में लगभग 42.6 मिलियन टन अधिक है जो संभवत: भारत के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण की ओर सकारात्मक कदम है।

दूसरी ओर, देखा जाए तो किसी देश की संपन्नता उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि से अधिक वहाँ की जैव-विविधता से आँकी जाती है। भारत में प्राकृतिक पारितंत्र की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। परंतु वर्तमान औद्योगीकरण के चलते जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। तापमान में वृद्धि से निम्न अक्षांशीय विषुवतीय एवं उप-विषुवतीय वनों का खिसकाव उच्च अक्षांशीय शीतोष्ण वन क्षेत्रों की तरफ हो रहा है जो पारितंत्र को प्रभावित कर रहा है। गाँवों से वनों की दूरी बढ़ती गई है और उनकी अर्थव्यवस्था में वन क्षेत्रों का योगदान न्यूनतम होता जा रहा है, साथ ही वनाश्रित समुदायों पर इसका प्रभाव पलायन के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। मैंग्रोव वन जो बाढ़ एवं चक्रवात के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने में सहायक हैं, वे भी प्रभावित हैं।

वर्षण की मात्रा में कमी के कारण एवं मृदा नमी तनाव द्वारा मध्य भारत में साल के पेड़ों द्वारा सूखे टीक बहुल वनों के प्रतिस्थापन का खतरा बढ़ रहा है, जो मरुस्थलीकरण, सूखा एवं वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता के रूप में सामने आ रहा है। आकलन के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के वनावरण क्षेत्र में लगभग 0.45% की कमी आई है। साथ ही, राजधानी दिल्ली में वनावरण क्षेत्र में वृद्धि नाममात्र की ही है। धरती पर बढ़ता जन दबाव, वनों का दोहन और वैज्ञानिक प्रबंधन नीति की कमी जैसे कारणों से वनों की प्रभाविता में वृद्धि हुई है।

निष्कर्षत: ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत वृक्ष हैं तथा वृक्षों पर ही जीवन आश्रित है। ऐसे में यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो किसी भी जीव-जंतु का अस्तित्व नहीं होगा। अत: आवश्यक है कि वनों की कटाई और वृक्षारोपण जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा इस विषय को नीति-निर्माण के केंद्र में रखा जाए। साथ ही, वन उत्पादों पर प्राथमिक अधिकार उन समुदाओं का होना चाहिये जिनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति वनों पर निर्भर करती है।

प्रश्न: 18. क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में हैं? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिये।

उत्तर: वैश्वीकरण से आशय सिर्फ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिये सीमा खोलने से नहीं है बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति और सूचनाओं के आदान-प्रदान से भी है। इस प्रक्रिया में एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से प्रभावित होती है। भारत की विविधता और बहुलवाद पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं-

- आधुनिकीकरण और तकनीकीकरण के प्रभाव में अंग्रेज़ी का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। इस भाषायी एकलवाद से स्वदेशी भाषा और बोलियों पर संकट उत्पन्न रहा है। यूनेस्को के अनुसार 196 भारतीय भाषाएँ विलुप्त होने की स्थिति में हैं तथा अंडमान की 'ब्रू भाषा' विलुप्त हो गई है।
- वैश्वीकरण के प्रभाव में अब टियर-2 और टियर-3 नगरों में भी भारतीय परंपरागत भोज्य पदार्थों की अपेक्षा इटालियन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज़ इत्यादि खाद्य पदार्थों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।
- परंपरागत पहनावे का स्थान पाश्चात्य वस्त्र ले रहे हैं। वर्तमान में देश के युवाओं के मध्य जींस सबसे ज़्यादा प्रचलित वेशभूषा बन चुकी है।
- य कला पर भी वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। शास्त्रीय संगीत और नृत्य की अपेक्षा पश्चिमी नृत्य-संगीत, जैसे- सालसा, हिप-हॉप, जैज, पॉप इत्यादि की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है।
- देश में पश्चिमी पर्वों, जैसे- फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे इत्यादि की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसके साथ ही, भारतीय पर्वों होली और दीपावली पर मेगा इवेंटों का आयोजन भी वैश्वीकरण की उपभोक्तावादी संस्कृति का ही एक प्रभाव है।

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर वैश्वीकरण को देश की विविधता और बहुलवाद के लिये संकट और सांस्कृतिक एकरूपता का कारक कहा जाता है। जबकि वास्तव में यह वैश्वीकरण नहीं है बल्कि वैश्विक (ग्लोबल) उत्पादों और परंपराओं की स्थानीय (लोकल) मांग और अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन से उत्पन्न 'ग्लोकेलाइज़ेशन' है। इसे विविधता और बहुलवाद पर संकट की अपेक्षा विविध संस्कृतियों के समन्वय के रूप में देखा जा सकता है। इस ग्लोकेलाइज़ेशन में सिर्फ भारत ही पश्चिमी परंपराओं को नहीं अपना रहा है बल्कि भारतीय परंपराओं का प्रभाव भी अन्य देशों में बढ़ रहा है। इस 'ग्लोकेलाइज़ेशन' को निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं-

- भारत की शाकाहारी आबादी के लिये बर्गर में आलू का तथा थाई, चाइनीज़ इत्यादि भोजन में भारतीय मसालों का उपयोग होना।
- भारतीय लोक संगीत और पश्चिमी संगीत के फ्यूज़न से निर्मित इंडियन पॉप संगीत का प्रचलन।
- वस्त्रों के स्तर पर भारतीय कुर्ते और लुंगी के साथ क्रमश: जींस और शर्ट पहनने का प्रचलन।
- विदेशों में भारतीय पर्व दीपावली और होली पर विभिन्न आयोजन होना तथा भारतीय व्यंजनों का पश्चिम में बढ़ता प्रचलन।
- भारतीय 'योग' और 'आयुर्वेद' को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति तथा कोरोना काल में 'नमस्ते' का बढ़ता प्रचलन।

वास्तव में वैश्वीकरण बहुलवाद और विविधता पर संकट का कारण नहीं है बल्कि इनके विकास और प्रसार में सहयोगी है। वैश्वीकरण के प्रभाव से विभिन्न संस्कृतियों का एक-दूसरे से परिचय हो रहा है और उनके समन्वय से नवीन भोज्य पदार्थ, संगीत, नृत्य इत्यादि का सृजन हो रहा है।

प्रश्न: 19. रीति-रिवाज़ों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगतिविरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं?

उत्तर: परंपराओं से आशय व्यक्तियों के एक समुदाय के उन सभी रीति-रिवाज़ों, विचारों, आदतों और प्रथाओं के योग से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। रीति-रिवाज़ का संबंध दैनिक चर्या या जीवन की प्रमुख घटनाओं से होता है जो समुदाय के धर्म और त्योहार का भी हिस्सा होते हैं।

किसी समाज की व्यवस्था निर्धारण में परंपराओं की आधारभूत भूमिका होती है। इप्सोस मोरी ग्लोबल ट्रेंड (Ipsos Mori Global Trend) के एक सर्वे में 80 प्रतिशत व्यक्तियों ने सहमति व्यक्त की है कि परंपराएँ समाज के लिये महत्त्वपूर्ण होती हैं। एक समाज में अनेक परंपराएँ ऐसी होती हैं जिन्हें तर्क या प्रगति के विरोध में नहीं कहा जा सकता है, जैसे-

- जन्म के समय बच्चों को शहद चटाना या अन्नप्राशन संस्कार
- भोजन से पूर्व हस्त प्रक्षालन और परिवार द्वारा सामूहिक भोजन की परंपरा
- भारतीय समाज में प्रचलित मस्तक पर तिलक लगाने या नमस्कार करने की परंपरा
- देश के विभिन्न भागों में प्रचलित परंपरागत पर्व, जैसे- असम में माघ बिहू या पंजाब में बैसाखी का पर्व
- प्रकृति के प्रति आस्था और सम्मान
- अपने से बड़ों का सम्मान और चरण स्पर्श की परंपरा
- अपने पूर्वज और अस्तित्व के प्रति विश्वास और आस्था रखना
- दान और लंगर की परंपरा
- सूर्य नमस्कार और योग

उपर्युक्त परंपराओं और रीति-रिवाज़ों को किसी आधार पर न तो तर्क विरुद्ध ठहराया जा सकता है और न ही प्रगति विरोधी माना जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि परंपराएँ सदैव तर्क दबाने और प्रगति विरोध का कार्य करें बल्कि भारतीय समाज में प्रचलित प्रकृति पूजन जैसी परंपराएँ आधुनिक पर्यावरण संकट से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

हालाँकि हर समुदाय के स्तर पर कुछ रीति-रिवाज़ तर्क और प्रगति के विरोध में होते हैं, जैसे- सती प्रथा, बहु-विवाह, देवदासी, निकाह-हलाला आदि। एक प्रगतिशील समाज सदैव अपनी कुप्रथा और प्रगति विरोधी परंपराओं के उन्मूलन के लिये प्रयास करता रहता है। भारतीय समाज की कुप्रथाओं के उन्मूलन में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक रूप से सभी रीति-रिवाज़ और परंपराएँ तर्क को दबाकर प्रगति का विरोध नहीं करती हैं, बल्कि इसका एक छोटा सा अंश ही तर्क और प्रगति के विरुद्ध है जिसमें से अधिकांश कुप्रथाओं को वैधानिक और संवैधानिक उपायों के द्वारा उन्मूलित कर दिया गया है तथा अपनी विकास यात्रा में समाज समय के साथ अप्रासंगिक और अतार्किक हो चुकी परंपराओं को भी समाप्त करने का प्रयास करता रहता है।

प्रश्न: 20. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये।

उत्तर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का कार्यान्वयन ऐसे समय में किया गया है जब देश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था का संचालन डिजिटल माध्यम से हो रहा है। ऐसे में नई शिक्षा नीति में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण को केंद्रीय महत्त्व प्रदान किया गया है।

शिक्षा के डिजिटलीकरण में डिजिटल इंडिया पहल प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर सकती है। डिजिटल इंडिया के तहत ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल तक सार्वभौमिक पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम जैसी पहलें डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत में निम्नलिखित डिजिटल पहलों ने कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था संचालन में योगदान दिया है-

- पीएम ई-विद्या- यह एक व्यापक पहल है जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है।
- दीक्षा-दीक्षा (DIKSHA-डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) सभी राज्यों और केंद्र सरकार में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय मंच है। इसे वेब-पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- स्वयंप्रभा टीवी- जिनकी इंटरनेट तक पहुँच नहीं है उनके लिये 32 चैनल उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।
- दिव्यांगजन के लिये पहल- एक डीटीएच चैनल विशेष रूप से सांकेतिक भाषा में श्रवण बाधित छात्रों के लिये है। दृष्टिहीन एवं श्रवण बाधित छात्रों के लिये डिजिटल रूप से सुगम्य सूचना प्रणाली (डेसी) और सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री विकसित की गई है जो ऑनलाइन उपलब्ध है।
- ई-पाठ्यपुस्तक-ई-पाठ्यपुस्तकों को ई-पाठशाला वेब पोर्टल और मोबाइल एप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। इसमें 3,500 से अधिक डिजिटल किताबें विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं।
- एनआरओईआर- मुक्त शैक्षिक संसाधन का राष्ट्रीय भंडार (एनआरओईआर) ई-सामग्री का एक खुला भंडार है। लगभग 17,500 भागों में ई-सामग्री विभिन्न विषयों के लिये सभी ग्रेड में उपलब्ध हैं।
- मनोदर्पण- छात्रों, शिक्षकों एवं परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मनोदर्पण पोर्टल कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल करता है।

इन डिजिटल पहलों ने कोरोना के दौरान शिक्षण संस्थानों के बंद रहने पर भी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने में सहयोग प्रदान किया है। किंतु डिजिटल शिक्षा के प्रसार में कई बाधाएँ विद्यमान हैं, जैसे- देश के मात्र 25 प्रतिशत परिवारों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होना, छात्रों के पास डिजिटल उपकरण न होना, शिक्षक को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण न होना, छात्रों में अनुशासन की कमी इत्यादि।

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-2

प्रश्न: 1. "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की सदस्यता के लिये अर्हता एवं निरर्हता से संबंधित नियमों का तथा ऐसे चुनाव के संबंध में उत्पन्न विवादों के उपचारों का प्रावधान करता है। विदित हो कि अधिनियम की धारा 123(3) के अंतर्गत वर्णित धर्म, नस्ल व जाति आदि के आधार पर समुदाय में घृणा एवं दुश्मनी पैदा करने पर रोक के बावजूद चुनाव आयोग के पास चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऐसी घटनाओं की जाँच कराने का अधिकार नहीं है। अत: यह धारा जातिवाद, संप्रदायवाद जैसी विसंगतियों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। वहीं अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी नेताओं (कुछ अपराधों के लिये) को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। हालाँकि मुकदमे का सामना करने वाले (चाहे कितने भी गंभीर आरोप क्यों न हों) नेता चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं।

इस तरह की विसंगतियों को दूर करने हेतु अधिनियम के पर्याप्त सरलीकरण की आवश्यकता है ताकि भ्रष्ट आचरण वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य साबित किया जा सके। उम्मीदवारों के भ्रष्ट आचरण के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश भी की गई थी कि अधिनियम की धारा 123 के तहत झूठा हलफनामा दायर करने को भ्रष्ट आचरण माना जाए और इस तरह कानून की धारा 8A के तहत इस मामले में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाए, साथ ही 2 वर्ष की कैद का प्रावधान भी किया जाए।

प्रश्न: 2. "सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे।" विवेचना कीजिये।

उत्तर: प्रशासनिक व सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज में उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार में कमी लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम, 2005) को अधिनियमित किया गया।

इस कानून में किये गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे-

- इस संशोधित कानून से सूचना आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी, क्योंकि केंद्रीय व राज्य सूचना आयुक्तों की प्राथमिकता जन कल्याण से हटकर नौकरी की सुरक्षा पर होगी। साथ ही, इससे सूचना आयुक्तों की निष्पक्षता प्रभावित होगी।
- इस संशोधित कानून के माध्यम से गोपनीयता की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि सूचना के अधिकार की मूल भावना के विपरीत है।
- राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों का हनन सहकारी संघवाद में एक बाधा के रूप में है।

इस नए संशोधित कानून से सरकार की जवाबदेहिता और आम जनता की शासन में सहभागिता कम हो सकती है जो कहीं-न-कहीं लोकतंत्र और गुड-गवर्नेंस के लिये हानिकारक है। अत: सरकार को सूचना आयोग की शक्तियों, स्वायत्तता और कार्यकाल को स्थायी बनाने हेतु प्रयास करने चाहिये।

प्रश्न: 3. आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये।

उत्तर: भारतीय संविधान में अनुच्छेद-1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है तथा केंद्र व राज्यों को संवैधानिक अस्तित्व प्रदान किया गया है। भारतीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग, स्पर्द्धा की भावना से सामूहिक भागीदारी पर बल दिया जाता है।

भारत में केंद्र और राज्य दोनों में परस्पर सहयोग की भावना से समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा की जाती है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहभागितामूलक लोकतंत्र, नीति आयोग की स्थापना और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण हैं। वहीं विशेष परिस्थितियों में मज़बूत संघीय सरकार राज्यों के मध्य विवादों का समाधान, सहयोग व स्वायत्तता प्रदान कर उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती है। अनुदान, मॉडल एक्ट एवं सूचकांकों के माध्यम से राज्यों को रैंकिंग प्रदान कर स्पर्द्धात्मक संघवाद की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालाँकि राज्यों की तुलना में केंद्र में अधिक शक्तियाँ निहित होने के कारण गंभीर संघर्ष के मुद्दे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न करते हैं। एनआरसी, सीबीआई, किसान कानून व महामारी संबंधित नियम आदि हालिया उदाहरण केंद्र-राज्यों के मध्य संरक्षणात्मक व स्पर्द्धात्मक संबंधों को दर्शाते हैं। कुछ संवैधानिक प्रावधान, जैसे- राज्यपाल पद का राजनीतिकरण, विभिन्न विपक्षशासित राज्यों की केंद्र के साथ टकराव की स्थिति प्रतीकात्मक रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य संघर्ष को उत्पन्न करती है।

अंतिम रूप में, वर्तमान में विद्यमान संरचनाओं व विवादों का समाधान कर सहयोगात्मक एवं स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद को सशक्त किया जाना चाहिये तथा गंभीर संघर्ष की भावना को कम करते हुए भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिये।

प्रश्न: 4. हाल के समय में भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाएँ अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिये।

उत्तर: भारत की आधुनिक न्यायिक प्रणाली का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों की न्यायिक व्यवस्था का कई बिंदुओं पर अभिसरण होता है। किंतु भारतीय संविधान में नवाचारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा की कुछ न्यायिक विशेषता को भी शामिल किया गया है जिसके कारण कई बिंदुओं पर दोनों में अपसरण भी दृष्टिगोचर होता है।

अभिसरण के प्रमुख बिंदु

- भारत और यूके दोनों में न्यायिक स्वतंत्रता विद्यमान है जिसके तहत उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने के लिये संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है।
- भारत और यूके दोनों में ही विधि के शासन के अनुसार न्यायपालिका कार्य करती है।
- दोनों देशों में सामान्य कानून प्रणाली का अनुसरण होता है अर्थात् न्यायाधीशों और अर्द्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों को एक मिसाल के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- दोनों देशों में निम्नतर न्यायपालिका के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।

अपसरण के प्रमुख बिंदु

- भारत की तुलना में यूके में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कमज़ोर है। यहाँ लॉर्ड्स सभा में 12 विधि लॉर्ड्स शामिल होते हैं तथा इनकी भूमिका लॉर्ड्स सभा के इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायाधिकरण और अंतिम अपील न्यायालय के रूप में काम करने पर महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- यूके की न्यायपालिका 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है जबकि भारत में 'यथोचित विधि प्रक्रिया' को भी अपनाया गया है। इस प्रकार भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति विस्तृत है।
- ब्रिटिश न्यायपालिका सकारात्मक विधि के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। उसे 'नैसर्गिक विधि' के सिद्धांत के अनुसार संसद की शक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है, जबकि भारत में न्यायपालिका पर ऐसी कोई सीमा आरोपित नहीं है।
- भारत में न्यायिक तंत्र एकल और एकीकृत है जबकि यूके में इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड की पृथक् न्यायिक प्रणाली है।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भारत शासन अधिनियम, 1935 से कई व्यवस्थाओं को यथावत् अपना लिया गया है जिसके कारण दोनों देशों में न्याय प्रणाली अभिसरित होती है। किन्तु भारत में यूके की तरह संसदीय सर्वोच्चता की अपेक्षा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है जो भारतीय न्यायपालिका प्रणाली को यूके से अपसरित करके शक्तिशाली बनाता है।

प्रश्न: 5. 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर'! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिये इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिये? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिये इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?

उत्तर: 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर' की अवधारणा ब्रिटेन से संबंधित है जिसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष अपने दल से त्यागपत्र दे देता है तथा राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होकर कार्यों का निर्वहन करता है एवं इस कारण वह पुनः अनेक बार चुने जाने के योग्य होता है। वहीं भारतीय परंपरा में लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः सत्तारूढ़ दल से चुना जाता है व उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्षता एवं तटस्थता से अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।

वस्तुतः भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को धन-विधेयक का निर्धारण, दल-बदल कानून के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्न, सदन में चर्चा का विनियमन आदि विषयों पर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः इस पद हेतु स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता अनिवार्य शर्तें हो जाती हैं जिससे सदन की गरिमा बनाई रखी जा सके। परंतु राजस्थान, कर्नाटक और मणिपुर विधानसभा के हालिया विवादों से स्पष्ट है कि अध्यक्ष द्वारा राजनीतिक दल को ध्यान में रखते हेतु पक्षपातपूर्ण निर्णय भी लिये गए। अतः इस स्थिति में राजनीतिक आकांक्षाओं को दूर रखते हुए तटस्थता बनाए रखने हेतु 'एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर' जैसी कार्यप्रणाली को स्वीकारना आवश्यक हो जाता है।

परंतु यदि दूसरे पक्ष पर गौर करें तो यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त ब्रिटिश कार्यप्रणाली भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में सुदृढ़ कार्यशैली को विकसित करेगी। इसके अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागते हुए पुनः अध्यक्ष पद पर चुने जाने के इच्छुक हैं तो इस स्थिति में एक ही व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों के अवसर सीमित हो सकते हैं, साथ ही सदन की उत्पादकता, जवाबदेहिता और उत्तरदायिता प्रभावित हो सकती है। इससे विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर' की अवधारणा अध्यक्ष पद की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं तटस्थता बनाए रखने का एकमात्र समाधान नहीं है। इस संदर्भ में वी. एस. पेज समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए सुधार करना चाहिये जिसके अनुसार यदि अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता एवं कुशलता से कार्य करता है तो उसे पुनः अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिये।

प्रश्न: 6. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये।

उत्तर: 2011 की जनगणना के अनुसार देश में वृद्धजनों की संख्या 10.4 करोड़ है जो 2026 तक 17 करोड़ हो जाएगी। इसी तरह देश की कुल जनसंख्या में लगभग 22 प्रतिशत महिलाएँ प्रजनन आयु समूह में हैं तथा मातृ मृत्यु अनुपात 113 प्रति लाख के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में दो बड़े जनसमूह के लिये सुदृढ़ और पर्याप्त जराचिकित्सा और मातृ स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराकर ही सामाजिक विकास किया जा सकता है।

वृद्धजनों के लिये देखभाल की आवश्यकता

- वृद्धजनों का कमज़ोर रोगप्रतिरोधक क्षमता के कारण संक्रामक रोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना
- हृदय रोग और क्रोनिक रोगों का उच्च अनुपात
- आय और सामाजिक सुरक्षा के आभाव में आर्थिक निर्भरता, निरर्थकता और अकेलापन

मातृ स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता

- सयुंक्त राष्ट्र के अनुसार देश में 55 में से प्रत्येक एक महिला पर मातृ मृत्यु का खतरा होना
- महिलाओं में कम वज़न और रक्ताल्पता की समस्या, छुपी भूख और कुपोषण की समस्या
- महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या का प्रभाव नवजात वर्ग पर पड़ना और कुपोषण का दुष्चक्र बनना

महिला स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रमुख नीतियाँ

- लक्ष्य
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- जननी सुरक्षा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

इसके साथ ही आयुष्मान भारत सभी वर्गों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इन प्रयासों से इतर भी पोषण और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं और वृद्धजनों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करके संधारणीय विकास लक्ष्य-3 अर्थात् उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली को प्राप्त किया जा सके।

प्रश्न: 7. "आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है।" इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये।

उत्तर: संस्थागत गुणवत्ता एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यक्तिगत अधिकार, गुणवत्तापरक विनियमन और सेवाओं का वितरण, सहभागी व विकेंद्रीकृत निर्णयन, संचार आदि को समाहित किया जाता है। संस्थागत गुणवत्ता विकास की संभाव्यता को अनलॉक करती है, साथ ही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से ई-गवर्नेंस और लोकतंत्र को भी सुदृढ़ करती है।

सिविल सेवा प्रशासनिक संस्था का एक समुचित उदाहरण है, जो संस्थागत गुणवत्ता को सुदृढ़ करके देश में आर्थिक संवृद्धि और लोकतंत्र को एक सुनियोजित दिशा प्रदान कर सकती है, लेकिन सिविल सेवाओं में विद्यमान समस्याएँ, इस प्रक्रिया में बाधक हैं। अतः संस्थागत गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवाओं में निम्नलिखित सुधार किये जा सकते हैं -

- राजनीतिक तटस्थता का अनुपालन करते हुए विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय को बढ़ावा देना चाहिये।
- भ्रष्टाचार, लेटलतीफी, लालफीताशाही को नियंत्रित करके तथा नियामकीय गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए व्यापार सुगमता को बढ़ाया जा सकता है। डिजिटल क्रांति के दौर में नवाचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- प्रदर्शन आधारित आकलन को बढ़ावा देना तथा कॅरियर ब्यूरोक्रेसी से इतर नागरिक केंद्रित प्रशासन को अपनाना। सिविल सेवा में विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- नीति निर्माण और राजकोषीय प्रबंधन के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए मितव्ययिता, कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना।
- सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढाँचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना।

इन उपर्युक्त सुधारों को अपनाकर संस्थागत गुणवत्ता के प्रमुख आयामों को सुदृढ़ किया जा सकता है जो आर्थिक प्रदर्शन के साथ-साथ लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में भी सहायक होंगे। इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम 'मिशन कर्मयोगी' को मंज़ूरी दी गई है। इससे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के लक्ष्य के साथ-साथ मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को भी बल मिलेगा।

प्रश्न: 8. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है।" विवेचन कीजिये।

उत्तर: चौथी औद्योगिक क्रांति पिछली तीन औद्योगिक क्रांतियों से इतर भौतिक व डिजिटल स्पेस के संयोजन पर आधारित डिजिटल क्रांति है जो स्मार्ट फैक्ट्री की संकल्पना से संबंधित है। इसमें विभिन्न डिजिटल तकनीकों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि के साथ उत्पादन को समन्वित किया जाता है।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इस क्रांति ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अभिन्न अंग बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे गवर्नेंस के निम्नांकित इंटरैक्टिव मॉडल्स के माध्यम से समझा जा सकता है –

- **जीटूसी (G2C):** इसमें सरकार द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म, जैसे- MyGov, डिजीलॉकर, भीम एप, ई-पाठशाला, कॉमन सर्विस सेंटर, उमंग, मोबाइल गवर्नेंस आदि के माध्यम से नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुगम पहुँच को सुनिश्चित किया जाता है।
- **जीटूबी (G2B):** इसमें सरकार द्वारा व्यापार सुगमता को बढ़ाने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु ई-टेंडर, ई-टैक्सेशन, MCA21 व ई-बिज़ (e-BIZ) पहल, श्रम सुविधा पोर्टल आदि के माध्यम ई-गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जाता है।
- **जीटूजी (G2G):** इसमें विभिन्न स्तरों की सरकारों व उनकी शाखाओं के मध्य समन्वयन के माध्यम से ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-ऑफिस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) आदि सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।
- **जीटूई (G2E):** गवर्नेंस के इस मॉडल में सरकार, ई-सैलरी, ई-पेंशन, बायोमेट्रिक उपस्थिति, UAN, ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ कर्मचारियों को मुहैया कराकर उनकी दक्षता को संवर्द्धित करती है।

कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में ई-गवर्नेंस और डिजिटल क्रांति की प्रभाविता बढ़ गई है, लेकिन देश में ई-साक्षरता का अभाव, इंटरनेट की सीमित पहुँच से विभिन्न साइबर अपराधों, डिजिटल विभाजन में बढ़ोतरी इत्यादि गुड गवर्नेंस के लिये एक चुनौती के रूप में हैं।

अत: औद्योगिक क्रांति के इस चतुर्थ दौर में जब डाटा एक नए ईंधन के रूप में है, तो देश की डिजिटल संप्रभुता और डाटा के स्थानीयकरण की दिशा में वैधानिक प्रावधानों को अमल में लाया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने तथा इंटरनेट की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु भारतनेट परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिये।

प्रश्न: 9. कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) एक अंतर-सरकारी संगठन है तथा सामान्यत: अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देकर विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है।

वर्तमान कोविड-19 के दौर में यह संगठन समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर इस महामारी से बचाव को सुनिश्चित किया जा सके।

हालाँकि, कई मुद्दों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि इस महामारी के शुरुआती समय में डब्ल्यू.एच.ओ. की भूमिका के कारण ही दुनिया में इस वायरस को लेकर गलत सूचनाओं की भरमार हुई। शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यात्रा पर पाबंदियाँ न लगाने की सलाह देकर कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में भी देरी की। परिणामस्वरूप कई देशों ने जानकारी के अभाव के चलते इस महामारी से निपटने के लिये देर से कदम उठाए। वहीं दूसरी ओर यह संगठन तकनीकी भूमिका निभा पाने में भी असफल रहा क्योंकि यह लगातार इस वायरस के प्रकोप के कारण, उत्पत्ति और इसकी संक्रामकता को लेकर चीन के मूल्यांकन को ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता रहा।

विदित हो कि महामारी फैलने के बावजूद, जनवरी 2020 में जब सारे सबूत चीन की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता के उलट तस्वीर पेश कर रहे थे, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की इस प्रतिबद्धता के लिये उसकी तारीफ कर रहा था। डब्ल्यू.एच.ओ. की भूमिका को लेकर अमेरिका कई देशों ने भी आलोचना की है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक नेतृत्व खतरे में है। वैश्विक स्तर पर अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के प्रति विश्वास और पारदर्शिता का माहौल पुनर्निर्मित करने के लिये इस संगठन में पर्याप्त सुधारों की आवश्यकता है।

प्रश्न: 10. 'अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है।' उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: विदेशों में प्रवासी भारतीयों को न केवल उनकी संख्या की वजह से जाना जाता है बल्कि उनके योगदान के लिये उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। भारत के लगभग 1.8 करोड़ लोग दुनिया के अलग-अलग देशों में रहते हैं। इनमें से लगभग 27 लाख जनसंख्या अमेरिका में तथा लगभग 1.3 मिलियन यूरोप में हैं। इसके अतिरिक्त कनाडा, सऊदी अरब, मलेशिया, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर और नेपाल सहित अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है।

प्रवासी भारतीय अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उदाहरणस्वरूप भारतीय प्रवासियों द्वारा भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते में एक निर्णायक भूमिका निभाई गई थी। अमेरिका में वर्ष 2020 के अंत में संपन्न राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी भूमिका रही है। हाल ही में भारतीय मूल की कमला हेरिस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है तथा भारतीय मूल के चार सांसदों रोहित खन्ना, एमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल के अलावा 30 से ज़्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन में विभिन्न ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी सरकार के उच्च राजनीतिक पदों पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के चुनिंदा मंत्रियों में से एक हैं जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर (सरकारी वित्त मंत्रालय के चांसलर) जैसे महत्त्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसके अलावा इटली में लगभग 2 लाख से अधिक भारतीय डेयरी, कृषि और घरेलू सेवा क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

इन देशों में प्रवासी भारतीय समुदाय की बढ़ती भूमिका के चलते यह आशा की जा सकती है कि ये कोविड-19 से उपजी आर्थिक चुनौतियों में भी भारत के आर्थिक संबंधों को मज़बूती प्रदान कर आपसी रिश्तों को प्रगाढ़ करेंगे। साथ ही, वैश्विक राजनीति में भारतीय हितों की पूर्ति में सहायक साबित होंगे।

प्रश्नः 11. राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिये भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिये।

उत्तरः राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिये भारतीय संविधान कुछ प्रमुख प्रावधानों के कारण केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इनमें एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ तथा आपातकालीन प्रावधान प्रमुख हैं। महामारी अधिनियम, 1897 के अंतर्गत देश में महामारी के प्रसार पर रोकथाम हेतु प्रावधान किये गए हैं। यह अधिनियम सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की अवज्ञा करने पर दिये जाने वाले दंड को परिभाषित करता है, साथ ही यह 'सद्भावना' में किये गए किसी भी कार्य के लिये सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान इस अधिनियम में संशोधन करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2A केंद्र सरकार को भारत छोड़ने वाले तथा भारत पहुँचाने वाले जहाज़ों का निरीक्षण करने का अधिकार देती है और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार को ऐसे जहाज़ों को बंद करने का अधिकार होता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा से निपटने के लिये एक देशव्यापी योजना बनाने हेतु किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक समग्र, अग्रसक्रिय तकनीक संचालित और संवहनीय विकास रणनीति के द्वारा एक सुरक्षित और आपदा-प्रत्यास्थ भारत बनाना है, जिसमें सभी हितधारकों की मौजूदगी हो तथा जो रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति का पालन करती हो। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं में समन्वय कायम करना और आपदा-प्रत्यास्थ (आपदाओं में लचीली रणनीति) व संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है।

इनके अलावा, कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु हाल ही में पारित किये गए अधिनियमों, यथा- किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 के अंतर्गत क्रमशः अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक व्यापार तथा कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देना और किसानों को बिना किसी भी भय के प्रसंस्करणकर्त्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाना जैसे प्रमुख प्रावधान किये गए हैं।

उपर्युक्त अधिनियमों से स्पष्ट होता है कि देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिये भारतीय संविधान केंद्रीयकरण अथवा एकात्मकता की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।

प्रश्नः 12. न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये।

उत्तरः हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की परिकल्पना की गई है। जहाँ अनुच्छेद-121 और अनुच्छेद-211 के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल में न्यायधीशों के आचरण पर बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ, अनुच्छेद-122 और अनुच्छेद-212 न्यायालयों को विधायिका की आंतरिक कार्यवाही पर निर्णय लेने से रोकते हैं।

ध्यातव्य है कि न्यायिक विधायन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत है, जहाँ न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देती है। उच्चतम न्यायालय के अपने कई निर्णयों में अतिसक्रियता देखने को मिली है और कई मामलों में न्यायालय ने ऐसे निर्णय दिये हैं, जो विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के समान प्रतीत होते हैं।

हालाँकि, कानून को बनाए रखने और चलाने में न्यायपालिका की बहुत अहम भूमिका है। यह सिर्फ न्याय नहीं करती बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या कर संविधान के रक्षक के तौर पर काम करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिये जनहित याचिका के तौर पर मुकदमे का प्रावधान बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसमें पीड़ित पक्ष के अलावा भी किसी अन्य नागरिक द्वारा याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के तहत उठाए गए अब तक के मामलों से यह स्पष्ट होता है कि इसने बहुत व्यापक क्षेत्रों पर अपना सार्थक असर डाला है। विशेषकर कारागार और बन्दी, बालश्रम, सशस्त्र सेना, बंधुआ मज़दूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका को भी इसने गहराई तक प्रभावित किया है। जनहित याचिकाएँ 'लोकहित भावना' पर कार्य करती हैं। ये ऐसे न्यायिक उपकरण हैं जिनका लक्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना है, जिसके मद्देनज़र कार्यपालिका व विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है। यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्त्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है।

निष्कर्षतः न्यायिक विधायन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है, लेकिन भारत में इसके प्रमुख उपकरण के रूप में जनहित याचिका ने समय-समय पर पीड़ितों तक न्याय पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत कानून के शासन की रक्षा, मौलिक अधिकारों की सार्थक रूप में प्राप्ति तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित करना शामिल हैं।

प्रश्न: 13. भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता 'प्रकार्य, कार्यकर्त्ता व कोष' की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से 'प्रकार्यात्मकता' की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिये।

उत्तर: भारत में स्थानीय निकायों की स्थापना के माध्यम से शासन के विकेंद्रीकरण को संस्थागत करने के बाद स्थानीय निकायों का मुख्य फोकस इन संस्थानों के प्रकार्यों, कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति और वित्त की उपलब्धता पर था, जिसे निम्नवत् रूप में समझा जा सकता है-

- प्रकार्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, विद्युत की उपलब्धता तथा न्याय पंचायत के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। और इनके उन्नयन को लेकर केरल, कर्नाटक व महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन भी किये हैं।
- कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति को लेकर कर्नाटक में काडर आधारित मॉडल और मध्य प्रदेश में ज़िला सरकार मॉडल जैसे कुछ नवोन्मेषी उपाय भी किये गए हैं।
- वित्तीय उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग, टैक्स कलेक्शन, केंद्र व राज्य सरकार के अनुदान का प्रावधान किया गया है। मनरेगा, पीएम आवास और अमृत मिशन जैसी योजनाओं से रोज़गार के साथ-साथ सामाजिक समावेशन को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

इन सब के बावजूद स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता और संपोषिता समकालिक दौर में इनकी कार्यक्षमता की ओर स्थानांतरित हुई है, जिसमें विद्यमान चुनौतियों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- अधिकांश राज्य सरकारों में राज्य वित्त आयोगों के समयबद्ध गठन संबंधी समस्याएँ विद्यमान हैं, साथ ही राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को वित्त मुहैया कराने में देरी की जाती है।
- स्थानीय निकायों की कार्यविधि को संचालित करने के लिये एक से अधिक निकायों या संस्थाओं का एक ही जैसे कार्यों में संलिप्त होने से कार्यों का दुहराव एवं कार्यक्षेत्र का अतिव्यापन होता है। इससे निर्णयन प्रकिया में समन्वयन की समस्या के साथ-साथ कार्य में लेटलतीफी भी होती है, उदाहरणार्थ- दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निकाय।
- संरचनात्मक समस्याएँ, जैसे- स्टाफ की कमी, कर्मचारियों में कौशल का अभाव, बुनियादी ढाँचे की कमी जैसे मुद्दे सदैव ही स्थानीय निकायों के कामकाज में बाधा डालते हैं।
- राजनीतिक हस्तक्षेप एवं प्रतिद्वंद्विता स्थानीय निकायों की प्रकार्यात्मकता पर नकारात्मक असर डालती है।
- पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय शक्तियों का कुशलतापूर्वक उपयोग अब तक संभव नहीं हो पाया है। बहुत कम ग्राम पंचायतें बाज़ार, मेलों, संपत्ति और व्यापार आदि पर कर लगाती हैं।
- स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधि होने के बावजूद पूरा कार्यभार उनके पुरुष संबंधी (पति/पुत्र आदि) द्वारा निष्पादित होना, सामाजिक समावेशिता के लक्ष्य पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार भी स्थानीय निकायों में विद्यमान एक बड़ी समस्या है।

स्थानीय निकायों में अतिव्यापन की समस्या से निजात पाने तथा एक्टिविटी मैपिंग को निर्धारित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं को अमल में लाया जाना चाहिये। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु सुमित बोस समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिये। राजस्व संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों की तरह स्थानीय सरकारों के लिये भी बजट का प्रावधान होना चाहिये। ग्रामसभाओं और वार्ड समितियों की बैठकों को नियमित रूप से संपादित करते हुए स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जबावदेहिता को बढ़ाया जा सकता है। इन सब सुझावों को अपनाकर सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

प्रश्न: 14. विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक 'उपयोगहीन स्टेपनी टायर' से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिये जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है।

उत्तर: संविधान सभा में राज्यसभा की स्थापना के औचित्य पर व्यापक मतभेद था। संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर ने कहा था कि एक उच्च सदन आवश्यक नहीं है और यह साम्राज्यवाद का निर्माण है। वहीं इसके समर्थन में एम. अनंतशयनम अय्यंगार ने तर्क दिया कि दूसरा सदन जल्दबाज़ी में पारित कानून की जाँच करने में सक्षम होगा। इसे विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित कारणों से 'उपयोगहीन स्टेपनी टायर' की संज्ञा दी-

- धन विधेयक को पुर: स्थापित करने और संशोधन करने की शक्ति न होना
- मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तुत करने का अधिकार न होना
- सयुंक्त बैठक की लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता और लोकसभा सदस्यों की अधिक संख्या

किंतु राज्यसभा के संबंध में यह संज्ञा उचित नहीं है, क्योंकि-

- अनुच्छेद-249 के तहत संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करने की शक्ति
- नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने हेतु संसद को अधिकृत करने की शक्ति
- राज्यसभा को उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार

इन शक्तियों से बढ़कर भी राज्यसभा ने विधि निर्माण और व्यापक जनहित सुनिश्चित करने में सर्वाधिक उपयोगी सहायक की भूमिका निभाई है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है-

- राष्ट्रहित के महत्त्वपूर्ण मुद्दे, जैसे- अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत होना।
- लोकसभा पर वित्तीय कार्यों के भार से समय का अभाव रहता है, ऐसे में राज्यसभा में महत्त्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा का होना।
- कई गैर-राजनीतिक विद्वान व्यक्तियों के मनोनयन से विधि निर्माण में संसद को उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ मिल जाता है, जैसे- बिमल जलान, फली एस नरीमन इत्यादि।
- लोकसभा में बहुमत प्राप्त सरकार पर नियंत्रण रखना तथा विधेयकों में व्यापक जनहित के लिये संशोधन हेतु बाध्य करना।

राज्यसभा की भूमिका में परिवर्तन के कारक

- देश में गठबंधन सरकारों के गठन से व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है जिससे राज्यसभा की भूमिका में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान में वित्त मंत्री, रेल मंत्री तथा विदेश मंत्री जैसे प्रमुख मंत्री इस सदन के सदस्य हैं।
- क्षेत्रीय दलों का उदय और संघवाद के मज़बूत होने से राज्यसभा में राज्य के हितों का मुखर समर्थन, जैसा कि जीएसटी के लिये संविधान संशोधन में देखा गया।

1952 में अपने प्रथम सत्र से गत वर्ष बजट सत्र तक राज्यसभा ने 5,472 बैठकों में 3,857

विधेयकों को पारित किया। इस लंबे कालखंड में कुछ अपवादों से इतर राज्यसभा ने कभी 'अवरोधक' की तरह कार्य नहीं किया है। इसे 'उपयोगहीन' भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसने सदैव महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। धन विधेयक पर सीमित शक्ति के बावजूद राज्यसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक, 1957 और आयकर विधेयक, 1961 में महत्त्वपूर्ण संशोधन कराए।

प्रश्न: 15. एक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिये कौन-कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तीकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइये।

उत्तर: भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी आयोग के सांविधानिकीकरण हेतु संविधान संशोधन आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आवश्यक चरण होते हैं:

- आयोग के सांविधानिकीकरण संबंधी विधेयक को सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है।
- तत्पश्चात् दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है।
- पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिये भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करने पर संविधान संसोधन विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है तथा अनुच्छेद के माध्यम से आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित महत्त्वपूर्ण वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार करता है परंतु वैधानिक निकाय होने के कारण आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। आयोग को संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। इसकी शक्तियाँ सिफारिश करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक ही सीमित हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा आयोग की संरचना निर्धारित करने से आयोग का राजनीतीकरण होता है और सत्ताधारी दल आयोग पर राजनीतिक नियंत्रण रखते हैं। कर्मचारियों को आवश्यकताओं, वित्तीय अनुदान कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के लिये आयोग को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है जिस कारण यह नौकरशाही के अधीनस्थ है। अधिनियम में सुपरिभाषित एवं स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति ने अयोग के कार्यों व दक्षता को सीमित किया है।

उपर्युक्त चुनौतियों के संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग का संविधानिकीकरण इसकी समस्याओं हेतु वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करता है तथा प्रभावी रूप से कार्य करने के लिये प्रेरित कर सकता है जो महिला अधिकारों की प्राप्ति एवं लैंगिक न्याय प्रदान करने में सकारात्मक पहल को आगे ला सकता है। परंतु दूसरे पक्ष के रूप में विचार करें तो आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर संवैधानिक सशक्तीकरण तो प्राप्त किया जा सकता है परंतु सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण को भी पूर्णत: प्राप्त किया जा सके इसमें संदेह उत्पन्न होता है। इस दिशा में आवश्यक है कि समाज में विद्यमान रूढ़िवादी परंपराओं एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था को त्यागना होगा। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार और महिलाओं के लिये जागरूकता इत्यादि उपायों को भी अपनाना होगा जिससे सामाजिक न्याय व समता को स्थापित किया जा सके। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर महिलाओं के महत्त्व व उनके प्रति संवेदनशीलता तथा मूल्यों का सृजन करना होगा। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को अपने सशक्तीकरण एवं न्याय की पूर्ति हेतु स्वयं अग्रसर होने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 16. "केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्त्वपूर्ण है।" इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिये।

उत्तर: 'ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव' के अनुसार, 'बहुआयामी गरीबी' के निर्धारण में 'आय पर आधारित गरीबी निर्धारण' से इतर लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अनुभव किये जाने वाले सभी अभावों/कमी को समाहित किया जाता है। इसके निर्धारण में खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा तथा ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिये खतरनाक होते हैं जैसे कारकों को शामिल किया जाता है।

गरीबी के संदर्भ में वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यह रिपोर्ट वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित अध्ययन है, जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 107 विकासशील देशों में लगभग 103 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। इनमें से आधे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। इस अध्ययन में पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, उप-सहारा अफ्रीका और प्रशांत के 75 देशों को शामिल किया गया है। इन आँकड़ों के अनुसार, भारत समेत चार देशों ने विगत 5 से 10 वर्षों में अपनी वैश्विक बहुआयामी गरीबी को कम करके आधा कर लिया है।

यह सूचकांक वर्ष 2030 से 10 वर्ष पूर्व ही वैश्विक गरीबी की एक व्यापक और गहन तस्वीर प्रदान करता है, जो कि सतत् विकास लक्ष्यों (Substainable Development Goals-SDGS) को प्राप्त करने का नियत वर्ष है, जिसका पहला लक्ष्य हर जगह अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है। इसीलिये इस रिपोर्ट का शीर्षक 'चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टीडायमेंशनल पावर्टी : एचीविंग द एसडीजी' रखा गया है।

यह रिपोर्ट बताती है कि लोग तीन प्रमुख आयामों में किस प्रकार पीछे रह जाते हैं। ये तीन प्रमुख आयाम हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिनमें 10 संकेतक शामिल हैं। जो लोग इन भारित संकेतकों में से कम-से-कम एक-तिहाई में अभाव का अनुभव करते हैं, वे बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में देखी गई है। लगभग पिछले 10 वर्षों में (2005-06 से 2015-16) लगभग 2703 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। वर्ष 2018 तक लगभग 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे। वर्ष 2016 तक लगभग 21.2 प्रतिशत लोग भारत में पोषण से वंचित थे।

इस प्रकार यह रिपोर्ट भारत की कल्याणकारी सरकार के लिये एक सचेतक है कि वह अधिक प्रभावी और तीव्रता के साथ गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रयों को चलाए ताकि वर्ष 2030 तक भारत बहुआयामी गरीबी से शत-प्रतिशत मुक्त हो सके।

प्रश्न: 17. "सूक्ष्म-वित्त एक गरीबी-रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आयसुरक्षा के लिये लक्षित है।" स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ उपर्युक्त दोहरे उद्देश्यों के लिये कीजिये।

उत्तर: भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने के लिये ग्रामीण दरिद्रता समाप्त करने के प्रभावकारी उपाय अमल में लाने होंगे। इसके लिये सूक्ष्म वित्त एक सक्षम एवं सशक्त माध्यम के रूप में चिह्नित किया गया है जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लागू करके ग्रामीण दरिद्रता को समाप्त करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। स्वयं सहायता समूह संयुक्त देयता और लघु बचत के प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं।

ये समूह भागीदारीपूर्ण संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं और समावेशी विकास में मदद करते हैं। ये बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच को आसान और बाधामुक्त बनाकर वित्तीय समावेशन में मदद करते हैं क्योंकि ये स्थानीय सूचना के माध्यम से संभावित उच्च जोखिम वाले उधारकर्त्ताओं को चिह्नित करने में सहायता प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, बैंक उधार देने के लिये अधिक तत्पर रहते हैं क्योंकि संबद्ध जोखिम कम रहता है।

'सेल्फ हेल्प ग्रुप-बैंक लिंकेज कार्यक्रम' सेवा-वंचित निर्धनों (Unreached Poor) तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच के लिये लागत प्रभावी तंत्र के रूप में उभरा है, जो न केवल ग्रामीण निर्धन महिलाओं की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सफल रहा है बल्कि निर्धनों की सामूहिक स्वयं सहायता क्षमताओं को भी मज़बूत कर रहा है जिनसे उनका सशक्तीकरण हो रहा है।

इस प्रकार, एस.एच.जी. एक समावेशी विकास एजेंडे के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हैं क्योंकि ये निम्नलिखित विषयों में सहायता प्रदान करते हैं-

- सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिये सूक्ष्म वित्त बैंकों से प्राप्त करना
- विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये रोज़गार अवसर में वृद्धि करना
- निर्धनता उन्मूलन महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना

सशक्तीकरण में एस.एच.जी. की भूमिका

- स्वयं सहायता समूहों (SHG) या महिलाओं के समूहों की अवधारणा ग्रामीण भारत की महिलाओं को आर्थिक पहुँच और सामाजिक संगठन के माध्यम से सशक्त बनाती है।
- एस.एच.जी. ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की है ताकि वे परिवार नियोजन, बाल शिक्षा, वित्तीय निवेश आदि पारिवारिक मामलों में स्वयं निर्णय लेने की स्थिति प्राप्त कर सकें।
- इसका मूल उद्देश्य सदस्यों के बीच बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग और बचत की आदत को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार बचत की आदत ग्रामीण महिलाओं की सौदेबाज़ी क्षमता को मज़बूत करती है और वे उत्पादक उद्देश्यों के लिये ऋण प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में होती हैं। ग्रामीण महिलाएँ अपने वित्त के प्रबंधन और लाभ के आपस में वितरण के लिये इस सामूहिक विवेक से लाभ प्राप्त करती हैं।
- एस.एच.जी. अन्य ग्रामीण महिलाओं को अपने स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के प्रति जागरूक करने तथा उनके सशक्तीकरण में इसके महत्त्व से अवगत कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ग्रामीण महिलाओं के सामूहिक निर्णयन में मदद करता है और ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास और उनकी क्षमताओं की वृद्धि करता है।
- ये समूह विशेष रूप से ग्रामीण महिला विकास से संबंधित सामाजिक उत्तरदायित्वों के वहन के लिये ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करने में भी दूरगामी योगदान करते हैं। स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये सहभागी दृष्टिकोण अपनाने हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण साधनों में से एक माना जाता है।
- देश में स्वयं सहायता समूह संस्कृति ने जो सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया है, वह यह है कि एक परिवार और अंततः वृहत् स्तर पर समाज के भीतर लैंगिक गतिशीलता का रूपांतरण हुआ है। ग्रामीण महिलाओं को अब पारिवारिक मामलों में अधिकाधिक निर्णयन शक्ति प्राप्त हुई है और उन्हें समुदाय के विकास में हितधारकों और भागीदारों के रूप में देखा जा रहा है।

स्वयं सहायता समूह समावेशी विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के यथार्थवादी, व्यवहार्य और संवहनीय विकल्प हैं। सरकार को एक सूत्रधार और प्रवर्तक की भूमिका निभानी चाहिये तथा स्वयं सहायता समूह आंदोलन के विकास एवं विस्तार के लिये एक सहयोगी वातावरण का निर्माण करना चाहिये।

प्रश्न: 18. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिये।

उत्तर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन ने शिक्षा नीति को धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुरूप निर्मित करने की सिफारिश की थी। उल्लेखनीय है कि एसडीजी-4, "समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने एवं सभी के लिये आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहन देने" का लक्ष्य निर्धारित करता है। इस लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना और पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया गया है। इसे शिक्षा नीति के निम्नलिखित प्रावधानों में देख सकते हैं-

- शिक्षा नीति में सभी बच्चों के लिये निःशुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये पिछले अनुभवों के आधार पर विनियमन, प्रमाणन और गवर्नेंस की पुनर्संरचना करने पर बल दिया गया है।
- 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (ईसीसीसी) का विकास ताकि सभी बच्चों में बाल्यकाल में ही 'सीखने की नींव' पड़ सके।
- सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ व्यावसायिक शिक्षा में भी छात्रों की संख्या का ध्यान दिया जाएगा। सभी माध्यमिक स्कूलों में शैक्षणिक विषयों के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसमें माध्यमिक विद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि भी सहयोग करेंगे। स्कूलों में हब और स्पोकन मॉडल में कौशल लैब भी स्थापित की जाएंगी। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण के समुचित प्रबंधन हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' की स्थापना का सुझाव है।
- एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तैयार करते समय दिव्यांगजन के लिये राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ समूह से दिव्यांगजन के संबंध परामर्श लेगा। इसके साथ ही अनसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये समर्पित छात्रावास और छात्रवृत्ति इत्यादि का प्रावधान है।
- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये 'राष्ट्रीय आधारभूत साक्षरता व संख्या-ज्ञान मिशन' स्थापित करने की बात की गई है।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं प्रबंधन के लिये वर्तमान बी.एड. कार्यक्रम में संरचनात्मक परिवर्तन किये गए हैं।

वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्षों का सबसे वांछनीय सुधार है जो 21वीं सदी के भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने और संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगी।

प्रश्न: 19. 'चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (क्वाड)' वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है- विवेचना कीजिये।

उत्तर: 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्त्ता मंच है। यह पूर्ववर्ती 'एशिया-प्रशांत संकल्पना' के स्थान पर 'हिंद-प्रशांत संकल्पना' को स्वरूप देने के उद्देश्य से एक 'मुक्त, खुले और समृद्ध' हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन हेतु इन देशों को एक साथ लाता है। हाल ही में भारत और जापान ने इस क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिये 10 वर्ष के सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीनी दावे का मुकाबला करने के लिये उनके सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को और बढ़ाएगा। इस नए समझौते से क्वाड (QUAD) को मज़बूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में 13 वर्ष बाद पुन: ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के साथ क्वाड समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है। इस परिप्रेक्ष्य में चीन क्वाड को अपने खिलाफ लक्षित सैनिक गठबंधन के रूप में देखता है।

हालाँकि, वर्तमान में क्वाड के सदस्य राष्ट्र सैन्य समझौतों के अलावा व्यापारिक गठबंधन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार करते नज़र आते हैं। अमेरिका क्वाड की संभावनाओं को रक्षा सहयोग से भी आगे देखता है, जिसके अंतर्गत 'फाइव आइज़' (Five Eyes) नामक सूचना गठबंधन में भारत को शामिल करने के प्रस्ताव को इसके एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में अमेरिका के प्रस्ताव पर कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु समन्वित प्रयासों के लिये 'क्वाड प्लस (Quad Plus) संवाद' (ब्राज़ील, इज़राइल, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को शामिल करते हुए) की शुरुआत की गई वहीं भारत द्वारा चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मज़बूत आपूर्ति शृंखला को विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है। भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं की एक शृंखला की घोषणा भी की है जिसे उन्होंने एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (Asia-Africa Growth Corridor-AAGC) नाम दिया है। साथ ही, यह दोनों देश- बांग्लादेश में जमुना रेलवे ब्रिज एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में अन्य ब्रिज, आवास व्यवस्था, म्याँमार के रोहिंग्या क्षेत्रों में स्कूल और विद्युत संबंधी परियोजनाओं तथा केन्या में कैंसर हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने हेतु प्रतिबद्ध है।

वहीं ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत क्षेत्र में समुद्री और सैन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने के लिये महत्त्वाकांक्षी \$2 बिलियन की परियोजना का अनावरण किया है, जिस पर वह अन्य क्वाड सदस्यों के साथ सहयोग करने को तैयार है।

अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्वाड के सदस्यों में शामिल अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान तीसरी और भारत पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया एक विकसित राष्ट्र है। इतनी बड़ी सामूहिक ताकत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन के बढ़ते असर और उस पर निर्भरता को कम करने के इरादे से व्यापारिक गठबंधन की ओर बढ़ रही है।

प्रश्न: 20. भारत-रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है? हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिये।

उत्तर: रक्षा क्षेत्र में रूस भारत को आवश्यक हथियारों एवं गोला-बारूद का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता रहा है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में निर्धारित योजना के अनुसार, वर्ष 2021 के मध्य से रूस द्वारा भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति प्रारंभ की जानी है। ब्रह्मोस मिसाइल, M-46 बंदूक का उन्नयन आदि रक्षा क्षेत्र में भारत-रूस के मज़बूत संबंधों के प्रमुख उदाहरण हैं। हालाँकि, रूस आमतौर पर चीन का सहयोगी है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की तरह क्वाड की आलोचना भी करता है।

अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है। अमेरिका द्वारा 'हिंद-प्रशांत रणनीति' (Indo-Pacific Strategy) का उपयोग किया जा रहा है जिसका अर्थ है कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख एशियाई देश, विशेष रूप से जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में विधिसम्मत, मुक्त व्यापार, आवाजाही की आज़ादी और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये उपयुक्त ढाँचा बनाना इस रणनीति के मुख्य भाग हैं। अमेरिका सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वृहद् भारत-अमेरिकी सहयोग की हिमायत कर रहा है। इसने एशिया उपमहाद्वीप में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनी पैसिफिक कमांड स्ट्रेटेजी को बदलकर इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजी का नया नाम दिया है। इस प्रकार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सोच के साथ अमेरिकी सोच की साम्यता इस क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति में भारत की अहमियत को दर्शाती है।

इसी दिशा में अमेरिका ने भारत के साथ चार प्रमुख बुनियादी समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। इनमें GSOMIA नामक पहला समझौता सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक समझौता है। दूसरा प्रमुख समझौता- LEMOA पर दस्तखत होने के बाद दोनों ही देश एक-दूसरे के सैन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, इसी कड़ी में भारत और अमेरिका के मध्य तीसरा बुनियादी समझौता, COMCASA यानी संचार सुरक्षा समझौता विशेषकर भारत के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है हाल ही में भारत और अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज को-ऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर भी हस्ताक्षर कर दिये हैं, जिससे भारत को अमेरिका के गोपनीय जियो स्पैटियल और GIS डेटा हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे भारत को युद्ध की स्थिति में किसी पर निशाना लगाने या आने-जाने की सटीक जानकारी के लिये अमेरिकी सिस्टम से मदद मिल सकेगी।

भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है जो चीन की सैन्य और आर्थिक प्रगति को संतुलित कर सकता है। अमेरिका ने चीन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की बजाय इस क्षेत्र में सभी हितधारकों को साथ लाने की भारतीय नीति का समर्थन किया है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण से एक बड़ी सफलता है। वहीं दूसरी ओर परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group-NSG) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर अमेरिका का समर्थन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्त्व को दर्शाता है। इस प्रकार इस रणनीतिक क्षेत्र में भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग रूस और भारत के रक्षा सहयोग की तुलना में भारत के हितों को साधने में अधिक सहायक नज़र आता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3

प्रश्नः 1. समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या के विषयों की व्याख्या कीजिये।

उत्तरः वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात् देश की आर्थिक संवृद्धि दर में वृहद् सुधार देखा गया है। जहाँ उदारीकरण के पूर्व जीडीपी की उच्चतम वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत थी तो वहीं सुधारों के पश्चात् यह 9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक भी पहुँची है। किन्तु पिछले तीन दशक में संवृद्धि के समावेशी और विकास के संपोषणीय होने को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं।

समावेशी संवृद्धि से तात्पर्य ऐसे आर्थिक विकास से है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिये अवसरों का सृजन करके समाज के हर वर्ग को समृद्धि का लाभांश वितरित करती है। इसके तहत आंतर्पीढ़ी के स्तर पर लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय या अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।

संपोषणीय विकास आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक कल्याण के मध्य साम्यता करके पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसमें अंतर्पीढ़ी के स्तर पर स्वास्थ्य, जीवन स्तर सुधार जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाता है।

आंतर्पीढ़ी के स्तर पर साम्यता के मुद्दे

- देश के सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों की कमी
- महिलाओं का विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से अपवंचन
- देश में आर्थिक अवसरों का असमान वितरण एवं बढ़ती बेरोज़गारी
- स्वास्थ्य संसाधनों तक सीमित पहुँच
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी
- औपचारिक वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच

अंतर्पीढ़ी के स्तर पर साम्यता के मुद्दे

- पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक संवृद्धि पर अधिक बल
- वन संसाधनों का तीव्र और अंधाधुंध दोहन
- जल की गुणवत्ता और उपलब्धता में कमी
- अत्यधिक उपभोग की प्रवृत्ति

वर्तमान में सतत् विकास लक्ष्य के अनुरूप विकास मॉडल अपनाने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जीवन स्तर में सुधार के लक्ष्य में सामंजस्य स्थापित करते हुए आंतर्पीढ़ी और अंतर्पीढ़ी के स्तर पर साम्यता प्राप्त की जा सके।

प्रश्नः 2. संभाव्य स.घ.उ. (जी.डी.पी.) को परिभाषित कीजिये तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिये। वे कौन-से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य स.घ.उ. (जी.डी.पी.) को साकार करने से रोकते रहे हैं?

उत्तरः संभाव्य जीडीपी से आशय किसी देश के उत्पादन के कारकों के पूरी तरह से नियोजित होने पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य से है। यह किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षा भविष्य में संभाव्य जीडीपी उत्पादन के उच्चतम स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास करता है जो एक अर्थव्यवस्था बनाए रख सकती है।

संभाव्य जीडीपी के निर्धारक कारक

- अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का पूर्ण उपयोग
- देश के मानव संसाधन का समुचित उपयोग
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम का इष्टतम वितरण
- श्रम की उपलब्धता और कौशल क्षमता
- उत्पादन से जुड़े विभिन्न कारकों की उच्च क्षमता
- तकनीक के क्षेत्र में प्रगति
- प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था
- राजनीतिक स्थिरता

भारत में संभाव्य जीडीपी प्राप्ति के मार्ग में बाधाएँ

- निम्न प्रति व्यक्ति आय तथा निम्न क्रय क्षमता
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी तथा बढ़ती संरक्षणवादी नीतियाँ
- नीतिगत सुधार में न्यायिक हस्तक्षेप
- वित्तीय क्षेत्र में उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
- उच्च उत्पादन लागत
- अकुशल और असंगठित श्रम बल की निम्न उत्पादकता
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा

इसके अतिरिक्त, हाल में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से लोगों की आय और क्रय क्षमता में कमी भी संभाव्य जीडीपी प्राप्ति के मार्ग में एक प्रमुख बाधा हो सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में देश की दीर्घकालीन/ मध्यकालीन संभाव्य जीडीपी क्षमता 10 प्रतिशत बताई गई थी तथा इसकी धीमी प्रगति के लिये पूंजी, श्रम और तकनीक में सुस्त परिवर्तन को ज़िम्मेवार माना था।

प्रश्नः 3. भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?

उत्तरः भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों, फलों और सब्ज़ियों का उत्पादन होता है तथा विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। परंतु बुनियादी सुविधाओं के अभाव में एक राज्य के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा देश के बाहर खाद्यान्न का परिवहन और विपणन समुचित रूप से नहीं हो पाता है जिससे कृषकों की आय निम्न स्तर पर बनी हुई है।

विपणन संबंधी मुख्य बाधाएँ

- कृषि उत्पाद के राज्यों में एपीएमसी मंडियों के बाहर और अन्य राज्यों में विक्रय पर प्रतिबंध
- देश में व्यापारिक कृषि उपज के विक्रय के लिये निजी मंडियों का विकास न होना
- ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) का समुचित विकास न होना तथा कृषकों में तकनीकी जानकारी का आभाव
- देश में 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत कृषक हैं जो व्यावसायिक कृषि करने में अक्षम हैं
- बिचौलियों की अधिक संख्या एवं लंबी श्रृंखला के कारण निर्माताओं और अंतिम उपभोक्ताओं से प्राप्त मूल्य का बहुत छोटा हिस्सा कृषकों को प्राप्त होना
- निम्न उत्पादन क्षमता और उच्च लागत के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उत्पादों का गैर-प्रतिस्पर्द्धी होना

परिवहन संबंधी मुख्य बाधाएँ

- रेल और सड़क परिवहन की उच्च लागत तथा जल परिवहन का सीमित विकास
- रेलवे वैगनों की समय पर अनुपलब्धता
- जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों, जैसे- फल और सब्ज़ी के परिवहन के लिये प्रशीतित वाहनों का अभाव
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडरों की कमी

केंद्र सरकार ने विपणन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये कृषि सुधार से संबंधित तीन कानून पारित किये हैं जिससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, परिवहन की समस्या के निदान हेतु 100 किसान रेल का संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास किया जा रहा है।

प्रश्न: 4. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है?

उत्तर: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात के मामले में भारत के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है तथा 'मेक इन इंडिया' के तहत इस क्षेत्र को प्राथमिक दर्जा प्राप्त है। लेकिन यह उद्योग निम्नलिखित चुनौतियों का सामना कर रहा है–

- आपूर्ति शृंखला अवसंरचना अंतर (आरंभिक प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण सुविधाओं की कमी)
- प्रसंस्करण योग्य किस्मों की कमी
- प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव से उत्पादों का कम मूल्य संवर्द्धन
- प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान की कमी
- कुशल जनशक्ति की कमी
- राज्य सरकारों द्वारा सीमित प्रोत्साहन और एपीएमसी मंडी में उत्पाद विक्रय की बाध्यता
- गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की समस्या

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगभग 11 प्रतिशत कार्यबल नियोजित है तथा भारत के खाद्य उत्पादों का 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात होता है। इतना ही नहीं, 2025-26 तक खाद्यान्न उद्योग के $ 1.2 ट्रिलियन हो जाने की संभावना है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रमुख अवसर निम्नलिखित हैं–

- आय में वृद्धि और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता द्वारा विभिन्न व्यंजनों, स्वाद और नए ब्रांडों की मांग
- वर्ष 2025 तक लगभग 40 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी, जिससे पैकेज्ड और रेडी-टू-ईट फूड्स की खपत बढ़ेगी
- निजी निवेश में वृद्धि और वैश्विक मांग
- केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता
- इन सब अवसरों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र निम्न प्रकार से किसानों की आय वृद्धि में सहायक होगा–
- वर्ष भर कृषि उत्पादों की मांग से कटाई के मौसम में निम्न कीमत पर विक्रय की बाध्यता की समाप्ति
- घरेलू और निर्यात बाज़ार में कृषि उत्पादों की मांग वृद्धि
- कृषि उत्पादों के अपव्यय में कमी
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन
- फसल विविधीकरण

इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय दोगुना करने और रोज़गार सृजन करने में मदद कर सकता है।

प्रश्न: 5. नैनोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है?

उत्तर: नैनोटेक्नोलॉजी या नैनोटेक वह तकनीक है जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलीक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल होते हैं। सरल शब्दों में, तकनीकी कौशल के माध्यम से पदार्थ एवं उपकरणों का नैनो स्तर पर प्रबंधन एवं निर्माण ही नैनो तकनीक के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में यह तकनीक एक वैज्ञानिक परिकल्पना मात्र थी, जिसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की खोज ने वास्तविकता में बदल डाला।

बहुआयामी उपयोगी प्रकृति होने के कारण नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोगिता क्षेत्र भी असीमित है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है–

- **इमेजिंग:** क्वांटम डॉट्स अर्द्धचालक नैनो क्रिस्टल होते हैं, जो चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये जैविक इमेजिंग की प्रक्रिया को उन्नत बना सकते हैं। ये परंपरागत जैविक परीक्षणों, जैसे- एमआरआई आदि से एक हजार गुना ज़्यादा बेहतर जैविक परीक्षण करने में भी सक्षम है।
- **दवा आपूर्ति:** नैनो तकनीक के ज़रिये शरीर के किसी हिस्से में उतनी ही दवा का प्रवेश कराया जा सकता है, जितनी आवश्यक हो। डेन्ड्रीमर्स ऐसे नैनो पदार्थ हैं जो कैंसर और अन्य रोगों के इलाज के लिये सटीक ढंग से इस्तेमाल किये जा सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक 'नैनोमीसल्स' बनाया है जिसका उपयोग स्तन, बृहदान्त्र और फेफड़ों के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज में प्रभावी दवा वितरण के लिये किया जा सकता है।
- **थेरानोस्टिक्स:** इस तकनीक के ज़रिये चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोग की पहचान, निदान और उसके बाद चलने वाली चिकित्सीय प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर देखने की संभावना का विकास हुआ है।
- **कैंसर का इलाज:** बहुस्तरीय इलाज के दौरान नैनो कण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिये आधार प्रदान करते हैं।

प्रश्न: 6. विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं?

उत्तर: बौद्धिक और मानसिक क्षमता प्रदान कर विज्ञान ने मानव समाज को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचाया है तथा प्रकृति के रहस्यों को उजागर कर मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में चाहे कोई भी क्षेत्र हो वैज्ञानिक आविष्कारों एवं खोजों से बनाई गई वस्तुओं का प्रचलन दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे रेल हो या हवाईजहाज़, चलचित्र हो या चिकित्सा उपकरण या फिर कंप्यूटर या स्मार्टफोन हमारे जीवन की दिनचर्या में इनका समावेशन प्रत्येक जगह पाया जाता है। जिस काम को करने में मनुष्य को अधिक समय लगता है या जो काम जटिल तथा दुष्कर है, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से बनी मशीन की मदद से आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ ही, वैज्ञानिक सोच ने अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करते हुए मानवीय चिंतन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है।

विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों ने कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं जिसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निम्न परिवर्तनों को देखा जा सकता है–

- जैव प्रौद्योगिकी के तहत पौधों, बैक्टीरिया, कवक और जानवरों, जिनके जीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन किया गया है, को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) कहा जाता है। जीएमओ तकनीक ने कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये हैं।
- प्रौद्योगिकी की मदद से परिवहन अवधि के दौरान क्षति रोकने के लिये फसलों की क्षमताओं को बढ़ाकर फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम किया गया है।
- वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी की मदद से फसलों की ऐसी किस्में तैयार की हैं जिनमें हानिकारक गुणों की अपेक्षा लाभकारी गुण अधिक हैं।
- जीन अभियांत्रिकी और पौधों की नवीन विकसित प्रजनन प्रौद्योगिकी द्वारा फलों तथा सब्ज़ियों के स्वाद भी नियंत्रित किये जा सकते हैं और उनमें इस तरह के गुणों को समाविष्ट किया जा सकता है जिससे कि वे लंबे समय तक खराब न हों।

प्रश्न: 7. पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2020 प्रारूप मौजूदा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 से कैसे भिन्न है?

उत्तर: पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) का अभिप्राय किसी एक प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया के ज़रिये किसी परियोजना, जैसे- खनन, सिंचाई, बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र आदि के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाया जाता है।

सितंबर 2006 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी कर अनेक परियोजनाओं, जैसे- खनन, ताप, ऊर्जा संयंत्र, नदी घाटी तथा आधारभूत संरचना आदि के लिये पर्यावरण मंज़ूरी हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य कर दिया।

विदित हो कि वर्ष 2020 में मौजूदा अधिसूचना के स्थान पर ईआईए अधिसूचना प्रारूप 2020 लाया गया है।

ईआईए अधिसूचना प्रारूप 2020 कई कारणों से विवादित भी रहा है। इस अधिसूचना प्रारूप के विवाद संबंधित मुद्दे निम्नलिखित हैं जो इसे पूर्ववर्ती ईआईए अधिसूचना, 2006 से अलग करते हैं-

- **सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया:** ईआईए मसौदे में जनता को पर्यावरण मंज़ूरी की मांग करने वाले आवेदनों पर जनसुनवाई के दौरान अपनी प्रतिक्रियाएँ देने के लिये पूर्वनिर्धारित 30 दिनों की समयावधि को कम करके 20 दिन करने का प्रस्ताव है। वहीं जन सुनवाई की प्रक्रिया को 40 दिनों में पूर्ण किया जाना आवश्यक बनाया गया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2006 की अधिसूचना के तहत यह समयावधि 45 दिनों की थी।
- **पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति:** नया मसौदा परियोजनाओं के लिये पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति की अनुमति देता है। इसका अर्थ है कि परियोजनाओं के लिये मंज़ूरी प्रदान की जा सकती है, भले ही निर्माण शुरू कर दिया गया हो या बिना पर्यावरणीय मंज़ूरी के निर्माण चल रहा हो। वहीं इसका अर्थ यह भी है कि उल्लंघन को वैधता मिलने से परियोजना से होने वाले किसी भी पर्यावरणीय नुकसान को माफ कर दिया जाएगा। इसके तहत एकमात्र उपाय जुर्माना या सज़ा देना होगा, लेकिन यह पर्यावरण पर हानिकारक परिणामों को सही नहीं करेगा।
- **अनुपालन रिपोर्ट जारी करना:** 2006 की अधिसूचना के अनुसार परियोजना के प्रस्तावक को हर छह महीने में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती थी, जिसमें वह प्रमाणित करता था कि स्वीकृति के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इस नए मसौदे में प्रमोटर को हर साल केवल एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान, परियोजना पर ध्यान न देने से पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है जिसके स्वास्थ्य या सामाजिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

इसके आलावा, इसमें कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक सुनवाई या पर्यावरण मंज़ूरी के बिना 'आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' के रूप में घोषित करने की अनुमति दी गई है। इस मसौदे के माध्यम से, केंद्र सरकार परियोजनाओं को 'रणनीतिक' श्रेणी का वर्गीकृत कर सकेगी।

हालाँकि, इस मसौदा अधिसूचना में ईआईए से संबंधित कई शर्तों को पहली बार परिभाषित किया गया है। यह इस अर्थ में लाभदायक है कि इसने वर्तमान कानून में कुछ अस्पष्टता को कम करने के लिये ईआईए के कई नियमों को समेकित करने का प्रयास किया है। लेकिन इस मसौदे में 'पर्यावरणीय कानूनों के सिद्धांत' को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं, संवैधानिक दायित्वों और पर्यावरणीय विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न: 8. जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर: केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (Department of Personnel and Training) ने पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 ज़िलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु 1 जुलाई, 2019 से 'जल शक्ति' अभियान की शुरुआत की है।

उल्लेखनीय है कि जल से संबंधित मुद्दे राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं लेकिन इस अभियान को केंद्र सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव रैंक के 255 IAS अधिकारियों द्वारा समन्वित किया जा रहा है।

जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अभियान में अंतरिक्ष, पेट्रोलियम एवं रक्षा क्षेत्रों से अधिकारियों को शामिल किया गया है।
- इस अभियान को दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जबकि उत्तर-पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक संचालित किये जाने की योजना है।
- इसके अंतर्गत गंभीर रूप से जल स्तर की कमी वाले 313 ब्लॉक शामिल किये गए हैं। 1,186 ऐसे ब्लॉक भी शामिल किये जाएंगे जहाँ भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। साथ ही, 94 ज़िले ऐसे हैं जहाँ भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है।
- जल शक्ति अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत जलसंभरण प्रबंधन कार्यक्रम के साथ-साथ, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा चलाई जा रही मौजूदा जल पुनर्भरण और वनीकरण योजनाओं के तहत जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेज़ी लाना है।
- मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिये इस कार्यक्रम की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी तथा इसे indiawater.gov.in के डैशबोर्ड पर भी देखा जा सकेगा।
- इस योजना के तहत ब्लॉक और ज़िला स्तर पर जल संरक्षण योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा।
- बेहतर फसल विकल्पों एवं सिंचाई के लिये जल के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किसान विज्ञान केंद्र द्वारा मेले का आयोजन किया जाएगा।

प्रश्न: 9. साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये।

उत्तर: साइबर अपराध एक गैर-कानूनी और विद्वेषपूर्ण गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग एक सहायक उपकरण या लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है।

प्रमुख साइबर अपराधों के प्रकार

- **डिनायल-ऑफ सर्विस:** इसके अंतर्गत किसी अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता को बाधित किया जाता है।
- **फिशिंग:** यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे कुख्यात तरीका है जिसमें हमलावर अपने वास्तविक होने का दावा करते हुए लोगों का विश्वास हासिल करके ईमेल, चैट, मैसेज आदि

के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं की महत्त्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करके उनका दुरुपयोग करते हैं।

- **साइबर स्टॉकिंग:** यह एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है, जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों, सोशल मीडिया और ईमेल आदि के ज़रिये परेशान किया जाता है।
- **हैकिंग:** इसमें किसी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर बिना अनुमति के अनाधिकारिक पहुँच बनाकर संवेदनशील डाटा की चोरी, उसे डैमेज करना तथा फिरौती की मांग करना आदि गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बोटनेट्स, वायरस हमले (रैनसमवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर, वोर्म्स, ट्रोजन आदि तरह के हमले), पहचान की चोरी, ऑनलाइन गैम्बलिंग आदि को साइबर अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है।

साइबर खतरे से निपटने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- देश में डाटा स्थानीयकरण, डिजिटल संप्रभुता और इंटरनेट गवर्नेंस को बढ़ावा देना।
- साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये इससे संबंधित सभी नियामक संस्थाओं के समन्वयन को बढ़ावा देना चाहिये तथा देश में पर्याप्त साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल (वर्ष 2020 की स्थिति के अनुसार 10 लाख से अधिक) की नियुक्ति की जानी चाहिये।
- साइबर खतरों की सुभेद्यता को कम करने तथा इससे निजात पाने के लिये प्रीडिक्शन, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स और डिटेक्शन प्रक्रिया को अपनाना चाहिये।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निवेश और R&D को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- यूरोपीय यूनियन के GDPR और अमेरिका के CLOUD एक्ट की तरह भारत में भी डाटा की सुरक्षा के लिये एक सक्रिय तंत्र होना चाहिये।
- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, NGOs के माध्यम से देश में साइबर जागरूकता का प्रसार करना।
- साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिये एक एकीकृत साइबर कमांड की स्थापना की जानी चाहिये।
- कंप्यूटर उपकरणों और सॉफ्टवेयर का नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट एवं अपडेशन किया जाना चाहिये तथा मज़बूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिये।

देश में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत सरकार ने आईटी एक्ट, 2000, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013, सर्ट-इन, आई 4 सी योजना जैसे सराहनीय प्रयास किये हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराधों से निपटने हेतु एक कारगर पहल है।

प्रश्न: 10. प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइये।

उत्तर: देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का प्रशासन की बजाय हिंसावादियों (Militants) को मिलने वाला समर्थन सीमा प्रबंधन के लिये अत्यंत चिंतनीय विषय है। गौरतलब है कि हिंसावादियों को मिलने वाला स्थानीय समर्थन उत्तर (जम्मू-कश्मीर) और उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा मुखर है।

स्थानीय समर्थनों में निहित कारक

- **ऐतिहासिक कारक:** आज़ादी के बाद से ही कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रमशः धार्मिक तथा सांस्कृतिक, नृजातीय मुद्दे हिंसावादियों के स्थानीय समर्थन के कारण बनते हैं, उदाहरणार्थ जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद तथा पूर्वोत्तर का नगा मुद्दा आदि।
- **आर्थिक कारक:** गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के अभाव तथा आय एवं विकास की क्षेत्रीय असमानता की बदौलत सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता है और यह आगे चलकर हिंसावादियों के जनसमर्थन का आधार बनता है।
- **राजनीतिक व प्रशासनिक कारक:** सीमावर्ती क्षेत्रों में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का अभाव तथा भ्रष्टाचार, केंद्रीय योजनाओं का अनुचित क्रियान्वयन और इन क्षेत्रों में लगने वाले अफ्स्पा (AFSPA) जैसे कानून स्थानीय लोगों की प्रशासनिक विलगता को बढ़ाते हैं।

स्थानीय समर्थन को रोकने के उपाय

- आधारभूत सुविधाओं, जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क आदि को मुहैया कराते हुए रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- विकेन्द्रीकृत शासन हेतु 'पेसा एक्ट' को सुदृढ़ करते हुए स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिये, पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना और पहचान आधारित राजनीति को हतोत्साहित करना।
- स्थानीय लोगों और प्रशासन के मध्य समन्वय को बढ़ावा देना चाहिये। सेना व अन्य कार्मिकों को स्थानीय लोगों के प्रति संवेदनशील होने तथा उनसे संवाद व सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। इससे परस्पर विश्वास बहाली होगी।
- किसी स्थानीय सेलिब्रिटी या नेता को सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में प्रतिस्थापित करके अनुनयन के माध्यम से हिंसावादियों के लिये स्थानीय समर्थन को वंचित किया जा सकता है।
- स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान के साथ एकीकृत करते हुए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को यथार्थ बनाना चाहिये। स्थानीय मुद्दों को मुख्यधारा से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर के अन्य मुद्दों की भाँति महत्त्व देना।

इस तरह प्रभावी सीमा प्रबंधन हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में गुड गवर्नेंस तथा सरकारों, एनजीओ, समुदायों व मीडिया के मध्य समन्वय को बढ़ावा देते हुए हिंसावादियों के स्थानीय समर्थन को समाप्त किया जा सकता है। किसी स्थानीय सेलिब्रिटी या नेता को सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में प्रतिस्थापित करके अनुनयन के माध्यम से हिंसावादियों के लिये स्थानीय समर्थन को वंचित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रशासन व सेना का स्थानीय जनता के साथ बेहतर संयोजन सीमा सुरक्षा की लगत को कम करेगा और इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी।

प्रश्न: 11. एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिये। उन कारकों की विवेचना कीजिये, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध (कॉन्सेशन एग्रीमेन्ट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिये।

उत्तर: निवेश आर्थिक संवृद्धि दर को प्रभावित करने वाला महत्त्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था में निवेश को पूंजी निर्माण के रूप में ही जाना जाता है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में मशीनरी, उपकरण, नए निर्माण और बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल किया जाता है।

एक अर्थव्यवस्था में निवेश का निर्धारण अर्थव्यवस्था के आकार, संवृद्धि की लक्षित दर, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, तकनीक इत्यादि पर निर्भर करता है। पूंजी निर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आय को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी मॉडल) में अवसंरचना विकास के ऐसे कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ सम्मिलित होती हैं जो सामान्यत: सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा चलाई जाती हैं तथा इनमें निजी क्षेत्र को अस्थायी रूप से किसी विशेष प्रक्रिया तक भागीदार बनाया जाता है। सरकार एक निश्चित परियोजना का पीपीपी मॉडल से संचालन करने के लिये एक निजी पार्टी का चयन करके उसके साथ एक 'कॉन्सेशन एग्रीमेंट' करती है। इसमें परियोजना की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की भूमिकाओं एवं ज़िम्मेदारियों का विवरण होता है। इन समझौतों को तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-

- परियोजना की अवधि में संभावित जोखिम का आकलन करना तथा इन जोखिमों के प्रति दायित्व निर्धारण करना।
- इस समझौते में सभी अप्रत्याशित घटनाओं (Force Majeure), जैसे- कोविड-19, युद्ध, भूकंप और अन्य प्राकृतिक/मानवीय आपदाओं आदि का उल्लेख होना चाहिये।
- घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में परियोजना पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में समझौते में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिये।
- परियोजना में विलंब होने पर भविष्य की रणनीति स्पष्ट होनी चाहिये।

एक परियोजना की सफलता के लिये कॉन्सेशन एग्रीमेंट का उचित रूप से तैयार होना आवश्यक है। यदि कॉन्सेशन एग्रीमेंट के प्रावधान स्पष्ट न हों तो संबंधित पीपीपी परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है तथा अनावश्यक न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण परियोजना पूर्ण होने में विलंब होता है।

प्रश्न: 12. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि (जी.एस.टी. कॉम्पेन्सेशन फन्ड) को प्रभावित और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है?

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम का उद्देश्य राज्यों को जीएसटी लागू होने के पहले पाँच वर्षों यानी वर्ष 2022 तक अप्रत्यक्ष कर राजस्व में होने वाले किसी भी नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति प्रदान करने की गारंटी देना था। भारत सरकार ने राज्यों को आश्वासन दिया था कि यदि राज्यों के अप्रत्यक्ष कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि 14 प्रतिशत से कम रहती है तो इसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी। इस क्षतिपूर्ति की गणना हेतु 2012-13 से 2015-16 तक के तीन वित्तीय वर्षों के राज्य के अप्रत्यक्ष करों की राजस्व वृद्धि दर की औसत वृद्धि को आधार बनाया गया था। इस क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये लग्जेरी और मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी उपकर लगाया गया है तथा इससे प्राप्त राशि एक पृथक् कोष में संगृहीत होती है जिससे राज्यों को नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

वित्त वर्ष 2020-21 में, केंद्र और राज्य का संयुक्त रूप से मासिक जीएसटी संग्रह लगभग ₹1.21 लाख करोड़ होने का अनुमान था। किंतु कोविड-19 के कारण कुल कर संग्रह में बड़ी गिरावट दर्ज की गई तथा वर्तमान में 'जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष' में इतना संग्रह नहीं है कि राज्यों को 14 प्रतिशत की वृद्धि दर से क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके। इस प्रकार 'जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष' में कमी की स्थिति में राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ।

इस संबंध में केंद्र सरकार राज्यों को राजस्व में कमी को उधार लेकर पूरा करने के लिये कह रही थी तथा इसका भुगतान जीएसटी उपकर के माध्यम से जून 2022 के बाद भी किया जा सकता था। किन्तु राज्य सरकारों का मानना था कि केंद्र को उधार लेकर राज्यों को भुगतान करना चाहिये। इस संबंध में लंबी वार्त्ता के बाद तय हुआ है कि केंद्र सरकार ₹1.1 लाख करोड़ ऋण लेगी तथा 'बैक-टू-बैक ऋण' के आधार पर राज्यों को सौंपेगी। इस व्यवस्था से यह ऋण केंद्र के वित्तीय घाटे में शामिल नहीं होगा तथा राज्यों के खाते में 'पूंजी प्राप्तियों' के रूप में दर्शाया जाएगा। इस ऋण के ब्याज और मूलधन को राज्यों को जून 2022 के बाद जीएसटी उपकर संग्रह के माध्यम से चुकाना होगा।

इस प्रकार केंद्र के प्रस्ताव पर राज्यों की सहमति से इस विवाद का निराकरण हो गया तथा सहयोगी संघवाद के दृष्टिकोण को मज़बूती प्राप्त हुई। इससे राज्य सरकारों में केंद्र के प्रति विश्वास बढ़ा है जो आगामी समय में बड़े आर्थिक सुधारों लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।

प्रश्न: 13. धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है?

उत्तर: स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में खाद्यान्न का गंभीर संकट था तथा भारत कृषि वस्तुओं का शुद्ध आयात करता था। देश को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये गेहूँ और चावल की उच्च उपज वाली वैरायटियों को आयात किया गया। इसके साथ ही आधुनिक उपकरणों, उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग के साथ हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई तथा भारत कृषि वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बन गया। देश में चावल-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने में हरित क्रांति की केंद्रीय भूमिका है। इसके अतिरिक्त

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक खरीद चावल- गेहूँ की होना, सरकार द्वारा उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी तथा मुफ्त जल की उपलब्धता, गंगा के मैदानी इलाकों एवं तटीय क्षेत्रों में बेहतर सिंचाई सुविधा और उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता, सस्ते श्रम की उपलब्धता, अनुकूलित जलवायु आदि भी है।

इन सब सुविधाओं की उपलब्धता के कारण हर वर्ष गेहूँ व चावल की बंपर पैदावार हो रही है और अन्य फसलों को महत्त्व नहीं मिल रहा है। जहाँ गत वर्ष अप्रैल में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास गेहूँ और चावल का वास्तविक स्टॉक क्रमश: 327.96 लाख टन और 237.15 लाख टन हो गया था जो इनके संग्रहण मानदंड (बफर स्टॉक) 138 लाख टन और 76.10 लाख टन से बहुत ज़्यादा था। वहीं दूसरी ओर देश में खाद्य तेल, दालों आदि का आयात करना पड़ रहा है। इसके साथ ही चावल-गेहूँ की फसल प्रणाली को निम्नलिखित कारणों से अभिशाप की संज्ञा दी जा रही है-

- चावल की कृषि में अत्यधिक जल के उपयोग से भौम जल स्तर में गिरावट
- अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से लीचिंग के कारण भौम जल प्रदूषण। यूरिया जैसे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की गुणवत्ता में ह्रास
- फसलों की पैदावार में स्थिरता
- फसल उत्पादन में एकरूपता

इस दिशा में कृषि प्रारूप को सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि चावल-गेहूँ के अधिक उत्पादन से एमएसपी के लिये आवंटित अधिकांश राशि इन दो फसलों के क्रय पर ही व्यय हो जाती है। इतना ही नहीं, इनकी खरीद और रखरखाव की उच्च लागत के कारण एफसीआई पर कर्ज़ का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है। इसी तरह वर्तमान में एमएसपी प्रणाली का अधिकांश लाभ एक

सीमित क्षेत्र के किसान वर्ग को ही अधिक हो रहा है तथा भूमिहीन या सीमांत कृषक इसके लाभों से वंचित हैं। इस क्रम में सरकार को विभिन्न कृषि सब्सिडियों का तार्किकीकरण करना चाहिये तथा चावल-गेहूँ से इतर फसलों के उत्पादन हेतु विशेष प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करना चाहिये ताकि किसानों को एक स्थायी आय प्राप्त हो सके। इससे कृषक चावल-गेहूँ के आलावा अन्य फसलों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित होंगे तथा कृषि क्षेत्र का क्षरण भी नियंत्रित होगा। इसके साथ ही फसल प्रारूप में विविधता तिलहन और दलहन के आयात पर निर्भरता कम करके पोषण सुरक्षा को मज़बूत करेगी।

प्रश्न: 14. रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिये जल भंडारण एवं सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइये।

उत्तर: 'इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर, 2020' की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 60 करोड़ लोग आज पानी की भीषण समस्या का सामना कर रहे हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में यह आँकड़ा बढ़कर 140 करोड़ तक पहुँच जाएगा। भारत वैश्विक स्तर पर पानी का सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाले देशों में भी शामिल है, जो कि हर साल 40,000 करोड़ क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा पानी का उपभोग कर रहा है। हाल ही में एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस में भी जल संकट का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे 17 देशों की लिस्ट में भारत को 13वाँ स्थान दिया गया है। ये सभी आँकड़े देश में बढ़ते जल संकट को दर्शाते हैं। विदित हो कि कुछ समय पहले जिस तरह चेन्नई में 'डे ज़ीरो' की स्थिति बनी थी, वह देश में इस समस्या को उजागर करती है। केवल चेन्नई ही नहीं, दिल्ली सहित देश के कई अन्य शहरों में भी पानी की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है।

- इस समस्या के समाधान हेतु देश में नवीन तकनीकी ज्ञान के साथ ही अपनी पारंपरिक विरासत और पुरखों के ज्ञान की भी मदद लेनी होगी।
- जल भंडारण एवं सिंचाई प्रणाली में सुधार हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं-
- वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल का संचयन।
- वर्षा जल को सतह पर संगृहीत करने के लिये टैंकों, तालाबों और चेक-डैम आदि की व्यवस्था। इसके अंतर्गत कम ढलान वाले इलाकों में परंपरागत तालाबों को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित करके नए तालाब भी बनाने चाहिये। तालाब जल की कमी के समय जल उपलब्ध करवाने के अलावा भूजल भरण में भी उपयोगी सिद्ध होंगे।
- सीवेज के जल का पुनर्चक्रण कर इसका द्वितीयक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- आधारभूत जल संकट (उदाहरण के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन या उपयोग) की समस्या के समाधान हेतु देशों को अधिक दक्ष सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है।
- देश में अधिकांशतः खेतों में सिंचाई के लिये कच्ची नालियों द्वारा पानी लाया जाता है, जिससे तकरीबन 30-40 फीसदी पानी रिसाव की वजह से बेकार चला जाता है। ऐसे में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागबानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि मानी जाती है। इस प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, जिसमें पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व-निर्धारित मात्रा में पहुँचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही यह जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। देखने में आया है कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30-40 फीसदी पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार होता है। ध्यातव्य है कि सरकार भी 'प्रति बूंद अधिक फसल' के मिशन के अंतर्गत फव्वारा (Sprinkler) व टपक (Drop) सिंचाई पद्धति के ज़रिये सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) ने वर्षा जल संचयन के लिये नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से "कैच द रेन" (Catch the Rain) नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। जल संरक्षण न केवल सरकार की ज़िम्मेदारी है बल्कि इसमें हर किसी को अपनी भूमिका समझनी होगी जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिये इस महत्त्वपूर्ण संसाधन को संरक्षित किया जा सके।

प्रश्न: 15. कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है। तथापि, इस संकट पर विजय पाने के लिये प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिये।

उत्तर: वैश्वीकरण के युग में कोविड-19 महामारी व्यापारिक गतिविधियों के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले लोगों के माध्यम से तेज़ी से फैली है। इस महामारी ने स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। इससे दुनिया में विशेष तौर पर विकासशील देशों में कर्ज़ के बढ़ते बोझ और उसे समय से न चुका पाने की कमी के साथ आर्थिक मंदी जैसी खतरनाक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। इन परिस्थितियों ने सभी उपलब्ध महत्त्वपूर्ण संसाधनों को दूसरी तरफ मोड़कर भुखमरी और गरीबी के जोखिम को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। कोविड-19 के प्रसार और उग्रता के खतरनाक स्तरों के कारण चिंतित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2020 में इसे महामारी करार दिया था।

वैश्विक स्तर पर इस महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रौद्योगिकी निम्नलिखित प्रकार से सहायता कर रही है-

- भारत में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने वेंटिलेटर, परीक्षण किट, स्वास्थ्यकर्मियों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment – PPE) से संबंधित तकनीक विकसित की हैं। इन प्रयासों के तहत IIT दिल्ली के शोधकर्त्ताओं ने कोविड-19 का पता लगाने के लिये परीक्षण किट विकसित की है, जिसकी मदद से जाँच में होने वाले खर्च में कमी देखी गई। IIT गुवाहाटी ने फेस शील्ड (Face Shield) का प्रोटोटाइप विकसित किया तथा IIT कानपुर की इनक्यूबेटर कंपनी 'नोका रोबोटिक्स' (Nocca Robotics) ने एक सस्ते वेंटिलेटर का निर्माण किया है। इसके अलावा IIT हैदराबाद के शोधकर्त्ताओं ने WHO के दिशानिर्देशों के आधार पर एक फॉर्मूला विकसित किया, जिससे बड़े पैमाने पर सैनिटाइज़र का उत्पादन किया जा सकता है।
- भारत के दुर्गापुर में सीएसआईआर के केंद्रीय यांत्रिकी-अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CMERI) द्वारा कम कीमत वाला एक रोबोटिक उपकरण तैयार किया गया जो कोरोना लक्षण वाले लोगों के स्वाब के नमूने लेने में मदद करता है। इसके अलावा अस्पतालों में रोबोट के ज़रिये कोरोना संक्रमित मरीज़ों के वार्ड में खाना और दवा पहुँचाई जा रही है।

कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में प्रौद्योगिकी की खोज

- आरटी-पीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर टेस्ट कोरोना की टेस्टिंग का महत्त्वपूर्ण आयाम है। इसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति के स्वैब सैंपल से डीएनए की नकल तैयार कर संक्रमण की जाँच की जाती है। इसी क्रम में सीसीएमबी-सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा 'ड्राई स्वैब आरएनए-एक्सट्रक्शन' टेस्टिंग की एक नई तथा सरलीकृत विधि विकसित की गई, जिसमें परीक्षण की लागत और समय में 40 से 50 प्रतिशत तक की बचत होती है। यह पारंपिरक आरटी-पीसीआर परीक्षणों की तुलना में अधिक किफायती है।
- रोगियों के उपचार हेतु प्लाज़्मा थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें ऐसे रोगी जो कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके हैं, उनमें विकसित एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ठीक हुए लोगों का पूरा रक्त या प्लाज़्मा लिया जाता है तथा इस प्लाज़्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर को लड़ने में मदद मिल सके। ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेनिश फ्लू (1918-1920 के दौरान) के रोगियों पर प्लाज़्मा इस्तेमाल किया था, इसी प्रकार वर्ष 2005 में हॉन्गकॉन्ग ने सार्स रोगियों के इलाज के लिये तथा वर्ष 2009 में H1N1 रोगियों के इलाज में प्लाज़्मा का प्रयोग किया था।
- वहीं, टीकों के खोज के संबंध में प्रयास वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। इसके तहत तीन प्रकार के प्रयास किये गए हैं- पहला प्रयास स्वदेशी है, दूसरा प्रयास वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक है जिसमें भारतीय संगठन अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और तीसरा प्रयास वैश्विक प्रयास है जिसमें भारतीय भागीदारी है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) कोविड-19 द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिये नैदानिक, उपचारात्मक, औषधि एवं टीकों के विकास के लिये सक्रियतापूर्वक काम करता रहा है।

इस प्रकार कोविड-19 की रोकथाम हेतु प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण भमिका निभा रही है, जिसकी सहायता से विभिन्न देश अपने स्तर पर आधुनिक तकनीकी प्रयोगों के ज़रिये इस महामारी के पूर्णत: शमन हेतु निरंतर प्रयासरत हैं।

प्रश्न: 16. पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिये। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है?

उत्तर: सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। विश्व में अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली तथा कभी समाप्त न होने वाली सौर ऊर्जा ही है। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं के कारण यह पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन की बजाय कई मायनों में श्रेष्ठ है।

उल्लेखनीय है कि इसकी मदद से वर्ष 2050 तक उतनी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है जो विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की 33 से 50 फीसदी मांग को पूरा कर सकती है। जीवाश्म ईंधन के बदले अक्षय ऊर्जा को अपनाने से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। खाली पड़ी कृषि भूमि पर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जलवायु के दृष्टिकोण से तो बेहतर है ही, साथ ही इसकी मदद से भूमि के सही प्रबंधन द्वारा सोलर और बायोएनर्जी के लिये ज़मीन को लेकर होने वाले संघर्षों को भी सीमित किया जा सकता है। हाल ही में खोजी गई एक नई तकनीक से क्वांटम डॉट सौर सेल की दक्षता में सुधार कर उसकी क्षमता को बढ़ाकर लगभग 12 फीसदी तक किया जा सकता है। यह सौर सेल द्वारा सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करने की चुनौतियों को हल करके इसकी क्षमता को बढ़ाता है।

सौर वृक्ष जैसे नए प्रयोग के ज़रिये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी लाई जा सकती है जो जलवायु परिवर्तन से बचने में मददगार होगी। साथ ही, इस वृक्ष से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस दिशा में भारत सरकार की पहलें निम्नलिखित हैं-

- भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर, 2015 को पेरिस में आयोजित कोप-21 (COP-21) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई। यह भारत सरकार द्वारा की गई पहल है। यह संगठन कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाता है। इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत ने वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की मदद से 175,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के ज़रिये हासिल की जाएगी। इसमें से 60,000 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सोलर प्लांट और 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर के ज़रिये प्राप्त की जाएगी।
- जुलाई 2019 में सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना' शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी खाली पड़ी ज़मीन पर सोलर प्लांट लगाकर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान अपनी ज़मीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों में सिंचाई करने के साथ ही बंजर भूमि का इस्तेमाल सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये कर सकते हैं।
- भारत सरकार ने देश की फोटोवोल्टिक क्षमता को बढ़ाने के लिये सोलर पैनल निर्माण उद्योग को ₹210 अरब की सरकारी सहायता देने की योजना बनाई है। PRAYAS – Pradhan Mantri Yojana for Augmenting Solar Manufacturing नामक इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा का 40 प्रतिशत हरित ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है।
- सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनके तहत आवासीय, सामाजिक, सरकारी/पीएसयू और संस्थागत क्षेत्रों में सीएफए/प्रोत्साहन के ज़रिये 2100 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा रही है।
- अन्य नीतिगत उपायों के तहत हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के माध्यम से बिजली पारेषण नेटवर्क का विकास, स्मार्ट सिटी के विकास हेतु दिशानिर्देशों के तहत रूफटॉप सोलर एवं 10 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के प्रावधान को अनिवार्य बनाना, सौर परियोजनाओं के लिये अवसंरचना दर्जा, करमुक्त सोलर बॉण्ड जारी करना तथा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये न केवल बुनियादी ढाँचा मज़बूत करने की ज़रूरत है बल्कि ऊर्जा के नए स्रोत तलाशना भी ज़रूरी है। ऐसे में, सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा

उत्पादन और मांगों के बीच की बढ़ती खाई को बहुत हद तक पाट सकता है।

प्रश्न: 17. भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) की विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme-NCAP) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 को की गई। 300 करोड़ की लागत से शुरू हुई यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया पाँचवर्षीय कार्यक्रम है। इसमें संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इसका प्रमुख लक्ष्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिये काम करना है।
- देश के ज़्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस देशव्यापी योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 102 प्रदूषित शहरों की वायु को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में वायु गुणवत्ता पर नवीनतम डेटा ट्रेंड के आधार पर 20 और शहरों को एनसीएपी के तहत शामिल किया गया है।
- इसके तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM 2.5 और PM10 पार्टिकल्स को 20 से 30 फीसदी तक कम करने का 'अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य' रखा गया है।
- इस योजना के तहत राज्यों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिये जो काम किये जाने हैं उनमें पैसे की कमी बाधा न बने।
- प्रत्येक शहर को प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर कार्यान्वयन के लिये अपनी कार्ययोजना विकसित करने के लिये कहा जाएगा।
- दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में ई-मोबिलिटी की राज्यस्तरीय योजनाएँ, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से वृद्धि, बीएस-VI मानदंडों का कड़ाई से कार्यान्वयन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना और प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये तीसरे पक्ष के ऑडिट को अपनाना भी NCAP में शामिल हैं।
- एनसीएपी केवल एक योजना है और कानूनन बाध्यकारी नहीं है तथा इसमें ई दंडात्मक कार्रवाई करने या जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उल्लेखनीय है कि एनसीएपी को बनाते समय उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को मद्देनज़र रखा गया है। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि वायु प्रदूषण कम करने वाले अधिकांश कार्यक्रम पूरे देश के लिये न होकर शहर-विशेष के लिये बनाए जाएँ, जैसा कि विदेशों में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिये, बीजिंग और सियोल जैसे शहर, जिनमें ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम चलाने के बाद पाँच वर्षों में PM2.5 के स्तर में 35 से 40 फीसदी कमी देखने को मिली।

प्रश्न: 18. आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिये।

उत्तर: हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की नीति में आमूल परिवर्तन करते हुए राहत व बचाव केंद्रित नीति के स्थान पर अग्रसक्रिय (Proactive) एवं बहुआयामी उपागमों पर बल दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन एक क्रमिक और सतत् प्रक्रिया है, लेकिन पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य किया जाता था। इससे जन-धन की व्यापक हानि के साथ-साथ प्रभावित लोगों का पुनर्वास व रिकवरी सम्यक् रूप से नहीं हो पाती थी। इसीलिये अग्रसक्रिय उपागमों के अंतर्गत रोकथाम के उपाय, उचित तैयारी, शमन और कार्रवाई आदि के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम करने तथा दीर्घकालिक निवारक और सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है।

आपदा प्रबंधन के अभिनूतन उपाय

- आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा आपदा की प्रभाविता को कम करने हेतु विभिन्न सैटेलाइट्स, जैसे- EOS-01, RISAT, INSAT इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत करके राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला व स्थानीय स्तरों पर प्रारंभिक चेतावनी देने, आपदा के बाद निर्माण कार्य करने तथा समुदायों को आपदा के प्रति जागरूक करने के साथ आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग, जोनेशन, मॉनिटरिंग करने तथा तैयारी, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आदि को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (NLRMS) को अपनाया गया है।
- संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से तटीय ज़िलों में चक्रवात के जोखिम व सुभेद्यता को कम करने के लिये राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP) को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चक्रवात पूर्व चेतावनी हेतु देश में 7 चक्रवात चेतावनी केंद्र भी स्थापित किये गए हैं।
- विकास कार्यों में आपदा जोखिम कटौती को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को भी शामिल किया गया है। साथ ही, आपदा के प्रबंधन एवं न्यूनीकरण हेतु संपूर्ण आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण (TDRM), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग व पेशेवर प्रशिक्षण को शामिल किया जा रहा है।
- आपदा प्रबंधन की दिशा में अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देते हुए आपदा संबंधी डाटा के प्रसार, बचाव, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि को मुहैया कराया जा रहा है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शहरी बाढ़ के मद्देनज़र एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली (IFLOW) को अमल में लाया जा रहा है। साथ ही, आपदाओं से सुरक्षा हेतु प्राकृतिक अवरोधों (जैव ढाल- Bio Shields) का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

हालाँकि, भारत सरकार आपदा जोखिम कटौती (DRR) को मुख्यधारा में लाने के लिये अग्रसर है। तथापि पेरिस समझौते एवं संधारणीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप आपदा प्रबंधन रणनीति को सुनियोजित करके जलवायु परिवर्तन के जोखिम को न्यून और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न: 19. भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिये?

उत्तर: वामपंथी उग्रवाद देश के लिये एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौती है किन्तु देश के शेष भागों की अपेक्षा पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। देश के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के प्रमुख निर्धारक कारक निम्नलिखित हैं-

- क्षेत्र की अत्यधिक नृजातीय विविधता के कारण अलग राज्य की मांग, अत्यधिक स्वायत्तता और भारत से अलगाव की मांग को लेकर यहाँ सैकड़ों चरमपंथी और उग्रवादी संगठन मौजूद हैं। ये उग्रवादी समूह माओवादियों को आश्रय और सहयोग प्रदान करते हैं।
- देश के शेष भाग से शारीरिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों की कमी ने अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया है, जिसका लाभ वामपंथी उग्रवादी समूह उठा रहे हैं।
- यहाँ की भोगौलिक परिस्थितियाँ, जैसे- पहाड़ी इलाके और घने जंगल सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर बैठने के लिये सुविधाजनक जगह उपलब्ध कराते हैं।
- उल्फा द्वारा माओवादी संगठनों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इससे दोनों चरमपंथी विचारधाराओं को एक-दूसरे के विस्तार में सहयोग प्राप्त हुआ।
- लंबे समयांतराल तक इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा माओवादी और उत्तर-पूर्व के चरमपंथियों के मध्य संबंधों के ठोस साक्ष्य एकत्र न कर पाना।

इस संबंध में भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को निम्नलिखित रणनीति अपनानी चाहिये-

- समाधान सिद्धांत (SAMADHAN Doctrine) के पश्चात् पुलिस और सुरक्षा बलों में समन्वय बढ़ा है, किन्तु रियल टाइम इंटेलिजेंस अभी भी चिंता का विषय है अत: इंटेलिजेंस तंत्र को बेहतर बनाना चाहिये।
- शिक्षण संस्थानों और मीडिया में उग्रवादियों के समर्थक वर्ग का नेटवर्क तोड़ना ताकि देश के युवाओं में नक्सलियों के प्रति संवेदना उत्पन्न न हो तथा वे इनके वास्तविक हिंसक चरित्र से परिचित हों।
- पूर्व के क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा बेहतर अवसंरचना का विकास करना ताकि सुरक्षा बलों को आवागमन में सुविधा हो तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के नए अवसर रोज़गार का सृजन करना।
- सुरक्षा बलों को स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास करना चाहिये जिससे उग्रवादियों को आश्रय मिलना बंद हो तथा उनके ठिकाने के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त हो सकें।
- नागरिक प्रशासन में स्थानीय सहभागिता में वृद्धि करना तथा पेसा अधिनियम का प्रभावशीलता से कार्यान्वयन करना।

वामपंथी उग्रवाद की समस्या का समाधान प्रभावित क्षेत्र के समावेशी विकास से ही है। इसके लिये भारत सरकार, राज्य सरकार और नागरिक प्रशासन को बेहतर समन्वय के माध्यम से नीति आयोग के '115 आकांक्षी ज़िले कार्यक्रम' को सफल बनाने के लिये प्रयास करना चाहिये।

प्रश्न: 20. आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिये। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिये।

उत्तर: भारत दक्षिण एशिया में केन्द्रीय अवस्थिति रखता है और इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। इन पड़ोसी देशों से होने वाले सीमा-पार अपराध देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

सीमा-पार अपराध व आंतरिक सुरक्षा खतरे

- भारत-म्याँमार सीमा की भौगोलिक जटिलता तथा मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) का सीमापारीय अपराधों के लिये दुरुपयोग किया जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle) से समीपता के कारण मादक द्रव्यों, हथियारों की तस्करी होती है; साथ ही इस क्षेत्र में वन्यजीवों व वनोपजों की भी तस्करी की जाती है। उग्रवादी समूह म्याँमार के जंगली क्षेत्रों में प्रशिक्षण व प्रश्रय लेकर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।
- बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ व आव्रजन की घटनाएँ इस सीमा की सुभेद्यता को बढ़ाती हैं। इस सीमावर्ती क्षेत्र में होने वाली अन्य आपराधिक गतिविधियाँ, जैसे- मानव, मवेशियों, स्वर्ण व जाली भारतीय मुद्राओं की तस्करी, अपहरण, अवैध व्यापार व खनन आदि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर संकट पैदा करती हैं।
- भारत-पाकिस्तान सीमा विश्व की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक है। इस सीमा से होने वाले सीमापार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ, नकली मुद्राओं, हथियारों व मादक द्रव्यों की तस्करी के साथ-साथ आतंकवाद और संगठित अपराधों का गठजोड़ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती के रूप में है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण रेखा (LoC) पर आतंकियों की घुसपैठ एवं सीमा-पार से बॉर्डर एक्शन टीम (पाकिस्तान) द्वारा होने वाले युद्ध विराम के उल्लंघन की बदौलत देश की आंतरिक सुरक्षा पर सदैव खतरा बना रहता है।

सुरक्षा बलों की भूमिका

- भारत-म्याँमार सीमा पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिये असम राइफल्स की तैनाती की गई है। सेना द्वारा वर्ष 2015 में NSCN-K के विरुद्ध, तो वर्ष 2019 में 'ऑपरेशन सनशाइन-1 और 2' के माध्यम से अराकान विद्रोहियों और अन्य उग्रवादी समूहों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सीमा चौकी (बीओपी) की तैनाती की जा रही है; साथ ही इस सीमा पर संयुक्त सीमा कार्य दल (JBWG) की नियुक्ति की गई है।
- भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा का दायित्व सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपा गया है। इस सीमा पर सीमापारीय आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिये बीओपी व एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) की संख्या को बढ़ाते हुए फ्लड लाइटिंग, स्मार्ट फेंसिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही, बीओएलडी-क्यूआईटी परियोजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को तकनीकी रूप से उन्नत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 8.3 किमी. क्षेत्र के अपराध मुक्त क्षेत्र की बॉर्डर सर्विलांस डिवाइसों के माध्यम से निगरानी करते हुए बीएसएफ इस क्षेत्र में अपराधों के प्रति स्थानीय लोगों के मध्य जागरूकता को भी बढ़ाने का कार्य करती है।
- भारत-पाकिस्तान सीमा की चौकसी का दायित्व बीएसएफ को सौंपा गया है। सीमा-पार आतंकवाद व घुसपैठ के प्रयासों को रोकने तथा हथियारों व जाली मुद्रा की तस्करी को नियंत्रित करने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त बीओपी की तैनाती, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) आदि को शामिल किया गया है। वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की घटनाएँ सेना के समेकित कौशल को दर्शाती हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-4

प्रश्न: 1. (a) व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) के तीन मुख्य घटकों, जैसे- मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति (संस्कृति और नीतियाँ) तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीतिशास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिये।

उत्तर: व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) मुख्य रूप से चीन के विचारकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली एक अवधारणा है जो किसी राष्ट्र की समग्र शक्ति का परिचायक है। यह अवधारणा पश्चिमी अवधारणाओं के विपरीत किसी राष्ट्र की सभी प्रकार की शक्तियों का योग प्रस्तुत करती है। इसके मुख्य घटकों में उस देश की आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, विज्ञान एवं तकनीकी क्षमता, शिक्षा की स्थिति, मानवीय पूंजी, सामाजिक सद्भाव, सामरिक शक्ति एवं उसके सांस्कृतिक प्रभुत्व (सॉफ्ट पावर) को शामिल किया जाता है।

किसी राष्ट्र की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी. एन.पी.) के मुख्य घटकों (मानवीय पूंजी, सामाजिक सद्भाव एवं मृदु शक्ति) की वृद्धि में नीतिशास्त्र एवं मूल्य की निम्नलिखित भूमिका होती है-

- मानव पूंजी मूलत: उन लोगों के समूह को संदर्भित करती है जो किसी संगठन/राष्ट्र के आर्थिक अथवा राजनीतिक विकास में अपना योगदान देते हैं अथवा देने योग्य होते हैं। यह महज़ श्रमबल तक सीमित नहीं है। किसी राष्ट्र में नीतिशास्त्र एवं मूल्यों के विकास द्वारा हम मानवीय पूंजी में भी अभिवृद्धि कर सकते हैं। यदि किसी राष्ट्र में नैतिकता के मानक उच्च होंगे तो उस समाज में शिक्षा, रोज़गार, अनुशासन एवं तकनीकी विकास पर अधिक बल दिया जाएगा। वहीं यदि उस समाज में निवासरत व्यक्तियों के मूल्य भी उच्च होंगे तो व्यक्ति बेहतर ढंग से स्वयं के लिये उचित तथा अनुचित के मध्य निर्णय ले सकता है। इसके परिणामस्वरूप हमें उस समाज में अधिक निपुण लोगों की प्राप्ति होगी जिससे अंतत: उस राष्ट्र के व्यापक राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि होगी। जैसे कि शुल्टज एवं हर्बीसन द्वारा हाल ही में किये गए अध्ययन दर्शाते हैं कि यू.एस.ए. में उत्पादन की वृद्धि का एक बड़ा भाग, बढ़ी हुई उत्पादकता के कारण है जो मुख्यत: कुशल मानवीय पूंजी निर्माण का परिणाम है।
- 'सॉफ्ट पावर (मृदु शक्ति)' शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। 'सॉफ्ट पावर' मूलत: अमूर्त चीज़ों, जैसे- योग, सिनेमा, संगीत, आध्यात्मिकता आदि पर आधारित होता है। किसी राष्ट्र-विशेष में उसके सामाजिक नीतिशास्त्र एवं व्यक्तिपरक मूल्यों को संवर्द्धित कर वहाँ की संस्कृति एवं प्राचीन परंपराओं को और परिष्कृत किया जा सकता है जो अंतत: उस राष्ट्र के व्यापक राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करेगा। एक उदाहरण के रूप में भारत के अध्यात्मवाद, योग, फिल्म और धारावाहिक, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य और संगीत, व्यंजन के साथ-साथ इसके सिद्धांत, जैसे- विश्व बंधुत्व, अहिंसा, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, बहुलवादी समाज आदि ने विश्व भर के लोगों को आकर्षित किया है।
- किसी विविधतापूर्ण समाज में जब लोगों के मध्य एक-दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति, श्रद्धा, करुणा एवं दया का भाव होता है, सामाजिक सद्भाव कहलाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मन, वचन एवं कर्म की एकता एवं परस्पर सामंजस्य के माध्यम से ही सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। उनके अनुसार यह सामंजस्य समाज में नैतिक मूल्यों के परिवर्द्धन से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार किसी समाज में नैतिक मानकों में वृद्धि कर उस समाज के सामाजिक सद्भाव में अभिवृद्धि की जा सकती है।

प्रश्न: 1. (b) "शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिये एक प्रभावी और व्यापक साधन है।" उपर्युक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति, 2020 (एन.ई.पी., 2020) का परीक्षण कीजिये।

उत्तर: शिक्षा पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने, एक न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये मूलभूत उपकरण है। शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, न्याय और समानता तथा वैज्ञानिक उन्नति की कुंजी है। शिक्षा केवल यह नहीं बताती कि मनुष्य को कैसा आचरण नहीं करना चाहिये बल्कि वह मनुष्य के बुद्धि-विवेक और ज्ञान का उन्नयन कर उसकी आत्म उन्नति पर विशेष ज़ोर देती है।

नई शिक्षा नीति, 2020 राष्ट्र में शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में कई बदलावों का प्रस्ताव करती है, जो निम्नवत् हैं-

- नई शिक्षा नीति पुरातन प्रथाओं और शिक्षाशास्त्र से एक प्रस्थान है। यह छात्रों को उनके कौशल और रुचियों को प्रखर बनाने तथा वैश्विक बाज़ार में उन्हें अधिक वांछनीय बनाने हेतु आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगी। यह बच्चों को '21वीं सदी के कौशल' के अनुरूप बनाने पर प्रमुख रूप से केंद्रित है।
- एनईपी, 2020 व्यापक रूप से प्रारंभिक बचपन से उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सकल नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप-आउट दर पर रोक लगाने पर ज़ोर देती है।
- साथ ही शैक्षणिक क्रेडिट बैंक का निर्माण, अनुसंधान हेतु प्रेरित, अंतर्राष्ट्रीयकरण और विशेष शैक्षणिक क्षेत्रों का विकास, भारत को उच्च गंतव्य के रूप में पुन: विकसित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- विद्यालयों में सभी स्तरों पर नियमित रूप से खेलकूद, योग, संगीत, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही, माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी।
- यह वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिये लिंग समावेशी कोष, विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना पर ज़ोर देता है। साथ ही, दिव्यांग बच्चों के लिये क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर देती है।

चुनौतियाँ

- शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इस कारण एनईपी, 2020 के वास्तविक कार्यान्वयन में अधिकांश राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।

- भारत में शिक्षा पर खर्च जीडीपी का लगभग 4.43 प्रतिशत है, जो बहुत से विकसित व विकासशील देशों से बहुत कम है। अतः वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर जीडीपी के प्रस्तावित 6 प्रतिशत खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।
- तैयारी के चरण से व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ज़ोर, कई तरह के भय, हाशिये की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिये जल्दी पढ़ाई छोड़ने के लिये प्रेरित करेगी। यह सीखने की प्रक्रिया को बाधित करेगी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुछ चुनौतियों के बावजूद एनईपी, 2020 में वे सभी विशेषताएँ मौजूद हैं जो 'भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाने में तथा भावी पीढ़ी के जीवन को आकार देने में मदद कर सकती हैं।

प्रश्न: 2. (a) "घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिये संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें।

उत्तर: इस संदर्भ में कोई दो राय नहीं है कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता तथा राष्ट्र के चित्त दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

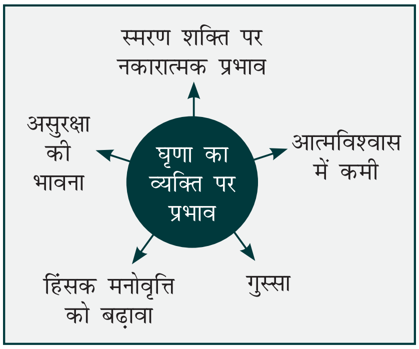

इस विचार को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है–

- हिटलर द्वारा यहूदियों के प्रति उसकी घृणा के कारण जर्मनी में यहूदियों के प्रति नरसंहार की घटनाओं को बढ़ावा मिला।
- हमारे देश में घटित होने वाले सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक वर्ग की दूसरे वर्ग के प्रति घृणा की भावना संपूर्ण राष्ट्र के चित्त को विषाक्त करती है।
- समाज में महिला अत्याचारों के पीछे भी कुछ लोगों की घृणित मानसिकता ही ज़िम्मेदार होती है जो देश की स्वच्छ सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है।

घृणा को निम्नलिखित उपायों को अपनाकर कम किया जा सकता है–

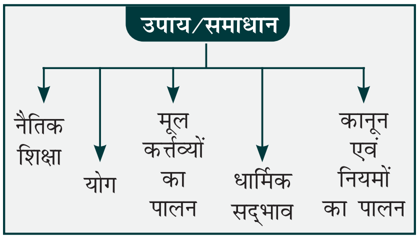

अतः कहा जा सकता है कि घृणा व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है जो समाज और देश की एकता व अखंडता के लिये खतरा है, जिसे मानव के मस्तिष्क में प्रेम व अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का समावेश करके नियंत्रित किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का प्रसिद्ध कथन भी है, "घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, यह सार्वकालिक नियम है।"

प्रश्न: 2. (b) संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिये।

उत्तर: अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक 'Emotional Intelligence why it can matter more than IQ' में संवेगात्मक बुद्धि के बारे में विस्तार से बताया है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कर कौशल व समझदार तरीके से निर्णयन व कार्य करने से है।

संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक–

- **स्व-जागरूकता:** अपने संवेगों की सही जानकारी रखना संवेगात्मक बुद्धि का आधार है। जब तक अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, क्षमताओं एवं कमज़ोरियों को सही ढंग से नहीं समझेंगे तब तक इन पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे।
- **आत्मनियमन:** इसके तहत भावनाओं की प्रकृति, तीव्रता तथा अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना है।
- **स्व-प्रेरणा:** आशावादी तरीके से स्वयं को प्रेरित करना। यदि व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक चुनौतियाँ, बाधाएँ, संघर्ष आदि हैं तो उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिये कि वह स्वयं को प्रेरित कर सके।
- **समानुभूति:** दूसरों की अनुभूतियों को सही ढंग से पहचानने की क्षमता।
- **सामाजिक जागरूकता:** सामाजिक जागरूकता से तात्पर्य अंतर-वैयक्तिक दक्षता से है। इसका आशय है- दूसरों के संवेगों का संचालन करना।

संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखने की प्रक्रिया के पक्ष में तर्क–

- संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखा जा सकता है। ये जन्मजात नहीं होते हैं। इन्हें शिक्षा, बुद्धि कौशल तथा योग एवं ध्यान से विकसित किया जा सकता है। उदाहरण- महात्मा गांधी बचपन से ही संवेगात्मक बुद्धि नहीं रखते थे अपितु उन्होंने समय व अनुभव से इन गुणों को विकसित किया।
- मदर टेरेसा की भावनात्मक समझ में मुख्य रूप से करुणा व समानुभूति जैसे गुण प्रमुख थे जो उनके द्वारा आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा से अर्जित किये गए थे।
- प्रशासनिक नेतृत्व के दृष्टिकोण से भावनात्मक समझ प्रशिक्षण द्वारा सिखाई जा सकती है जिसमें एक प्रशासक द्वारा स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन करते हुए विकट परिस्थिति में साहस एवं नेतृत्व का गुण अहम है। उदाहरण- अजीत डोभाल, सत्येन्द्र नाथ दूबे।

विपक्ष में तर्क

- कुछ विद्वान संवेगात्मक बुद्धि को जन्मजात प्रतिभा मानते हैं।
- अलग-अलग व्यक्तियों की सोच और परिवार, समाज व संस्कृति में संवेगात्मक समझ का स्तर अलग-अलग पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में कौशल, नेतृत्व व प्रबंधन जैसे गुणों का विकास कर राष्ट्रहित में उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न: 3. (a) बुद्ध की कौन-सी शिक्षाएँ आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिये।

उत्तर: बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत की एक महान विभूति हैं। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहाँ उनकी मुख्य शिक्षाओं को त्रिपिटकों, यथा- विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक के रूप मे संहिताबद्ध किया गया। उनके विचार, उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात् आज भी हमारे समाज के लिये प्रासंगिक बने हुए हैं।

वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता

- बुद्ध का विश्वप्रचलित मध्यम मार्ग सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है। वर्तमान में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नस्लवाद तथा जातिवाद इत्यादि समस्याओं ने विश्व को खोखला बना रखा है। ऐसे में बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत, जो रूढ़िवादिता को नकारते हुए तार्किकता पर बल देता है, को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल-मिलाप तथा आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है।
- महात्मा बुद्ध का यह विचार कि दु:खों का मूल कारण इच्छाएँ हैं, आज के उपभोक्तावादी समाज के लिये प्रासंगिक प्रतीत होता है। दरअसल प्रत्येक इच्छा की संतुष्टि के लिये प्राकृतिक या सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे, साथ ही सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिये अनिवार्य हो जाता है।
- बुद्ध का कर्मवादी सिद्धांत भी वर्तमान विश्व में काफी महत्त्व रखता है। दरअसल आज जिस तरह व्यक्ति भाग्यवाद तथा तरह-तरह के आडंबरों एवं कर्मकांड में जकड़ता जा रहा है, ऐसे में कर्मवादी सिद्धांत उन्हें मानव कल्याण से जोड़कर समाज को तार्किक बनाने में कारगर साबित हो सकता है।
- बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत आज के भौतिकवादी समाज में ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उदाहरण के लिये उनका सम्यक् जीविका का विचार इस बात पर बल देता है कि समाज में सभी को जीविका मिले जिससे आज के समाज की बड़ी समस्या बेरोज़गारी का समाधान हो सकता है।
- महात्मा बुद्ध का अंहिसा का विचार, जो सभी प्राणिमात्र के लिये है, भी वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिक है। आज विश्व में जहाँ एक तरफ पशुओं के विरुद्ध हिंसा के नए-नए तरीके खोजे जा रहे हैं, वहीं पशुओं के साथ अच्छा आचरण करने को लेकर पेटा जैसी संस्थाएँ विश्वव्यापी आंदोलन चला रही हैं।
- आज घृणा जैसी नकारात्मक विचारधाराओं के समर्थकों को विचारहीन मृत्यु और विनाश से बचने के लिये रचनात्मक रूप से संलग्न होने की आवश्यकता है। ऐसे में बुद्ध का सिद्धांत "शांति से बढ़कर कोई आनंद नहीं है" ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है।
- बुद्ध का सबसे महत्त्वपूर्ण विचार 'अप्प दीपो भव:' है अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो। इस विचार का मूल यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नैतिक-अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिये। वर्तमान समय में बुद्ध के इस विचार का महत्त्व बढ़ जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर दूसरे की सलाह पर लेता है, अत: वह वस्तु बन जाता है। बुद्ध का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है।

हालाँकि, ऐसा भी नहीं है कि बुद्ध की सभी शिक्षाएँ वर्तमान में प्रासंगिक हैं। बुद्ध का यह विश्वास कि संपूर्ण जीवन दु:खमय है और जगत् को समझने के लिये हर अनुभव को दु:खद अनुभव के रूप में देखने की ज़रूरत है, वर्तमान में तार्किक प्रतीत नहीं होता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने पर कोई भी व्यक्ति निराशावादी प्रवृत्ति का हो सकता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध की शिक्षाओं की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है। उनकी शिक्षा नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक है, जिसके माध्यम से शांति और सतत् विकास पर आधारित एक संघर्ष मुक्त विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न: 3. (b) "शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्त्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है।" अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये।

उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिये एक संघर्ष है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक राष्ट्र हमेशा अपनी स्थिति को मज़बूत करने में लगा रहता है। राष्ट्रीय हित में वह नैतिक कर्त्तव्य की तिलांजलि देता है और विवेक को परे रख देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवेकशीलता का प्रयोग स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है बल्कि दृढ़ अनुभूति और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसलिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सम्मेलन, संधियाँ और प्रथागत नियम विवेकशीलता पर आधारित हैं। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु बम का परीक्षण, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका का बाहर होना आदि तर्कहीनता अथवा व्यक्तिपरक स्वभाव पर आधारित है। इसी प्रकार शक्ति के प्रयोग को नैतिक सिद्धांतों, जैसे- अहिंसा समानता, सहानुभूति और करुणा जैसे मूल्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, भारत का पंचशील सिद्धांत आदि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रमुख उदाहरण हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति की स्थापना तथा इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता नैतिक कर्त्तव्य के सिद्धांतों से निर्देशित हैं, जबकि प्रायोजित आतंकवाद, ट्रेड वार तथा आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध नैतिक कर्त्तव्यों की अवहेलना करते हैं।

निष्कर्षत: सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या मानवीय संवेदना वाली अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ तभी सुलझाई जा सकती हैं जब सभी राष्ट्र एक होकर नैतिक सिद्धांतों और विवेक पर आधारित उच्च मानकों की स्थापना करें। विवेक और नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग ही शक्तिशाली राष्ट्रों को हिंसक होने तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने में सहायक हो सकते हैं।

प्रश्न: 4. (a) विधि और नियम के बीच विभेदन कीजिये। इनके सूत्रीकरण में नीतिशास्त्र की भूमिका का विवेचन कीजिये।

उत्तर:

विधि (Law)	■ विधि या कानून संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो देश/राज्य पर लागू होता है। ■ कानून सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा सरकारी कारकों, जैसे- पुलिस और अभियोजकों द्वारा लागू किये जाते हैं। ■ कानून अनम्य (Inflexible) होते हैं और इनके अंतर्गत कठोर दंड सहित कारावास तथा कुछ मामलों में मौत की सज़ा भी हो सकती है। ■ कानून को प्रभावी होने के लिये मतदान सहित अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुज़रना पड़ता है। ■ कानून शिक्षण उपकरण नहीं है बल्कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने का उपकरण है।
नियम (Rule)	■ नियम आमतौर पर प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का एक समूह होता है जो किसी विशेष कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये गठित/तैयार किये जाते हैं। ■ नियम संगठनों और व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। नियम प्रकृति में व्यक्तिगत होते हैं जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जाता है। ■ नियम अपेक्षाकृत अधिक लचीले होते हैं और टूटने पर हल्के परिणाम देते हैं। ■ नियम आवश्यकतानुसार सेट और समायोजित किये जाते हैं तथा नियमों को स्थापित करने वालों के लिये सम्मान का ध्यान रखा जाता है। ■ नियम हमें समाज में रहने के लिये तैयार करने में मदद करते हैं तथा इनके द्वारा अच्छे नागरिक बनाने के मानक तैयार किये जाते हैं।

विधि और नियम के सूत्रीकरण में नीतिशास्त्र की भूमिका-

- कानून किसी समाज में न्यूनतम प्रवर्तनीय मानक होते हैं, जिनका निर्माण नीतिगत सिद्धांतों तथा नैतिक मूल्यों पर विचार के पश्चात् किया जाता है अर्थात् जब नीतिगत सिद्धांतों को व्यापक स्तर पर स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें संहिताबद्ध कर विधि/कानून का रूप दे दिया जाता है।
- लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के उद्भव संबंधी अधिकांश मामलों में नैतिक मानदंडों से विधियों का विकास हुआ है। हालाँकि, सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणस्वरूप सती प्रथा को देखा जाए तो इसे व्यापक स्तर पर स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानक व्यवहार के रूप में मान्यता प्राप्त थी। किंतु कुछ समाज सुधारकों के प्रयास से इस प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर एक विधान बना दिया गया। यह इस बात का उदाहरण है कि कुछ लोगों की नैतिकता विधि के अधिनियम का कारण बनी, जिसने बाद में समाज के नीतिशास्त्र को आकार प्रदान किया।
- इसी क्रम में IPC की धारा-377 का दृष्टांत लें, जो समलैंगिकता को विधि के विरुद्ध या गैर-कानूनी करार देती है। किंतु सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि समलैंगिकता को समाज के लिये अस्वाभाविक, भ्रष्ट तथा अनैतिक समझा जाता है/था। इसलिये यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ नीतिशास्त्र से प्रेरित होकर विधि अधिनियमित की गई है।
- इसके अलावा, भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करने वाले कानून पर समाज के नीतिशास्त्र का बड़ा प्रभाव है। हमारे समाज में मातृत्व को परमपावन समझा जाता है तथा धन से इसका मूल्य चुकाना यहाँ स्वीकार्य नहीं है। इसी नैतिक सिद्धांत के आधार पर इस कानून को दिशानिर्देश प्रदान किया गया है।
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले IT अधिनियम की धारा-66A एक ऐसा क्लासिक दृष्टांत था जिसमें लोगों की प्रगतिशील नैतिक मान्यताओं ने एक प्रतिगामी कानून को निरस्त करने में सहायता की।

इस प्रकार उपर्युक्त दृष्टांतों से स्पष्ट है कि विधि और नीतिशास्त्र एक-दूसरे के विरोधाभासी भी हो सकते हैं तथा एक-दूसरे को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक भी।

प्रश्न: 4. (b) सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है जिसे प्राय: नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति में सकारात्मक अभिवृत्ति क्या योगदान देती है?

उत्तर: अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक है तो उसकी प्रतिक्रिया भी अनुकूल होगी। इसी कारण से सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है।

एक सिविल सेवक अपने सेवा काल के दौरान करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इस दौरान उसे राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन, कार्य का अतिशय भार, मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। ऐसे में सकारात्मक अभिवृत्ति एक सिविल सेवक को समाज के कल्याण के लिये अपनी योग्यता का उपयोग करने हेतु निर्देशित और नियंत्रित करती है। लोक सेवकों में सकारात्मक अभिवृत्ति प्रशासन और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। सकारात्मक अभिवृत्ति लोक सेवकों को अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान तनाव प्रबंधन में भी सहायता करती है।

निम्नलिखित उपायों से किसी व्यक्ति में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो सकता है-

- स्वयं के गुणों एवं दोषों की जाँच करना और उसे बदलने की इच्छा।
- नवीन विचारों और अवधारणाओं के प्रति खुलापन।
- स्वयं के भय को दूर करने की इच्छाशक्ति और साहस।
- खुद को मानने और खुद पर विश्वास करने की इच्छा।
- दुनिया को प्रभावित करने की स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना।
- यह मानना कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई और मूल्य हैं तथा प्रेम सभी पर विजय प्राप्त करता है।
- जीवन में खुशी की अनुभूति होना।
- सकारात्मक अभिकथन को बार-बार दोहराकर अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना।

सामान्यतया अभिवृत्ति सीखी जाती है परंतु कुछ मामलों में यह जन्मजात भी होती है। अभिवृत्ति सामान्यत: स्थायी होती है परंतु इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

प्रश्न: 5. (a) भारत में लैंगिक असमानता के लिये कौन-से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान का विवेचन कीजिये।

उत्तर: लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। 'वैश्विक लैंगिक अंतराल

सूचकांक-2020' में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में लैंगिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं।

भारत में लैंगिक असमानता के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं–

- उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है।
- भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक एवं पारिवारिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं को विकास के कम अवसर उपलब्ध होते हैं।
- शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष तथा महिला साक्षरता के मध्य 16.68% का अंतराल है।
- राजनीति में महिलाओं की अल्प भागीदारी। वर्तमान में भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधि मात्र 11% हैं।
- 'STEM' क्षेत्र के रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी मात्र 14% है।

लैंगिक असमानता दूर करने में सावित्री बाई फुले का योगदान–

- इन्होंने अपने पति ज्योतिबाराव फुले के साथ मिलकर पुणे में 1848 ई. में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की।
- इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 1852 में 'महिला सेवा मंडल' की स्थापना की।
- टिफनी वेन ने सावित्री बाई फुले को "पहली पीढ़ी की आधुनिक भारतीय नारीवादी और विश्व नारीवाद के लिये महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता" के रूप में वर्णित किया है।

प्रश्न: 5. (b) सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को मनासीन किया है, जो प्राय: परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील रहते हैं।" विवेचना कीजिये।

उत्तर: वर्तमान समय में इंटरनेट समस्त विश्व के दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। इंटरनेट अब मात्र सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित नहीं है अपितु यह अब अपने परिष्कृत रूप में एक बहु-विषयक उपकरण के रूप में सामने आया है। किंतु इसके विपरीत, इंटरनेट के अनेक दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे- इसने मनुष्य को वास्तविक जीवन से दूर कर एक आभासी दुनिया में धकेल दिया है, जिसने मानव समाज के लिये अनेक गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इन्हीं चुनौतियों में से एक है– सांस्कृतिक मूल्यों में हो रहे परिवर्तन।

इंटरनेट विस्तारण ने आज सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को जन्म दिया है जो परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील प्रतीत होते हैं–

- सामाजिक सद्भाव एवं मेल-जोल की परंपरागत संस्कृति के विपरीत आज व्यक्ति समाज से कटता जा रहा है और वर्चुअल दुनिया में खोता जा रहा है।
- इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग ने लोगों की रचनात्मकता को भी प्रभावित किया है। लोग आज नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी एवं स्टेज शो को प्रत्यक्ष देखने की अपेक्षा उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ही देखने को वरीयता दे रहे हैं। इसके चलते इन कलाकारों का मनोबल भी कमज़ोर हुआ है।
- इंटरनेट के प्रयोग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत समाज के उन प्रतिबंधित (taboo) विषयों पर भी खुली चर्चा (ओपन डिस्कशन) की जाती है जिन्हें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत चर्चा हेतु निषेध माना जाता है। इन विषयों में एल.जी.बी.टी. समुदाय, महिला माहवारी (Menstruation) और लिव इन रिलेशन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
- वर्तमान में इंटरनेट के प्रयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन लाया है। आज बच्चे अपने से कहीं दूर बैठे शिक्षक से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किंतु शिक्षा के इस नवाचारी माध्यम ने प्राचीन गुरुकुल की गुरु-शिष्य परंपरा को कमज़ोर कर दिया है।
- इंटरनेट के प्रसार ने आज के बच्चों की मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव डाला है। सोशल मीडिया के इस युग में आज बच्चे उन कंटेंट अथवा सामग्री को भी देख रहे हैं जिन्हें परंपरागत संस्कृति में उनसे दूर रखा जाता है।
- सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के माध्यम से किसी धर्म-विशेष के विरुद्ध लोगों की मानसिकता को प्रभावित किया जाता है। इसके चलते हमें सांप्रदायिक संघर्ष के मामले भी देखने को मिलते हैं। परिणामत: भारतीय संस्कृति में प्रचलित 'सर्वधर्म समभाव' जैसे मूल्यों का ह्रास हो रहा है।

यद्यपि ऐसा नहीं कि उपर्युक्त कमियों के चलते इंटरनेट का संस्कृति पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। इंटरनेट ने वैश्वीकरण की गति को बढ़ाकर परंपरागत 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा को बल प्रदान किया है। सूचना की क्रांति के चलते आज किसी भी रिमोट क्षेत्र में रह रहा व्यक्ति अपनी संस्कृति के सभी पहलुओं से परिचित हो सकता है। नाभिकीय परिवार की अवधारणा से प्रभावित वर्तमान समय में इंटरनेट के प्रयोग से किसी अन्य क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने सगे-संबंधियों से जुड़ पा रहे हैं जिसने पारिवारिक एकता को कहीं-न-कहीं मज़बूत भी किया है।

अत: आवश्यकता है कि हम इंटरनेट का अपने हित के लिये प्रयोग करें, किंतु यह भी प्रयास करें कि हम इस आभासी दुनिया में इतना न खो जाएँ कि यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके।

प्रश्न: 6. निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

(a) "किसी की भर्त्सना नहीं कीजिये : अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कीजिये। यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िये, अपने बंधुओं को आशीर्वचन दीजिये और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिये।" –स्वामी विवेकानंद

उत्तर: स्वामी विवेकानंद एक योद्धा संन्यासी थे। आत्मज्ञानी संन्यासी के रूप में उन्होंने 'स्व' का विस्तार करते हुए 'आत्मबोध' की ओर प्रवृत्त करने का मार्ग प्रस्तुत किया है। स्वामी जी ने व्यावहारिक जीवन में वेदांत दर्शन की उपयोगिता बताने के क्रम में उक्त उद्धरण का वाचन किया।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम सभी उसी एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यदि कोई किसी कारणवश हमारे समान उन्नति नहीं कर पाया तो उससे घृणा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों की निंदा अथवा भर्त्सना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि भेद केवल परिमाणगत होता है, प्रकारगत नहीं। वास्तव में सभी वस्तुएँ वही एक अखंड वस्तुमात्र हैं और उनमें अंतर केवल परिमाण का है। इसलिये यदि हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो ऐसा करना चाहिये। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें अपने रास्ते जाने देना चाहिये क्योंकि सभी लोग कमोबेश उसी आदर्श की ओर पहुँच रहे हैं। गाली देने से अथवा निंदा करने से कोई उन्नति नहीं होती है बल्कि ऐसा करके व्यक्ति स्वयं की ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट करता है।

स्वामी विवेकानंद ने बताया, यदि युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए और हर समय अनावश्यक रूप से उनकी आलोचना न की जाए तो वे समय पर उन्नति करने के लिये बाध्य हो जाएंगे।

(b) "स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आपको अन्य की सेवा में खो दें।" -महात्मा गांधी

उत्तर: यहाँ 'स्वयं को खोजने' का वास्तविक अर्थ हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक गुणों का पता लगाना नहीं है बल्कि मानव के अस्तित्व के उद्देश्य को जानने से है।

हमारा अस्तित्व समाज के अस्तित्व पर निर्भर करता है क्योंकि जब सर्वोदय होगा तब हमारा भी उदय होगा। यह वाक्यांश गांधी के सर्वोदय की संकल्पना से संबंधित है, इसलिये हमारी उन्नति का मार्ग हमारे चरित्र की श्रेष्ठता पर निर्भर करता है और चरित्र की उन्नति तभी होगी जब हम अपने कार्यों के प्रभाव का आकलन समाज के संदर्भ में करना सीखें तथा 'मैं' के भाव से आगे बढ़कर 'हम' का भाव रख सकें।

महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा एवं न्याय रूपी सद्गुणों को तभी वास्तविक रूप से अपनाया जब वे शोषित वर्ग के कल्याण के मार्ग पर चले। गौतम बुद्ध और बोधिसत्वों ने अपना पूरा जीवन मानवजाति की सेवा में समर्पित कर दिया।

राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने हमें समाज के कल्याण के लिये अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिये सेवा का सिद्धांत सिखाया है। भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया है- 'परहित सरस धरम नहीं भाई'। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी कथन है कि 'जीवन केवल दूसरों के लिये जीने के लायक है।' मदर टेरेसा ने भी मानव सेवा व कुष्ठ रोगियों की सेवा का मंत्र दिया।

इसलिये 'स्व' को खोजने के लिये व्यक्ति को अपने शरीर, धन और ज्ञान जैसे सभी संसाधनों का उपयोग करके समुदाय की सेवा का प्रयास करना चाहिये।

(c) "नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्तिसंगत नहीं है और न ही सत्य।" -सुकरात

उत्तर: नैतिकता एक दार्शनिक अवधारण है जिसमें सही और गलत की अवधारणाओं को व्यवस्थित करना, बचाव करना और अनुशंसा करने की प्रक्रिया शामिल होती है। नैतिक निर्णयन की प्रक्रिया किसी विषय के ज्ञानात्मक तत्त्व, भावनात्मक तत्त्व तथा क्रियात्मक तत्त्व पर निर्भर करती है।

सुकरात ने उपर्युक्त उद्धरण के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित नैतिकता अपने आप में अशिष्ट होती है अर्थात् सापेक्ष भावुकता पर आधारित विकल्प नैतिक विकल्प नहीं हो सकते।

सुकरात का मूल उद्देश्य ऐसे सार्वभौमिक नैतिक विचार की स्थापना करना था, जो विभिन्न व्यक्तियों या देशकाल की परिस्थितियों से प्रभावित न हो। वे सोफिस्टों द्वारा प्रचारित आत्मनिष्ठतावादी व सापेक्षवादी विचार से असंतुष्ट थे, क्योंकि उसके बल पर किसी भी कार्य को नैतिक या अनैतिक ठहराया जा सकता है। इन्होंने नैतिकता के प्रतिमान के रूप में भावनात्मक तत्त्व की अपेक्षा ज्ञानात्मक तत्त्व को अधिक महत्त्व दिया है।

सुकरात ने सद्गुणों को नैतिकता का प्रतिमान माना है। इनके अनुसार सद्गुण वे गुण हैं जो कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं और व्यक्ति के भीतर ऐसी क्षमता पैदा करते हैं कि वह अपनी वासनाओं और इच्छाओं को अपने विवेक के अधीन रख सके। उदाहरण के लिये, साहस सद्गुण का अर्थ है- भय की भावना को नियंत्रित करने का स्थायी गुण, जो बार-बार ऐसी परिस्थितियों में किये गए अभ्यास से विकसित होता है। सुकरात ने 'ज्ञान' को प्रमुख सद्गुण माना है। इसका वास्तविक अर्थ है- शुभ-अशुभ, सत्य-असत्य, न्याय-अन्याय तथा कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य में भेद कर पाने की क्षमता।

इन्होंने विभिन्न सद्गुणों के संबंध को स्पष्ट करने के लिये 'सद्गुणों की एकता का सिद्धांत' (Principle of Unity of Virtues) प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ज्ञान एकमात्र सद्गुण है और शेष सद्गुण साहस, संयम, विवेक, न्याय आदि इसी के विशिष्ट रूप हैं।

प्रश्न: 7. राजेश कुमार एक वरिष्ठ लोक सेवक हैं, जिनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता की प्रतिष्ठा है, आजकल वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के प्रमुख हैं। वर्तमान में उनका विभाग राज्यों को बजटीय सहायता की व्यवस्था करने में व्यस्त है, जिनमें से चार राज्यों में इसी वित्तीय वर्ष में चुनाव होने वाले हैं।

इस वर्ष के वार्षिक बजट ने राष्ट्रीय आवास योजना (एन.एच.एस.) को ₹8300 करोड़ आवंटित किये थे। यह समाज के कमज़ोर समूहों के लिये केंद्र प्रायोजित सामाजिक आवास योजना है। जून माह तक ₹775 करोड़ एन.एच.एस. हेतु लिये गए हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्य मंत्रालय काफी समय से एक दक्षिणी राज्य में विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.ज़ेड) स्थापित करने की पैरवी कर रहा है। केंद्र और राज्य के मध्य दो वर्षों तक चली विस्तृत चर्चा के बाद अगस्त माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई।

अठारह माह पूर्व एक उत्तरी राज्य में क्षेत्रीय गैस ग्रिड के लिये एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने विशाल गैस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बताई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पी.एस.यू.) के पास आवश्यक भूमि पहले से ही है। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा व्यूहरचना में यह गैस ग्रिड एक अनिवार्य घटक है। वैश्विक बोली (ग्लोबल बिडिंग) के तीन चरणों के बाद इस योजना को एक बहुराष्ट्रीय उद्योग (एम.एन.सी.) मैसर्स एक्स वाई ज़ेड हाइड्रोकार्बन को आवंटित किया गया। दिसंबर में इस बहुराष्ट्रीय उद्योग को भुगतान की पहली किश्त देना निर्धारित है।

इन दो विकास योजनाओं को समय से ₹6000 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित करने के लिये वित्त मंत्रालय को कहा गया। यह निर्णय लिया गया कि पूरी राशि एन.एच.एस. आवंटन में से पुनर्विनियोजित करने की संस्तुति की जाए। फाइल को समीक्षा और अग्रिम कार्यवाही के लिये बजट विभाग में प्रेषित कर दिया गया। फाइल का अध्ययन करने पर राजेश कुमार को यह आभास हुआ कि पुनर्विनियोजन करने से एन.एच.एस. योजना को क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलंब हो सकता है, वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा आयोजित सभाओं में इस योजना की काफी चर्चा हुई थी। दूसरी ओर वित्त की अनुपलब्धता से एस.ई.ज़ेड. में वित्तीय क्षति होगी और अंतर्राष्ट्रीय योजना में विलंबित भुगतान से राष्ट्रीय शर्मिंदगी भी।

राजेश कुमार ने इस प्रसंग पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें बताया गया कि राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील स्थिति पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिये। राजेश कुमार ने महसूस किया कि एन.एच.एस. योजना से राशि के विपथन पर सरकार के लिये संसद में कठिन प्रश्न खड़े हो सकते हैं।

इस प्रसंग के संदर्भ में निम्नलिखित का विवेचन कीजिये–

(a) कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दे।

(b) सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिये। क्या पदत्याग एक योग्य विकल्प है?

उत्तर: भारत के संविधान में निहित नीति के निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र के साथ-साथ लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करना है। उपर्युक्त केस स्टडी राष्ट्र के आर्थिक विकास और लोककल्याणकारी योजनाओं के चयन में संतुलन स्थापित करने की ओर इंगित करती है।

नीतिपरक मुद्दे

- **गरीबों के लिये आवास बनाम राष्ट्र का आर्थिक विकास:** राष्ट्रीय आवास योजना, जो समाज के कमज़ोर समूहों के कल्याण से संबंधित है। इसके आवंटन में पुनर्विनियोजन करने से योजना को क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलंब हो सकता है। वहीं विशेष आर्थिक ज़ोन की स्थापना से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है तथा गैस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने से ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।
- **समाजवाद बनाम पूंजीवाद:** राष्ट्रीय आवास योजना लोक कल्याण के उद्देश्यों के साथ समाजवादी विचारधारा की ओर अधिक झुकी है। वहीं एस.ई.ज़ेड. तथा गैस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना पूंजीवादी विचारधारा को वरीयता देती है।

राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्प

- **आवास परियोजना के लिये कंपनियों के CSR का उपयोग करना:** यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार होगा। इसके तहत कंपनी के पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ का कम-से-कम 2% खर्च करना होता है। इस राशि का प्रयोग समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये आवास बनाने में किया जा सकता है।
- **अतिरिक्त बजटीय सहायता:** इन विकास योजनाओं को समय से पूरा करने के लिये अतिरिक्त बजटीय सहायता का आग्रह किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होने के साथ-साथ राजकोष पर अतिरिक्त दबाव भी डालेगी।
- **आवास के निर्माण हेतु एस.ई.ज़ेड. के लाभ का एक हिस्सा आवंटित करना:** उपर्युक्त प्रकरण में एस.ई.ज़ेड. के लिये एक अनुबंध पहले से ही किया गया और राष्ट्रीय आवास योजना के लिये भूमि अधिग्रहण अभी शुरू ही किया गया है। चूँकि भूमि अधिग्रहण में समय अधिक लगता है इसलिये अधिकारी द्वारा एस.ई.ज़ेड़. के लिये फंड आवंटित किया जा सकता है। तत्पश्चात् एस.ई.ज़ेड. से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा राष्ट्रीय आवास योजना के लिये आवंटित किया जा सकता है।

पदत्याग एक योग्य विकल्प हो सकता है?

चूँकि राजेश एक वरिष्ठ लोक सेवक होने के साथ ईमानदार और स्पष्टवादी लोक सेवक भी हैं। इसलिये इनके द्वारा पदत्याग करना कर्त्तव्यविमुखता को दर्शाता है, क्योंकि "जीतने वाले कभी मैदान छोड़ते नहीं और मैदान छोड़कर भागने वाले कभी जीतते नहीं।"

अत: इन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए मध्यममार्ग को अपनाना चाहिये ताकि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये आवास भी बन जाए और राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी कोई बाधा उत्पन्न न हो।

प्रश्न: 8. भारत मिसाइल लिमिटेड (बी.एम.एल.) के अध्यक्ष टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के विकास की आवश्यकता पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। अवचेतन रूप में उन्होंने हामी भरी और मन-ही-मन मुस्कराते हुए बी.एम.एल. की विगत दो दशकों की यात्रा की मानसिक पुनर्समीक्षा की। प्रथम पीढ़ी (फर्स्ट जेनरेशन) की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ए.टी.जी.एम.) के उत्पादन में प्रशंसनीय रूप से आगे बढ़कर बी.एम.एल. अब अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित ए.टी.जी.एम. हथियार प्रणालियों को डिज़ाइन और उनका उत्पादन कर रहा था जो विश्व की किसी भी सेना के लिये ईर्ष्या का कारण होगा। आह भरते हुए उन्होंने अपनी इस पूर्वधारणा के साथ समझौता किया कि संभवतया सरकार सैनिक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध की यथास्थिति को नहीं बदलेगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगले ही दिन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय से बी.एम.एल. द्वारा ए.टी.जी.एम. के उत्पादन में वृद्धि करने की रीतियों पर चर्चा करने के लिये उन्हें फोन आया क्योंकि संभावना है कि एक मित्र विदेशी देश को उनका निर्यात किया जा सकता है। महानिदेशक चाहते थे कि अध्यक्ष अगले सप्ताह दिल्ली में उनके अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करें।

दो दिन बाद, एक संवाददाता सम्मेलन में, रक्षामंत्री ने कहा कि अगले पाँच वर्षों में वे वर्तमान हथियार निर्यात स्तरों को दोगुना करने का ध्येय रखते हैं। यह देशज हथियारों के विकास और निर्माण के वित्तपोषण को प्रोत्साहन देगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी देशज हथियार निर्माता राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है।

बी.एम.एल. के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके क्या विचार हैं–

(a) हथियार निर्यातक के रूप में भारत जैसे उत्तरदायी देश के हथियार व्यापार में नीतिपरक मुद्दे क्या हैं?

(b) विदेशी सरकारों को हथियारों के विक्रय संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले पाँच नीतिपरक कारकों को सूचीबद्ध कीजिये।

उत्तर: उपर्युक्त केस स्टडी वर्तमान में हथियारों के बढ़ते निर्यात से उत्पन्न नैतिक मुद्दों से संबंधित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सिपरी) की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का कारोबार तेज़ी से फल-फूल रहा है। विश्व में प्रतिवर्ष हथियारों का 100 बिलियन डॉलर से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होता है तथा अमेरिका, रूस और चीन के बीच अधिकाधिक हथियारों के निर्यात की होड़ के चलते इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। हथियारों के बढ़ते निर्यात के इन आँकड़ों ने इस व्यवसाय से संबंधित अनेक नैतिक चिंताओं को भी जन्म दिया है।

प्रकरण से संबंधित हितधारक समूह

- हथियार निर्यातक के रूप में भारत
- भारत मिसाइल लिमिटेड (बी.एम.एल.) के अध्यक्ष के रूप में स्वयं मैं
- हथियार प्राप्तकर्त्ता राष्ट्र

प्रकरण में विद्यमान नैतिक मुद्दे

- मानवाधिकारों के हनन से संबंधित मुद्दे
- पर्यावरण से संबंधित मुद्दे
- नैतिक दायित्वों का निर्धारण
- वसुधैव कुटुम्बकम एवं निशस्त्रीकरण के आदर्शों के विपरीत
- व्यावसायिक नैतिकता के ह्रास का मुद्दा
- सतत् विकास लक्ष्य एवं भारतीय संविधान के उद्देश्यों के विपरीत

उपर्युक्त प्रकरण में बी.एम.एल. के अध्यक्ष होने के नाते मेरे विचार से जो पाँच नीतिपरक कारक विदेशों को भारत द्वारा हथियार निर्यात करने के निर्णय को प्रभावित करेंगे, वे निम्नलिखित हैं–

- **पर्यावरण से संबंधित मुद्दे–** गौरतलब है कि मिसाइल जैसे विध्वंसक हथियार का प्रयोग किसी भी राष्ट्र द्वारा करना अंततः समस्त पृथ्वी के पर्यावरण के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। वर्तमान विश्व जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन एवं ओज़ोन लेयर के क्षय जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को झेल रहा है, ऐसे में भारत जैसे एक ज़िम्मेदार राष्ट्र द्वारा हथियारों के निर्यात में वृद्धि के निर्णय का अनेक पर्यावरणीय संगठनों द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक है–
- **भारतीय विदेश नीति के आदर्शः** यह सत्य है कि भारत ने सदैव अपने से कमज़ोर पड़ोसी देशों के प्रति 'बड़े भाई' की भूमिका का निर्वहन किया है और इसी संदर्भ में अनेक विचारकों द्वारा भारत के मिसाइल निर्यात के इस निर्णय को सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से सही ठहराने का प्रयास भी किया जा सकता है। किंतु यहाँ हमें यह भी ज्ञात होना चाहिये कि भारतीय विदेश नीति का आधार 'वसुधैव कुटुम्बकम', 'निशस्त्रीकरण' एवं 'शांतिपूर्ण सहअस्तित्व' के आदर्श पर निर्मित है। ऐसे में भारत द्वारा हथियार निर्यात में वृद्धि का यह निर्णय इन आदर्शों के विपरीत प्रतीत होता है।
- भारतीय संविधान एवं सतत् विकास लक्ष्य के उद्देश्यों के विपरीत भारत का हथियार निर्यात का यह निर्णय भारतीय संविधान का अनुच्छेद-51, जो 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि' का कर्त्तव्य निर्धारित करता है एवं सतत् विकास लक्ष्य-16, जो शांति एवं न्याय को स्थापित करने का उद्देश्य रखता है, से सामंजस्य नहीं रखता है। ऐसे में इस आधार पर इसका विरोध किये जाने की संभावना है।
- **व्यापार नैतिकता से संबंधित मुद्देः** नैतिकता का यह रूप कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जाँच करता है तथा उसके संदर्भ में कुछ मानकों की स्थापना करता है। इस निर्णय द्वारा यद्यपि भारत को न सिर्फ आर्थिक लाभ होगा अपितु इससे अनेक रोज़गार पैदा होने की भी संभावना है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक अच्छा कदम होगा, किंतु इससे व्यावसायिक नैतिकता के मूल आयामों, जैसे– सामाजिक हित आदि के कमज़ोर होने की भी संभावना है।
- **नैतिक द्वंद्व/दुविधाः** इसमें मिसाइल जैसे विध्वंसक हथियारों के गलत हाथों में जाने की भी संभावना है। विश्व में आतंकवादी समूहों के होते प्रसार से आज कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं है, ऐसे में यदि भारत द्वारा निर्यात किये गए हथियार किसी आतंकवादी समूह के हाथ लग गए तो इससे होने वाले नुकसान में भारत समान रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसे में, भारत के समक्ष यह नैतिक दुविधा भी होगी कि राष्ट्रहित एवं नैतिक दायित्व में किसे चुने।

प्रश्नः 9. रामपुरा, एक सुदूर जनजाति बहुल ज़िला, अत्यधिक पिछड़ेपन और दयनीय निर्धनता से ग्रसित है। कृषि स्थानीय आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है लेकिन बहुत छोटे भूस्वामित्व के कारण यह मुख्यतया निर्वाह-खेती तक सीमित है। औद्योगिक या खनन गतिविधियाँ यहाँ नगण्य हैं। यहाँ तक कि लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों से भी जनजातीय आबादी को अपर्याप्त लाभ हुआ है। इस प्रतिबंधित परिदृश्य में, पारिवारिक आय के अनुपूरण हेतु युवाओं को समीप स्थित राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। अवयस्क लड़कियों की व्यथा यह है कि श्रमिक ठेकेदार उनके माता-पिता को बहला-फुसलाकर उन्हें एक नज़दीक राज्य में बी.टी. कपास फार्मों में काम करने भेज देते हैं। इन अवयस्क लड़कियों की कोमल अँगुलियाँ कपास चुनने के लिये अधिक उपयुक्त होती हैं। इन फार्मों में रहने और काम करने की अपर्याप्त स्थितियों के कारण अवयस्क लड़कियों के लिये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो गई हैं। मूल निवास और कपास फार्मों के ज़िलों में स्वयंसेवी संगठन भी निष्प्रभावी लगते हैं और उन्होंने क्षेत्र के बाल श्रम और विकास की दोहरी समस्याओं हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये हैं।

आपको रामपुरा का ज़िला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है। यहाँ निहित नीतिपरक मुद्दों की पहचान कीजिये। अपने ज़िले के संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारने और अवयस्क लड़कियों की स्थितियों में सुधार लाने के लिये आप क्या विशिष्ट कदम उठाएंगे?

उत्तरः उक्त प्रकरण में एक जनजाति बहुल ज़िलों में सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के साथ ही शोषण तथा प्रवसन की समस्या को भी उजागर किया गया है। इसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों की नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगाने के साथ ही लिंग पूर्वाग्रह जैसी समस्या भी मौजूद है। संपूर्ण प्रकरण में सरकारी तंत्र, स्वयंसेवी संगठन, जनजातीय आबादी, श्रमिक ठेकेदार तथा बी.टी. कपास फार्म प्रमुख हितधारक हैं।

नीतिपरक मुद्दे

- संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन
  - बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
  - अनुच्छेद 21, 23, 39, 42 तथा 46
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- बाल अधिकार का उल्लंघनः बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CRC) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।
- लिंग पूर्वाग्रहः केवल अवयस्क लड़कियों को कपास फार्मों में कार्य हेतु चुना जाना।
- कॉरपोरेट की सामाजिक ज़िम्मेदारी की अवधारणा की अनदेखी।
- लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन का अभाव।
- युवाओं का पलायन
- आजीविका की समस्याः कृषि ही स्थानीय आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है।
- कृषि की अनुपयोगिताः कृषि जोतों का छोटा होना इसे आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक बनाता है।

- गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ: कपास फार्म में कार्य करने की अपर्याप्त स्थितियों के कारण।

ज़िला कलेक्टर के रूप में मैं निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाऊंगा–

- स्वयं सेवी संगठनों को विकास कार्यों में तेज़ी लाने के लिये प्रशासनिक सहयोग एवं निगरानी में वृद्धि करेंगे।
- संलग्न बी.टी. कपास फार्मों पर कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिये संबंधित राज्य सरकार से अनुशंसा करना।
- मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, पोषण अभियान, प्रवासी मज़दूरों के लिये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना आदि लक्षित कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही का संज्ञान लेकर दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई करना।
- दोषी श्रमिक ठेकेदार की पहचान कर उस पर कानूनी कार्रवाई करना।
- कृषि से संबंधित सब्सिडी तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- जोतों की चकबंदी सहित अन्य प्रकार की सुविधाओं के विकास द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना।
- स्थानीय आबादी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करना।

प्रश्न: 10. आप एक बड़े नगर के निगम आयुक्त हैं तथा आपकी छवि एक अत्यंत ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी की है। आपके नगर में एक विशाल बहुद्देशीय मॉल निर्माणाधीन है जिसमें बड़ी संख्या में दैनिक मज़दूरी पाने वाले श्रमिक कार्यरत हैं। मानसून के दौरान एक रात छत का बड़ा भाग गिर जाता है जिससे चार श्रमिकों की तात्कालिक मृत्यु हो जाती है जिनमें दो अवयस्क हैं। अनेक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल चिकित्सा सेवा की आवश्यकता थी। दुर्घटना से मचे हाहाकार ने सरकार को जाँच के आदेश देने हेतु बाध्य किया।

आपकी प्रारंभिक जाँच में अनेक विसंगतियों का खुलासा हुआ। निर्माण में लाई गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी। स्वीकृत निर्माण योजना में केवल एक निम्नतल की अनुमति थी लेकिन एक अतिरिक्त निम्नतल का निर्माण कर लिया गया। नगर निगम के इंस्पेक्टर द्वारा समय-समय पर किये गए निरीक्षण के दौरान इसको अनदेखा किया गया। अपनी जाँच के दौरान आपने पाया कि मास्टर प्लान में उल्लिखित हरित पट्टी एवं एक अभिगम मार्ग के प्रावधान के बाद भी मॉल के निर्माण को अनुमति प्रदान कर दी गई। मॉल के निर्माण की स्वीकृति पूर्व निगम आयुक्त के द्वारा दी गई थी जो न केवल आपके वरिष्ठ हैं और पेशेवर रूप से आपसे अच्छी तरह परिचित हैं, साथ ही आपके अच्छे मित्र भी हैं।

प्रथमदृष्टया, यह प्रसंग नगर निगम के अधिकारियों और निर्माणकर्त्ता के बीच व्यापक साँठगाँठ का प्रतीत होता है। आपके सहकर्मी आप पर जाँच को मंद गति से करने का दबाव डाल रहे हैं। निर्माणकर्त्ता, जो कि समृद्ध और प्रभावशाली है, राज्य मंत्रिमंडल के एक शक्तिशाली मंत्री का निकट का रिश्तेदार है। निर्माणकर्त्ता आपको बड़ी राशि देने का वादा करके प्रसंग को रफादफा करने के लिये बहला-फुसला रहा है। वो यह भी इशारा करता है कि यदि प्रसंग उसके हित में शीघ्र निपटाया नहीं जाता है तो कार्यालय में कोई आपके विरुद्ध यौन उत्पीड़न कार्यस्थल अधिनियम (पोश एक्ट) के अंतर्गत मामला दर्ज करने का इंतज़ार कर रही है।

इस प्रसंग में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिये। इस परिस्थिति में आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? आपके द्वारा चयनित क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: उपर्युक्त प्रकरण श्रमिकों की मृत्यु तथा अधिकारियों और निर्माणकर्त्ता के बीच व्यापक साँठगाँठ को प्रदर्शित करता है। इस मामले को सुलझाने के लिये सत्यनिष्ठा, मानवाधिकार तथा कर्त्तव्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को आधार बनाया जा सकता है। इसमें शामिल हितधारक हैं–

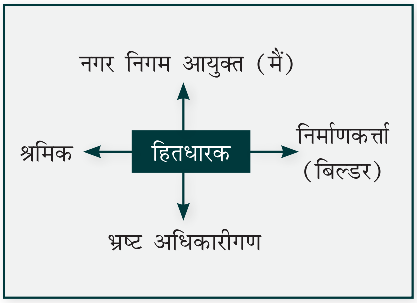

नैतिक मुद्दे

- **भ्रष्टाचार का मुद्दा:** इस मामले की जाँच के दौरान पाया गया कि अधिकारियों और निर्माणकर्त्ता के बीच व्यापक साँठगाँठ है। साथ ही सामग्री की निम्न गुणवत्ता तथा एक अतिरिक्त निम्नतल के निर्माण का मुद्दा सामने आया है।
- **प्राधिकरण पर लोगों के विश्वास का मुद्दा:** नगर निगम के इंस्पेक्टर के द्वारा निरीक्षण के दौरान कमियों को अनदेखा करना तथा हरित पट्टी एवं अभिगम मार्ग के प्रावधान के बाद भी मॉल के निर्माण को अनुमति प्रदान करने से प्राधिकरण पर लोगों में विश्वास की कमी महसूस की गई है।
- **संस्थागत नैतिकता:** इस मामले में शामिल अधिकारियों द्वारा अपने कर्त्तव्य से विमुखता तथा निर्माणकर्त्ता (बिल्डर) के प्रति अधिक झुकाव संस्थागत नैतिकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
- **साहस और धैर्य का मुद्दा:** चूँकि सहकर्मी जाँच को मंद गति से करने का दबाव डाल रहे हैं और निर्माणकर्त्ता भी मंत्रिमंडल के एक शक्तिशाली मंत्री का रिश्तेदार है। अत: इस स्थिति में साहस और धैर्य से ही समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
- **ईमानदारी और अक्षमता:** इस मामले को रफादफा करने के लिये निर्माणकर्त्ता द्वारा बड़ी राशि (संपत्ति) तथा पोश एक्ट के द्वारा धमकी दी जा रही है। चूँकि मेरी छवि एक ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी की भी है, अत: ऐसी स्थिति में या तो मामले को रफादफा कर दिया जाए या ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ होकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है।

मेरे पास उपलब्ध विकल्प

- **निर्माणकर्त्ता द्वारा ऑफर किये गई मोटी रकम (संपत्ति) को स्वीकार करना:** यह नैतिक रूप से गलत है और व्यावहारिक रूप से खतरनाक भी है क्योंकि इस तरह के गलत कार्य बहुत जल्द ही या बाद में पकड़े जा सकते हैं। साथ ही, ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी की छवि भी धूमिल हो सकती है।
- **पोश एक्ट के आधार पर धमकी का सामना करना:** मेरे लिये यह एकमात्र खतरा हो सकता है। चूँकि मेरे पास पहले से ही एक

ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, इसलिये कार्यालय में कोई भी इस तरह के फर्ज़ी मामलों पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मामल दर्ज किया जाता है, तब भी मैं इस तरह के आरोपों के बारे में चिंता नहीं करूंगा और इसके लिये कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ूंगा।

मेरे द्वारा चयनित क्रियाविधि

- इस स्थिति के बारे में अपने से उच्च अधिकारियों को सूचित करना क्योंकि इसमें कथित तौर पर राजनीतिक नेता शामिल हैं।
- पिछले नगर आयुक्त जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें इस संदेह से अवगत कराकर उनसे इस मामले पर बात करूंगा। यदि उसने जानबूझकर गलती की है, तो दोस्ती के रिश्ते से ऊपर उठकर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
- इस मामले की जाँच में पूछताछ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- उच्च अधिकारियों को मेरे परामर्श से निर्णय लेने देंगे।

प्रश्न: 11. परमल एक छोटा लेकिन अविकसित ज़िला है। यहाँ की ज़मीन पथरीली है जो कृषि योग्य नहीं है, यद्यपि थोड़ी जीविका कृषि ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है और सिंचाई की एक नहर वहाँ से बहती है। अमरिया एक मध्यम श्रेणी का शहर है जो कि इस ज़िले का प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ एक बड़ा ज़िला अस्पताल, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कुछ निजी कौशल प्रशिक्षण केंद्र हैं। एक ज़िला मुख्यालय की सभी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। अमरिया से लगभग 50 किमी. दूर एक मुख्य रेलवे लाइन गुज़रती है। इसकी कमज़ोर संयोजकता यहाँ पर किसी भी प्रकार के बड़े उद्योग के अभाव का मुख्य कारण है। नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने 10 वर्षों के लिये करावकाश दे रखा है।

वर्ष 2010 में, अनिल, एक उद्योगपति ने विभिन्न लाभों को लेने के लिये नूरा गाँव में, जो कि अमरिया से 20 किमी. दूर है, अमरिया प्लास्टिक वर्क्स (ए.पी.डब्ल्यू.) स्थापित करने का निर्णय लिया। जिस समय इस फैक्टरी का निर्माण हो रहा था तब अनिल ने आवश्यक मुख्य श्रमिकों को रोज़गार देकर उन्हें अमरिया के कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित करवाया। उसके इस कृत्य से मुख्य श्रमिक ए.पी.डब्ल्यू. के प्रति बहुत वफादार हो गए।

नूरा गाँव से ही सभी श्रमिकों को लेकर ए.पी. डब्ल्यू. ने 2011 में उत्पादन प्रारंभ किया। अपने घरों के पास ही रोज़गार प्राप्त करके गाँव वाले बहुत खुश थे और मुख्य श्रमिकों ने उन्हें उत्पादन के लक्ष्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिये प्रेरित किया। ए.पी.डब्ल्यू. ने बहुत लाभ कमाना प्रारंभ किया जिसका एक बड़ा भाग नूरा गाँव में जीवन स्तर को सुधारने के लिये उपयोग में लिया गया। 2016 तक नूरा गाँव एक हरा-भरा गाँव होने का तथा गाँव के मंदिर के पुनर्निर्माण पर गर्व कर सकता था। स्थानीय विधायक से संपर्क साधकर अनिल ने अमरिया जाने के लिये गाँव से बस सेवाओं की निरंतरता भी बढ़ा दी। सरकार ने नूरा गाँव में ए.पी.डब्ल्यू. द्वारा निर्मित भवनों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय भी खोल दिया। अपने सी.एस.आर. कोष का उपयोग करते हुए ए.पी.डब्ल्यू. ने महिला स्वयं सहायता समूह स्थापित किये, गाँव के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये उपदान प्रदान किया और अपने कर्मचारियों और गरीबों के उपयोग के लिये एक रोगी वाहन प्राप्त किया।

2019 में ए.पी.डब्ल्यू. में एक छोटी-सी आग लगी। चूँकि फैक्टरी में अग्नि शमन सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था थी इसलिये आग को शीघ्र बुझा दिया गया। जाँच में पता चला कि फैक्टरी अपनी अधिकृत क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग कर रही थी। इसे शीघ्र ही सुलझा लिया गया। अगले वर्ष, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पादन की आवश्यकता में चार महीनों के लिये गिरावट आ गई। अनिल ने निर्णय लिया कि सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। उसने कर्मचारियों को वृक्षारोपण और गाँव के प्राकृतिक वास को सुधारने के लिये काम में लिया।

ए.पी.डब्ल्यू. ने उच्चस्तरीय उत्पादन और अभिप्रेरित श्रमिक बल की ख्याति अर्जित की।

ए.पी.डब्ल्यू. की कहानी का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये और अंतर्निहित नीतिपरक मुद्दों का उल्लेख कीजिये। क्या आप ए.पी. डब्ल्यू. को पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये आदर्श मॉडल के रूप में देखते हैं? कारण दीजिये।

उत्तर: दिये गए प्रकरण में एक अविकसित ज़िले के एक छोटे-से गाँव 'नूरा' के सामाजिक-आर्थिक विकास की कहानी में एक प्राइवेट फर्म के महत्त्वपूर्ण योगदान को दर्शाया गया है। उक्त फर्म ने लोगों के जीवन स्तर को उठाने के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिये भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

इस कहानी में ए.पी.डब्ल्यू. ने लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय खोलने में सरकार का सहयोग किया, रोगी वाहन की व्यवस्था की और महिला स्वयं सहायता समूह भी स्थापित किये। लॉकडाउन जैसी विकट परिस्थिति में भी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखा और उन्हें प्रकृति के संरक्षण के कार्यों में व्यस्त कर दिया। आदर्श रूप में एक प्राइवेट फर्म होने के नाते ए.पी.डब्ल्यू. ने सराहनीय कार्य किया है तथा इससे अधिक की उम्मीद करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इतने के बावजूद यह कहना अनुचित नहीं होगा कि फैक्टरी ने अपने कार्यों को नूरा गाँव तक सीमित करके परमल जो एक अविकसित ज़िला है, के अन्य लोगों को संभावित लाभ से दूर रखा। ए.पी. डब्ल्यू. बिज़नेस वर्ल्ड से संपर्क कर ज़िले के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता था। अमरिया को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर सकता था।

नैतिक मुद्दे

- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन।
- पर्यावरण संबंधी चिंताओं का ध्यान रखकर सतत् विकास को बढ़ावा देना।
- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास।
- मंदिर बनवाकर स्थानीय लोगों के प्रति सांस्कृतिक संवेदना का परिचय देना।
- लॉकडाउन की दुरूह परिस्थिति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय देना।
- अधिकृत क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग कर दुर्घटना को आमंत्रित कर लोगों के जीवन को जोखिम में डालना।

इस कहानी में ए.पी.डब्ल्यू. ने उच्च व्यावसायिक मूल्यों के साथ ही नैतिक सिद्धांतों

के सभी मानकों का अनुपालन करते हुए अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा किया है। ए.पी.डब्ल्यू. ने एक पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिये लाभ के एक बड़े भाग को उन सभी आवश्यक कार्यों को करने पर खर्च किया जिन्हें अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिये किया जाना चाहिये। अत: ए.पी.डब्ल्यू. के प्रयासों को थोड़े सुधार (क्षेत्रीय विस्तार) के साथ पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये आदर्श मॉडल के रूप में देखा जाना चाहिये।

प्रश्न: 12. नगरीय अर्थतंत्र के सहायक श्रमिक बल के रूप में मूक रहकर सेवा प्रदान करते हुए, प्रवासी श्रमिक सदैव हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर रहे हैं। महामारी ने उन्हें राष्ट्रीय केंद्रबिंदु पर ला दिया है।

देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से, प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या ने अपने रोज़गार के स्थानों से अपने मूल गाँवों को लौटने का निर्णय लिया। आवागमन की अनुपलब्धता ने अपनी समस्याएँ खड़ी कर दीं। इसके अलावा अपने परिवारों की भुखमरी और असुविधा का डर भी उन्हें सता रहा था।

इनके चलते प्रवासी श्रमिकों ने अपने गाँवों को लौटने के लिये मज़दूरी और आवागमन की सुविधाएँ मांगी। उनकी मानसिक व्यथा बहु कारणों से और भी बढ़ गई, जैसे- आजीविका का आकस्मिक नुकसान, भोजन के अभाव की संभावना और समय पर घर नहीं पहुँच पाने से रबी की फसल की कटाई में मदद नहीं करने की असमर्थता। उनकी आशंकाएँ ऐसी खबरों से और भी बढ़ गईं जिनमें रास्ते में कुछ ज़िलों में रहने और खाने के अपर्याप्त प्रबंध के बारे में बताया गया था।

जब आपको अपने ज़िले के ज़िला आपदा मोचन बल की कार्यवाही का संचालन करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी तो इस परिस्थिति से आपने अनेक सबक हासिल किये। आपके मतानुसार सामयिक प्रवासी संकट में क्या नीतिपरक मुद्दे उभरकर आए? एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य से आप क्या समझते हैं? समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ाओं को कम करने में सभ्य समाज क्या सहायता प्रदान कर सकता है?

उत्तर: एक 'प्रवासी श्रमिक' वह व्यक्ति होता है जो अपने क्षेत्र से इतर असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिये पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का उद्देश्य नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं। वर्तमान महामारी के दौर में देश में स्वतंत्रता के पश्चात् अब तक का सबसे बड़ा प्रवासी पलायन संकट सामने आया है। उपर्युक्त केस स्टडी इसी रिवर्स माइग्रेशन की समस्या से संबंधित है।

प्रकरण से संबंधित हितधारक समूह

- प्रवासी श्रमिक
- ज़िले के ज़िला आपदा मोचन बल की कार्यवाही के संचालक के रूप में 'मैं'
- एक लोककल्याणकारी राज्य के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार
- समाज

एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य से आशय ऐसे राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिये व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। ऐसे राज्य का मुख्य ध्येय अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना एवं यथासंभव समानता स्थापित करना होता है। प्रो. लास्की के अनुसार: "एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य लोगों का ऐसा संगठन है, जिसमें सभी का अधिकाधिक हित सामूहिक हित में निहित होता है।"

सामयिक प्रवासी संकट से संबंधित नैतिक मुद्दे

- स्वास्थ्य एवं जीवनयापन की निम्न स्थिति
- मनो-सामाजिक विकार
- आजीविका का संकट
- दस्तावेज़ीकरण और पहचान संबंधी समस्या
- महिला प्रवासियों से संबंधित मुद्दे
- सामाजिक स्वास्थ्य के संकट (संक्रमण फैलने की स्थिति में)
- भविष्य में औद्योगिक केंद्रों में श्रमिकों की कमी का संकट

मेरे अनुसार एक सभ्य समाज प्रवासियों के इस संकट के समाधान में निम्नलिखित प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है–

- सिविल सोसाइटी संगठनों की सहायता से जगह-जगह पर श्रमिकों के ठहरने हेतु अस्थायी निवास स्थानों का प्रबंध एवं स्थानीय क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा सकता है।
- स्थानीय निकायों को निश्चित रूप से वापस लौटे और प्रवासी श्रमिकों की खोज करनी चाहिये तथा जॉब कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करनी चाहिये।
- प्रवासी श्रमिकों से किसी भी प्रकार के परिवहन का शुल्क नहीं लेना चाहिये।
- राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके गाँव भेजने के लिये आर्थिक सहायता दी जा सकती है। जैसा कि हाल ही में राज्य सरकारों (जैसे- बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश) ने प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिये एकमुश्त नकद हस्तांतरण की घोषणा की।
- सिविल सोसाइटी संगठनों की सहायता से प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का भी अस्थायी प्रबंध किया जा सकता है।

समाज के अतिरिक्त एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य होने के चलते इस दिशा में सरकार द्वारा भी निम्नलिखित प्रयासों को किये जाने की आवश्यकता है–

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत महामारी रोकथाम के लिये एक राष्ट्रीय योजना और दिशानिर्देश तैयार किये जाने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के तहत एक विशिष्ट विंग का गठन किया जाना चाहिये, जिसके पास महामारी से निपटने में विशेषज्ञता हो और जो सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ सरकार की साझेदारी में अग्रणी भूमिका अदा करे।
- भविष्य में इस तरह के संकट के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिये केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच समन्वय हेतु एक प्रभावी संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है।
- नीति निर्माताओं को जल्द-से-जल्द प्रवासी श्रमिकों से संबंधित एक राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च करना चाहिये ताकि महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को अतिशीघ्र राहत प्रदान की जा सके। इस डेटाबेस के तहत प्रवासी मज़दूरों के स्रोत और गंतव्य, उनके रोज़गार तथा कौशल की प्रकृति आदि से संबंधित विवरण शामिल किये जा सकते हैं।
- अल्पकालिक उपाय हेतु प्रवास करने वाले श्रमिकों को उनके ही क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना तथा प्रवसन हेतु नि:शुल्क यातायात के साधनों की व्यवस्था करना सरकार की अहम ज़िम्मेदारी है।